Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का पंचम दिवस [संख्या ४

शुक्रवार, ८ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११. १० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८६

श्री अध्यक्ष : श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित–प्रश्न आगे लिया गया)

प्रश्न संख्या ८७

श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित–प्रश्न आगे लिया गया)

प्रश्न संख्या ८८

श्री मानिकचन्द कोठारी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

जिला जालौर में प्राथमिक पाठशालाएं एवं भवातड़ा (त० सांचोर) की स्कूल

८९. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालौर में कुल कितनी प्राइमरी स्कूलें हैं और वे किस किस जगह पर हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(२) क्या तहसील सांचोर के भवातड़ा ग्राम में कोई स्कूल खोली गई थी ? यदि हां, तो यह स्कूल चलती है या नहीं और उसका फर्नीचर कहां गया ?

(३) क्या यह सत्य है कि जो स्कूलें खोली गई हैं उनमें से कुछ ठीक ढंग से नहीं चलती हैं ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (१) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, यह स्कूल चल रही है। फर्नीचर के बारे में आवश्यक पूछताछ की जा रही है, सूचना आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(३) स्कूलें ठीक ढंग से चल रही हैं। स्कूल भवनों की कमी है जिसके लिए जनता के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भवातड़ा की स्कूल में कौन अध्यापक है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि किस किस स्कूल में कौन कौन अध्यापक हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैंने खास तौर से भवातड़ा ग्राम के लिए ही तो प्रश्न किया था।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लेकिन आपने टीचर्स के नाम के लिए नहीं पूछा था।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं, भवातड़ा स्कूल में कोई मास्टर नहीं है और उस स्कूल के टीचर के नाम से तनख्वाह उठायी जा रही है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो आप जानकारी दे रहे हैं, हम चेकअप करेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : खीराड़ा में भी नहीं है और टीचर के नाम से तनख्वाह उठाई जा रही है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह भी आप सूचना दे रहे हैं।

प्रश्न संख्या ६०

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित–प्रश्न आगे लिया गया)

मसूरिया शरणार्थी कोलोनी, जोधपुर में प्राथमिक पाठशाला का अभाव

६१. **श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम) : Will the Minister for Education be pleased to answer :

(a) Is it a fact that there is no Primary School in Massuria Refugee Colony at Jodhpur ?

(b) Is it also a fact that there is a heavy demand for a Primary School there ?

(c) If so, why the Government has not yet opened a Primary School there ?

(b) When does the Governmen intend to start a Primary School there ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) रिफ्यूजी कॉलोनी, मसूरिया से करीब डेढ़ फर्लांग की दूरी पर एक सरकारी रिफ्यूजी प्राइमरी स्कूल है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अर्जुनदास : What is the total number of boys in that School ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मेरे पास सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या ६२

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित–प्रश्न आगे लिया गया)

गंग केनाल गंगानगर की जी जी राजवा की टेल पर पानी का अभाव

६३. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गंग केनाल, गंगानगर की जी जी राजवा की टेल पर पिछले एक साल से पानी की कमी क्यों चली आ रही है ?

(ख) क्या सरकार पानी पूरा दिलवाने का प्रबन्ध करेगी ?

उपसिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) राजवा की टेल पर पानी की ऐसी कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती सतवन्तकौर : मैं कह रही हूं कि पानी की कमी है ।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि हम इससे काम ३२३ दिन लगातार लेते रहे, २५५ दिन तक बराबर चला । कुछ दिनों मरम्मत के लिए बन्द रहा ।

श्रीमती सतवन्तकौर : आपने क्या जांच करवाई ?

श्री भीखाभाई : जांच के आधार पर ही तो सूचना दे रहा हूँ ।

प्रश्न संख्या ६४

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित–प्रश्न आगे लिया गया)

जिला गंगानगर में १९४९ से पूर्व रजिस्टर्ड हथियार

६५. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में १९४९ से पूर्व कितने हथियार रजिस्टर्ड हुए थे ? उनमें से कितनों के लाइसेन्स जारी कर दिये गये व कितनों के लाइसेंस जब्त किये गये ?

(ख) जिनके लाइसेन्स जब्त किये गये हैं उनमें से कितनों के हथियार ले लिये गये हैं और कितनों के नहीं ?

(ग) कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लाइसेन्स मन्जूर नहीं हुए मगर आज तक उनको कोई सूचना नहीं दी गई ?

(घ) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध, जिन्होंने सूचना देने की परवाह नहीं की, कार्यवाही करेगी ?

उप गृह मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जिला गंगानगर में सन् १९४९ के पूर्व ३१३६ हथियार रजिस्टर्ड हुए थे, इनमें से १७९५ हथियारों के लाइसेन्स दिये गये तथा ५७२ की जब्ती की आज्ञा हुई ।

(ख) जिन व्यक्तियों के शस्त्र जब्त करने के आदेश दिये गये थे उनमें से ३२२ शस्त्र तो जमा हो चुके हैं और २५० हथियार लेने बाकी हैं ।

(ग) ७६९ व्यक्तियों को लाइसेन्स देना बाकी है और उनको सूचना दे दी गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जोधपुर डिविजन के सीड स्टोर के नाम से मकानात बनाना

६६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जोधपुर डिवीजन में सीड स्टोर के नाम से नये मकानात बनाये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस जगह पर ?

(२) क्या यह सत्य है कि ये सीड स्टोर्स रेस्ट हाउस की एवज में काम में लिए जाते हैं और रेस्ट हाउस के मुआफिक ही उनमें फरनीचर मौजूद है ? यदि हां, तो फरनीचर कितने रुपयों का है ?

(३) क्या यह सत्य है कि कई स्थानों पर रेस्ट हाउस होते हुए भी इन सीड स्टोर्स को रेस्ट हाउस की एवज में काम में लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जोधपुर डिवीजन में अभी तक तीन डिस्ट्रिक्ट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सीड स्टोर्स जोधपुर, मेड़ता सिटी व परबती में बने हैं। इसके अलावा तहसील सीड स्टोर पीपाड़ सिटी व डीडवाना में बने हैं।

(२) ये सीड स्टोर्स बीज व अन्य कृषि सम्बन्धी वस्तुएं स्टॉक करने के लिए हैं। इनमें कोई फर्नीचर वगैरह नहीं रखा गया है, न ये स्टोर रेस्ट हाउस के काम में लिये जाते हैं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या सैन्दड़ा और देसूरी में भी सीड स्टोर खोले गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बता दिया, जहां जहां खोले गये हैं। उनके नाम भी बता दिये हैं।

गर्ल्स मिडिल स्कूल आबू रोड

६७. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : will the Education Minister be pleased to state :.

Does the Government propose to open Girls Middle Schools at Abu Road and Sheoganj towns in Sirohi district ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिशनोई) : शिवगंज में लड़कियों का स्कूल मौजूद है, ऐसी सूरत में वहां पर अन्य मिडिल स्कूल खोलने का प्रश्न नहीं उठता। आबू रोड में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या इतनी उपलब्ध नहीं है जिससे कि मिडिल स्कूल खोला जा सके।

श्री मोहब्बतसिंह : शिवगंज में जो गर्ल्स मिडिल स्कूल है वह प्राइवेट है या सरकारी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकारी स्कूल के बारे में ही मैंने कहा है।

श्री मोहब्बतसिंह : अगर सरकारी मिडिल स्कूल नहीं है तो क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि वहां खुल जायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने तो कहा है, वहां स्कूल है।

श्री अनोपसिंह : आपने अभी आबू रोड के लिये कहा कि वहां लड़कियों की संख्या काफी नहीं है, यह कितने अर्से पहले की बात है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लड़कियों की स्कूल के बारे में न तो हमसे किसीने कहा है और न वहां की हैड मिस्ट्रेस ने ही इस प्रकार की मांग की है।

श्री अर्जुनदास : What is the strength of lady students in Abu ?

श्री पूनमचन्द बिशनोइ : आबू दो हैं; एक तो आबू रोड और दूसरा माउन्ट आबू है।

श्री अर्जुनदास : अब आप यह फरमायें कि संख्या कितनी हो, जिस आधार पर आप स्कूल खोलते हैं, what is the संख्या itself ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें ऐसा है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा हो।

श्री अर्जुनदास : ज्यादा शब्द का अर्थ क्या होता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जिससे

Page No.5

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हमको आगे की क्लास खोलने में आसानी हो; जैसे पांचवीं क्लास पास की हुई लड़कियों की संख्या काफी होगी तभी तो ६ ठी क्लास खोली जा सकती है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या आप आबू रोड में गर्ल्सस्कूल खोलने का इरादा रखते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इरादा तो रखते हैं, अगर वहां पर मकान और दूसरी सुविधायें उपलब्ध हो जायं तो।

श्री मोहब्बतसिंह : मकान की तो व्यवस्था है कि वहां कन्या पाठशाला है। लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर मकान की व्यवस्था है तो इस पर अगले वर्ष विचार कर लिया जायगा।

श्री तनसिंह : मतलब यह है कि मकान की व्यवस्था का झंझट है, संख्या की कमी का कोई सवाल नहीं। संख्या की कमी के कारण नहीं खोला जा सकता यह कहना ठीक नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उत्तर में यह नहीं कहा कि मकान की कमी की वजह से नहीं खोला जा रहा है; निवेदन यह किया गया है कि अगले वर्ष विचार किया जायगा। जब प्रश्न यह किया गया कि क्या अगले वर्ष खोला जायगा तो उत्तर दिया गया कि मकान की सुविधा होने पर विचार किया जायगा।

जिला जालोर के भवरानी गांव के बीड़ में मारे गये डाकू

९८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला जालोर के भवरानी गांव के बीड़ में इस वर्ष पुलिस पार्टी द्वारा कोई डाकू मारा गया है ?

(२) यदि हां, तो वह कौन था, उसके खिलाफ क्या-क्या मुकद्दमात थे और उसके पास से क्या माल बरामद हुआ है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, उसका नाम भैरिया आत्मज झूंथा पुरोहित था।

(२) इस व्यक्ति के विरूद्ध कोई मुकद्दमा नहीं था। एक ३०३ बोर राइफल, ५ भरे और ३ खाले कारतूस, एक थैला जिसमें दैनिक कार्य का सामान; जैसे खोपरा, रोटी एवं हजामत का सामान; इत्यादि था, बरामद हुआ।

श्री श्रीभानसिंह : जब इसके खिलाफ मुकदमा नहीं था तो किस शिकायत पर इसको डकैत करार दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरे डकैत रामदा के साथ यह एसोसियेटेड था।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इस प्रकार की पुलिस में कोई रिपोर्ट है कि यह फलां फलां डकैत के साथ एसोसियेटेड है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब इस बात की इत्तला प्राप्त हुई कि फलां फलां डकैत पार्टी इस एरिया में मौजूद है तो पुलिस वहां गई, पुलिस से उनका एन्काउन्टर हुआ और यह आदमी भी उसमें शामिल था, इस पर भी पुलिस का फाइरिंग हुआ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह निश्चित सूचना थी कि एन्काउन्टर में वह आदमी नहीं मारा गया था ?

Page No.6

श्री रामकिशोर व्यास : डाकुओं का मूफ तो था ही और उसमें जो एकाउन्टर पार्टी थी उसमें यह बन्दूक चला रहा था।

श्री श्रीभानसिंह : यह कैसे मालूम हुआ कि वह बन्दूक चला रहा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस द्वारा देखा गया था।

श्री श्रीभानसिंह : जिस आदमी की डेथ हुई क्या उस आदमी का नाम पुलिस की लिस्ट में कहीं दर्ज था कि यह फलां फलां गैंग में शामिल है या इस पर कोई मुकदमा दर्ज था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुकदमे की कोई जरूरत नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जो आदमी आप कहते हैं एन्काउन्टर में मारा गया, क्या उस आदमी का नाम पुलिस रेकार्ड में कहीं भी दर्ज है या इन्नोसेन्ट आदमी मारा गया ?.

श्री रामकिशोर व्यास : इन्नोसेन्ट नहीं था बल्कि डाकुओं के साथ था।

श्री अर्जुनदास : Whether he wae ever declared or treated a dacoit before the encounter ?

श्री रामकिशोर व्यास : No, it is not necessary,

श्री श्रीभानसिंह : When it is not necessary, how can the Govt. say that he was an associate of the dacoits ?

श्री अर्जुनदास : My question was whether the Goverment considers it necessary or not, was he ever eclared a dacoit ?

श्री अध्यक्ष : He has said more than once. He was not included by the Government in the list of proclaimed offenders.

श्री अर्जुनदास : Whether he was ever treated as a dacoit before the date of encounter ?

श्री अध्यक्ष : He says 'no'. There is no justification for further question when he has clarified the whole position.

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जरूरत नहीं, एन्काउन्टर में था।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि वह पीलू तोड़ रहा था और उस बेगुनाह को मारा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं कि उसकी डेथ किस स्पोट पर हुई और वह किस जगह पर मुकाबला कर रहा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : एन्काउन्टर एरिया जो था उसमें वह भी था।

श्री श्रीभानसिंह : मेरे प्रश्न का मतलब यह है कि क्या वह वेस्ट में, था या ईस्ट में, उसने क्या पोजीशन ले रखी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप इसके लिये अलग प्रश्न पूछें तो बताया जा सकता है कि किस एरिया में किस पर्टिकुलर पोइन्ट पर वह खड़ा था।

Page No.7

श्री श्रीभानसिंह : एक आदमी की डेथ हुई, उसके बारे में इतनी जानकारी तो होनी चाहिये कि कैसे डेथ हुई, किस जगह और कैसी हालत में हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेटीरियल पोइन्ट यह है कि एनकाउन्टर में डेथ हुई।

श्री अध्यक्ष : He (Home minister) cannot be expected to have all that inform- ation.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, that is right but from these facts it is obvious that some innocent man has been shot.

श्री अध्यक्ष : Whatever conclus- ions you might draw, has given the facts.

श्री सतीशचन्द्र : क्या उस एन्काउन्टर में वही मारा गया और इसके अलावा और कोई नहीं मारा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, वही मारा गया।

श्री सतीशचन्द्र : कोई पकड़ा भी गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि इस आदमी को वृक्षपर खड़े हुए मारा गया ?

श्री अध्यक्ष : He has said 'no' to that.

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया था कि और डकैत थे, वे तो भाग गये और यह मारा गया।

श्री तनसिंह : उसका पोस्टमॉर्टम भी हुआ या नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : हुआ था।

श्री तनसिंह : क्या उस पोस्टमॉर्टम में इस प्रकार की इन्जुरीज ध्यान में आई जिससे यह कहा जा सकता है कि उस आदमी की मृत्यु वृक्ष पर से गिर जाने से हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं एग्जेक्ट तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मुझे मालूम है जिस समय एन्काउन्टर हो रहा था वह वृक्ष पर चढ़ गया था और दरख्त पर बैठे हुए गोली चला रहा था।

श्री तनसिंह : क्या गोली लगना पुलिस के बताने से मालूम हुआ या यों ही बात बनायी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : पोस्टमॉर्टम में भी गोली के निशानात पाये गये।

श्री अर्जुनदास : Where did he get injuries, Sir ?

प्रश्न सं० ६६

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

तहसील सांचोर में लूनी नदी पर बांध बनाने की योजना

१०१ **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील सांचोर में लूनी नदी पर बांध बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जावेगा ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : लागो नदी पर, जो लूनी नदी की सहायक नदी है, तहसील सांचोर, आज गांव के पास बांध बनाने की योजना विचाराधीन है, न कि खास लूनी नदी पर। इस योजना की सर्वे हो चुकी है और तखमीना बनाया जा रहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

Page No.8

श्री भीखाभाई : अभी तक तो प्लान्स, डिज़ाइन्स और एस्टीमेट्स बन रहे हैं, कम से कम छः महीने तो लग ही जायेंगे।

जिला जालोर स्थित डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कार्यालय द्वारा धान का क्रय

१०१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालौर स्थित डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कार्यालय द्वारा इस वर्ष कुल कितना धान खरीदा गया है ?

(२) उपरोक्त धान किस किस शख्स से किस किस भाव से खरीदा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) किसानों को जो धान इस वर्ष दिया गया था, उसकी वसूली किस किस शख्स से किस भाव से की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जालोर में निम्न लिखित धान बीज के लिये १९५७-५८ में खरीदा गया :

गेहूँ ६१५५ मन २६ सेर

जौ—५०० मन

(२) तालिका संलग्न है।

(३) इस वर्ष बीज वितरण किया जा रहा है और उसकी वसूली अगले वर्ष मई व जून माह में होगी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इस प्रकार के धान खरीदने में किसी प्रकार के टेन्डर मांगे जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टेन्डर नहीं मांगते हैं।

श्री तनसिंह : क्यों नहीं मांगते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसी प्रकार का प्रोसीजर बना हुआ है। किसान, जो धान पैदा करते हैं उनसे इन्डिवीजुअली टेन्डर मांगने की आवश्यकता नहीं है। उस समय जो मार्केट रेट प्रिवेलेन्ट होती है, उसकी जानकारी कर ली जाती है। तहसीलदार से, मंडी में क्या भाव है, इसका सर्टिफिकेट ले लिया जाता है, उसी भाव से आठ आना ज्यादा देकर हम खरीदते हैं।

श्री तनसिंह : नं० १८ और २० पर जो श्री माधोसिंह के नाम दे रखे हैं क्या वे दोनों एक हैं या अलग अलग ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके बाप का नाम तो नहीं लिखा है इसलिये मैं नहीं कह सकता कि एक हैं या अलग अलग।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या ये माधोसिंह वे ही हैं जो एम. एल. ए. हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी पूरी जानकारी नहीं क्योंकि बाप का नाम भी नहीं लिखा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिन व्यक्तियों से धान खरीदा जाता है उन सब के लिये क्या एक ही रेट फिक्स की जाती है या व्यक्तियों को देख कर रेट निर्धारित की जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक रेट तो निर्धारित नहीं की जाती है; इसलिये नहीं कि अलग अलग जगह के किसानों से अलग अलग डेट्स में धान खरीदा जाता है। उस समय की मंडियों के भाव को देखकर ही रेट्स निर्धारित की जाती हैं। यह हो सकता है, किसी सप्ताह में रेट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इसीलिये जो सर्टिफिकेट तहसीलदार उस जगह की मार्केट रेट को देखकर देता है उसी भाव से आठ आना ज्यादा देकर हम खरीदते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है एक ही किस्म के गेहूँ हैं और तहसीलदार का सर्टि-

(श्री लक्ष्मीचन्द)

फिकेट भी है, लेकिन फिर भी दूसरा भाव देकर खरीदा जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसीलदार को तो यह अधिकार है कि वह मंडी के भाव हमें बता दे, किस किस्म का गेहूँ कौन कौनसा है वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट तय करता है। तहसीलदार तो आम तौर से गेहूं की मंडी का भाव क्या है, यह बताता है, वैराइटी की तसदीक तो एग्रीकल्चर विभाग करता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि श्री माधोसिंह को जो भाव दिया गया वह हरजी को नहीं दिया गया, हालांकि हरजी के गेहूँ की किस्म माधोसिंह के गेहूं से ज्यादा अच्छी थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह व्यक्तिगत जागीरदारों का झगड़ा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : व्यक्तिगत नहीं, बल्कि भावों का फर्क क्यों रखा गया था ? क्या आप इस सम्बन्ध में जानकारी करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप निश्चित आधार बतायें तो की जा सकती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपको निश्चित तथ्य दे दिये जांय तो क्या आप जानकारी करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप लिख कर दे दीजिये, अगर जानकारी करने के लायक होंगे तो की जायगी।

श्री तनसिंह : माधोसिंह के धान के खरीद के भावों में और हरजी से खरीद के भावों में इतना फर्क क्यों रखा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हो सकता है क्वालिटी में कुछ फर्क हो।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या श्री माधोसिंह कांग्रेसी एम. एल. ए. हैं, इसलिये इनसे जो धान खरीदा गया उसकी रेट ज्यादा दी गई और हरजी को कम दी गई जब कि दोनों के पोइन्ट्स में अन्तर था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो अध्यक्ष महोदय, अभी तक यह नहीं जान सका हूं कि ये माधोसिंहजी वे ही हैं जो एम. एल. ए. हैं।

श्री तनसिंह : यह निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि ये माधोसिंहजी वे ही हैं जो कांग्रेसी एम० एल० ए. हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके अलावा ये और पोइन्ट्स बता रहे हैं जिनके कारण हेर फेर हुआ है।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, हरजी के गेहूँ का ६८ पोइन्ट था और भैंसवाड़ा ठाकुर का था ६६, जब कि हरजी को भाव दिया गया १८ रु० और भैंसवाडा ठाकुर को दिया गया २१॥ रु०।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे लिये न तो हरजी खारे हैं और न भैंसवाड़ा ठाकुर मीठे हैं; दोनों हमारे लिये बराबर हैं, हम तो कानून से काम करते हैं।

श्री तनसिंह : यह जो गलती हुई है और जो आपको बताई गई है क्या आप इसकी छानबीन करने की कृपा करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे निवेदन किया, आप लिख कर दे दीजिये; यदि कुछ तथ्य ऐसे मालूम पड़े जिनकी जानकारी करनी जरूरी है तो की जायगी।

गंगानगर जिले के क्षेत्र में बागों के वृक्षों और फूलों की बीमारियों को रोकने की योजना

१०२ **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा गंगानगर जिले के क्षेत्र में बागों के वृक्षों व फूलों की बीमारियों की रोकथाम के लिये कोई कार्य किया जा रहा है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कृषि विभाग में कोई विशेषज्ञ नियुक्त है ?

(ग) क्या सरकार भविष्य में उपरोक्त बीमारियों की रोकथाम के लिये समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) गंगानगर जिले में एक पौध संरक्षण टुकड़ी की जिला-कृषि-अधिकारी की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई है जो कि काश्तकारों की रिपोर्ट पाने पर उनके बागों में फलों के वृक्षों की बीमारी व कीड़ों की रोकथाम करती है। इस कार्य के लिए जिला-कृषि-अधिकारी के पास कीट और रोग विनाशक औषधि व मशीनें रखी हुई हैं।

(ख) कृषि विभाग को पूरी जानकारी है।

(ग) हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस काम को करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

श्री पी. के चौधरी : Mr. Sajjan Singh is absent and I may be permitted to ask the question.

श्री अध्यक्ष : Yes.

चम्बल बैराज की बुनियाद में फ्रेन्च विशेषज्ञ की सलाह लेने सम्बन्धी

१०३ **श्री पी० के० चौधरी** (श्री सज्जनसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या मंत्री, सिंचाई विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या किसी फ्रेन्च विशेषज्ञ से चम्बल बैराज की बुनियाद के सिलसिले में सलाह ली गई थी ?

(२) यदि हां, तो उक्त विशेषज्ञ की क्या राय थी और उसका असर उक्त बैराज के निर्माण पर किस रूप में पड़ने वाला है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) (१) हां।

(२) फ्रेन्च विशेषज्ञ की यह राय है कि जो रूपांकन (डिज़ाइन) केंद्रीय जल व विद्युत आयोग द्वारा तैयार किया गया था वह ठीक है तथा मूल रूपांकन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

श्री पी. के. चौधरी : I could not follow what exactly...

श्री भीखाभाई : What I said is this: Part (1) Yes.

Part (2)-There is no change in the design which has been advised by the French expert.

श्री पी. के. चौधरी : अभी तक समझ में नहीं आया।

श्री भीखाभाई : कैसे समझ में नहीं आया : फर्स्ट पार्ट-हां।

श्री अर्जुनदास : We cannot follow, Sir,

श्री अध्यक्ष : Try to follow. be co-operative.

Page No.11

श्री भीखाभाई : (१) हां।

(२) फ्रैंच विशेषज्ञ की यह राय है कि जो डिजाइन केन्द्रीय जल व विद्युत आयोग द्वारा तैयार किया गया था वह ठीक है तथा मूल रूपांकन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा ?

श्री पी० के. चौधरी : Will the Hon'ble Minister please state what were his terms of reference; terms of reference of the Engineer who was appointed by the Government.

श्री भीखाभाई : The firm was advised.. under advice from the Central water and power Commission... because they told about the Chambal dam-we in India have not got any experts to advise on the construction of the dam...

श्री अध्यक्ष : He is specifically asking a question about terms of reference.

श्री भीखाभाई : No committee was appointed.

श्री अध्यक्ष : Then say so, do not dilate.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the Government of India asked him to examine the barrage and give suggestions about the new cut off, as well as an amended design ?

श्री भीखाभाई : No.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the French Engineer has in his report given two suggestions (1) as asked by the Government of India for a new cut off, and (2) an amended design ?

श्री भीखाभाई : Certainly not.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the French Engineer has stated that the sheet piles have failed ?

श्री भीखाभाई certainly not.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that it was stated in the report that the sheet piles have failed and it is not possible to stop the seepage of water ?

श्री भीखाभाई : No, he said that the steel piles......

श्री पी. के. चौधरी : I want an answer to my specific question.

श्री भीखाभाई : No, the steel piles have gone deep and they will be quite effective without clay grouting.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the French engineer has stated that the soild rock is deep by 55 feet below the level of the material ?

श्री भीखाभाई : No, certainly not.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that he has also stated that the solid rock below the level of the deposit and over the steel is deeper ?

(विराम)

Page No.12

(श्री पी० के० चौधरी)

Is it correct that the sheet piles have been dislocated, torn and gone out to a depth of 26 feet over ?

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मंत्री) मैं थोड़ा निवेदन कर दूं ताकि साफ हो जाय। कोटा बैराज की डिज़ाइन और तमाम चीज़ें सी. डब्ल्यु. पी. सी. के सुपरिविज़न में तैयार की गईं। उसमें स्टील पाइल्स डालने का सवाल था। कुछ आगे डिस्टेन्स और २२।३ तक तो पहुंचे और बाकी बोटम तक पहुँचना चाहते थे लेकिन नीचे पत्थरों के कारण से नहीं पहुँच सके। इस सम्बन्ध में चम्बल बोर्ड और सी. डब्ल्यू. पी. सी. से बात हुई। इस तरह का काम है कि जो इन्डिया में और बाहर कम ही हुआ है। फ्रान्स में इस प्रकार का काम हुआ है अत: उनकी सलाह लेने की बात हुई। सारी बातें रखी गईं उनके सामने। तो उन्होंने एग्ज़ामिन करके यह राय दी कि साइड तो ठीक है, डिज़ाइन भी ठीक है और स्टील पाइल्स ठेट तक नहीं पहुँचा है इसलिए क्लेग्राउटिंग हो। सीमेन्ट का ग्राउटिंग और कर दिया जाय तो कुछ नहीं होगा। क्ले ग्राउटिंग ठीक है, इसलिए न तो साइड बदलने का सवाल है और न दूसरा प्रश्न है।

श्री पी. के. चौधरी : My question was, is it also correct that the Chambal Board is of the opinion that the amended design which has been suggested by the French Enginieer will not stop the erosion but it must stop the seepage ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिज़ाइन तो वही है।

श्री पी. के. चौधरी : I mean, make a distinction, I am talking of the new design and a new cut-off. When the same desgn is amended, it is called amended design and where it is altogether new, it is called new cut-off. It is correct that the French engineer has suggested about the amended design, that it will not be able to stop erosion ?

श्री रामकिशोर व्यास : जैसा मैंने निवेदन किया अमेंडेड डिज़ाइन का सवाल नहीं है, एडीशनल बातें हैं।

श्री पी. के. चौधरी : I am referring to the language exactly used by the Engineer, 'Amended design and new cut-off."

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने एडीशनल बातें सजेस्ट की हैं, जैसी कि क्ले ग्राउटिंग की बात है और जरूरत पड़े तो स्टील पाइल्स की, डिज़ाइन के चेन्ज का सवाल ही नहीं है। ये तो एडीशनल बातें हैं जो उन्होंने सजेस्ट की हैं।

श्री पी. के. चौधरी : Is it also correct that the French engineer has stated that this amended design will be effective even without the piles being effective ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो ठीक है। आप सवाल दुबारा दोहरा दें, मैंने फौलो नहीं किया।

श्री पी. के. चौधरी : Is it also correct that a well was sunk and it was found that the sheet piles

Page No.13

(श्री पी० के० चौधरी)

has gone to a depth of 20 to 25 feet whereas the solid rock is 50 feet below surface. ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मैंने कहा कि कुछ पर आधे डिस्टेन्स तक पहुंचे, कुछ पर २।३ तक पहुंच गये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती सतवन्त कौर।

श्री पी. के. चौधरी : Hon'ble Speaker, Sir, one thing.

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : Already you have taken much time; if you are interested you can raise discussion on this.

श्री पी. के. चौधरी : Not a new question.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I may clarify one thing.

श्री पी. के. चौधरी : Two contradictory things have been said by the Hon'ble Minister and the Hon'ble Deputy Minister.

(घंटी)

The Deputy Minister has that the sheet piles have gone to the bottom; and the Minister has said that they are above.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं यह निवेदन कर दूं कि इस प्रकार का एक प्रश्न पार्लियामेंट में भी पूछा गया था कुछ ही दिनों पहले और उसके अन्दर जो इरिगेशन मिनिस्टर थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया था कि डिजाइन वगैरह की बात है उसमें कोई चेन्ज नहीं हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : Will the hon'ble Chief Minister put before the House a copy of the French engineer's report ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I do not see any necessity for that. That is only for the guidance of the G. P. W. D. and the department.

श्री पी. के. चौधरी : It has been placed in the library of the Parliament and we are making a request that you will kindly place a copy of the same before the House ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I do not think there is any necessity.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती सतवंतकौर।

जिला गंगानगर में स्थित बिना काश्त की भूमि वाली कृषि सहकारी समितियां

१०४. **श्रीमती सतवन्त कौर** (करनपुर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में कितनी ऐसी कृषि सहकारी समितियां हैं जिनके पास कोई भी भूमि काश्त के लिये नहीं है ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त समितियों को शीघ्र ही भूमि दिलवाने का प्रबन्ध करेगी ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) २२।

(ख) इस सम्बन्ध में प्रयास जारी हैं।

Page No.14

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

स्पेशल आई. जी. पी., भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, की नियुक्ति के पश्चात् पकड़े गये मामले

१०५ श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Home Minister be pleased to state :-

How many officers have been trapped by the Anti-corruption Department after the appointment of the Special I. G. P. Anti-corruption ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : कोई ऑफिसर ट्रेप नहीं किया गया ।

(प्रश्न संख्या १०६)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री मोहब्बत सिंह ।

अपने निवास स्थान से बाहर नियुक्त सहायक निरीक्षकों की संख्या

१०७. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Home Minister be pleased to state:-

What is the total number of Sub-Inspectors who hav ebeen posted outside their home range ?

गृह मंत्री (श्रीरामकिशोर व्यास) : ऐसे सब-इन्पेक्टरों की संख्या ८२ है ।

श्री पी०के० चौधरी : इनका नम्बर तो १०५ है ।

(हंसी)

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि मुख्य सचिव की ओर से एक ऐसा आदेश है कि इतने रुपये की तनख्वाह पाने वालों के तबादले रेन्ज के बाहर होंगे और उससे कम तनख्वाह पाने वालों के तबादले रेन्ज से बाहर नहीं होंगे ।

श्री रामकिशोर व्यास : ध्यान में है ।

श्री मोहब्बतसिंह : तो क्या चीफ सेक्रेटरी का सर्क्युलर पुलिस के इन सब इन्सपेक्टर्स पर लागू नहीं होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : लागू तो होता है, लेकिन सेन्ट पर्सेन्ट उसी तरह से कैरी आउट हों, ऐसी बात नहीं है ; उसमें भी है कि जहां तक हो सके ऐसा किया जाय । डिविजन में रखे जाने का है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो इनके ट्रान्सफर करने के कोई विशेष कारण है क्या ? ऑर्डीनरी कोर्स में तो नोर्मली जो आदमी जिस रेन्ज का है उसी में रखा जाता है ; तो जो ये ८२ आदमी रेन्ज के बाहर रखे गये हैं तो कोई विशेष कारण थे जिससे कि ये आदमी अपनी रेन्ज के बाहर ट्रान्सफर किये गये ।

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस में कुछ पर्सेन्टेज बाहर के आदमीयों की रखते हैं । लोकल आदमी एक ही जगह कलेक्ट करें तो ठीक नहीं था ।

श्री मोहब्बतसिंह : लोकल आदमी एक डिस्ट्रिक्ट्स में न रखे जायं लेकिन एक डिविजन में ५-६ डिस्ट्रिक्टस होते हैं फिर भी उनको डिविजन के बाहर फेंकने का क्या प्रश्न आता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी किसी केस में मुनासिब समझते हैं तो ऐसा करते हैं ।

(प्रश्न संख्या १०८)

श्री अध्यक्ष : श्री जयेन्द्रसिंह ।

(अनुपस्थित)

जेल बन्दियों से मिलने आने वाले व्यक्तियों से शुल्क

१०९. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान की जैलों पर बन्दियों से मुलाकात लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक आना देना पड़ता है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ? और इसका हिसाब कौन रखता है ?

(३) अब तक भिन्न २ जेलों पर इस वसूली द्वारा कितनी राशि एकत्रित हो चुकी है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) एक आना देना अनिवार्य नहीं है, यह बन्दियों के कल्याण कारी कोष यानी वेलफेयर फन्ड के लिये चन्दा है ।

(२) इसका हिसाब जेल अध्यक्षों द्वारा रखा जाता है ।

(३) टोटल रिसीट्स ७५०० रु० ७ आना ६ पा० और टोटल एक्सपेन्डीचर १६६८ रु० ८ आ० हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

जेल उद्योगों का व्यापारिक आधार एवं उससे हानि-लाभ

११०. तनसिंह (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जेलों के उद्योग धन्धों को कॉमर्शियल बेसिस पर कब से प्रारम्भ किया गया है तथा तब से सरकार को प्रति वर्ष कितना २ लाभ अथवा घाटा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राजस्थान की जेलों के उद्योग धन्धों को तारीख १-४-५२ से कॉमर्शियल बेसिस पर आरम्भ किया गया है ।

(२) ब्यौरा इस प्रकार है :

सन् १९५२-५३ में लाभ रु० १४,७४७)
सन् १९५३-५४ में लाभ रु० ७,२२१)
सन् १९५४-५५ में लाभ रु० १,०१५)
सन् १९५५-५६ में लाभ रु० ५१,३८६)
सन् १९५६-५७ में लाभ रु० ५४,२६५)

श्री तनसिंह : इस निरन्तर दो वर्ष से घाटे का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ एजीटेशन होने की वजह से फ़ेक्ट्री बन्द करनी पड़ी और जगह की भी कमी थी ।

श्री तनसिंह : बन्दियों की संख्या उतनी की उतनी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है बढ़ी होगी; बढ़ी ही होगी, जहां तक मेरा ख्याल है ।

पुसाल्या नदी (त० शिवगंज) पर पुल अथवा कॉजवे निर्माण

१११. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Public works Minister be pleased to state :

(a) Does the Government contemplate to construct a bridge or causeway over Posaleya river in Tehsil Sheoganj, District Sirohi?

(b) If so, by what time ?

Page No.16

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) Yes.

(b) Likely to be taken up after the next rainy season.

श्री मोहब्बतसिंह : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब से है ? जब से राजस्थान बना तभी से है क्या ? क्या सरकार को मालूम है कि यह नदी नेशनल हाईवे पर पड़ती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उत्तर सुनकर माननीय सदस्य को काफी सन्तोष होना चाहिये ; जब कि it is likely to be taken up after the next rainy sea son:-

श्री मोहब्बतसिंह : क्या इसका प्लान तैयार हो चुका है और सैंक्शन हो चुकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारी प्रिलीमिनेरीज़ उसके पहले पहले हो जायंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

बाड़मेर की चर्म रंगाई उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य एवं उसको सहायता

११२. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर की चर्म रंगाई उत्पादक सहकारी समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

(२) सरकार की ओर से अब तक उसे क्या क्या सहायता या ऋण दिया गया ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इस समिति को दिनांक १६-४-५६ को ६०००) रु० उद्योग विभाग से और दिनांक १७-१०-५७ को ५०००) रु० सहकारी बैंक, जोधपुर से ऋण के रूप में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री तनसिंह : क्या यह ऋण किसी कार्य विशेष के लिए दिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रंगाई छपाई के लिए दिया गया है।

गवर्नमेंट हाई स्कूल शिवगंज में कृषि और कॉमर्स विषय

११३. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state :—

Does the Government propose to introduce Agriculture and Commerce subjects in Government High Sohool, Sheoganj form the next session ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): जी नहीं।

श्री मोहब्बतसिंह : क्यों नहीं, साहब।

(हंसी)

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जनता की तरफ से वहां इस चीज के लिए कोई खास मांग नहीं आई है तथा दूसरे साधनों की भी कमी है। इस हिसाब से हो सकेगा तो आगे देखा जायगा।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या इस सवाल को जनता के प्रतिनिधि की ओर से उठाया हुआ नहीं समझा जाय ?

श्री पूनमचंद बिश्नोइ : यदि इस स्टेज को मान लें तो आगे की और भी कई स्टेजेज़ हैं ?

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार को ध्यान है कि जब सिरोही इन्टर कॉलेज में एग्रीकलचर का सब्जेक्ट खोल दिया गया है, इस वास्ते इस स्कूल में एग्रीकलचर सब्जेक्ट निश्चित तौर से खोलना, इसको फीडर उस कॉलेज के लिए बनाना होगा। इस दृष्टिकोण से इस विषय को शिवगंज हाई स्कूल में निश्चित तौर से रख सकते हैं।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : पक्के तौर से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट देने का सवाल राजस्थान को पूरे को देख कर तय करेंगे।

श्री मोहब्बतसिंह : कच्चे तौर से ही फर्मा दें ताकि आश्वासन मिल जाय।

श्री श्रीभानसिंह : एग्रीकलचर सब्जेक्ट खोलने के लिए भी क्या गवर्नमेंट को जनता से पूछना पड़ता है?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : एग्रीकलचर और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए मांग होनी चाहिए, उनको पढ़ने वाले स्टूडेन्ट्स होने चाहिए, नहीं तो हायर सेकन्डरी स्कूल में २००) रु० का मास्टर होता है उसको लगा दें और पढ़ने वाला नहीं हो तो फिर क्या फायदा?

श्री श्रीभानसिंह : क्या एग्रीकलचर सब्जेक्ट को एजुकेशन डिपार्टमेंट महत्ता नहीं देता है?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : नहीं, बराबर देता है; लेकिन उसकी मांग हो।

श्री श्रीभानसिंह : अगर देता है और कमीशन की रिपोर्ट ध्यान में रखते हुए जिसमें कहा गया है कि स्कूल्स में एग्रीकलचर सब्जेक्ट को खोला जाय तो फिर एग्रीकलचर सब्जेक्ट क्यों नहीं खोला जाता है?

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

समदड़ी (जि० बाड़मेर) में हाई स्कूल खोलने संबंधी योजना

११४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की ओर से भूतपूर्व कलेक्टर ने समदड़ी, जिला बाड़मेर में जनता की ओर से भवन निर्माण होने पर हाई स्कूल खोलने का आश्वासन दिया था?

(ख) क्या यह सही है कि जनता ने भवन निर्माण कर लिया है?

(ग) उपरोक्त भवन कितनी लागत का है?

(घ) क्या सरकार यहां शीघ्र ही हाई स्कूल खोलने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) २०,००० रु० की लागत की।

(घ) आगामी वर्ष अन्य स्कूलों को हायर सेकन्डरी बनाते समय सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्तानुसार इस पर भी विचार किया जावेगा।

श्री तनसिंह : पहले तो आश्वासन दिया और २०,००० की लागत का जनता ने मकान बनाया है। अब आप कहते हैं कि इस पर विचार किया जायगा दूसरी बातों को मद्देनजर रखते हुए। तो क्या वह आश्वासन बिल्कुल यों ही था और जनता ने मकान का निर्माण करने में गलती खाई?

Page No.18

श्री पूनमचंद बिश्नोई : वह तब सब स्थितियों को देखकर कह सकते हैं। मांग सब जगह से आई है। ५ हायर सेकन्डरी स्कूल्स की मांग आती है, २० की या १०० की आती है। इस बजट में जितने रखे थे २०, वे खोल दिये हैं। सब जगह नहीं खुल सकते हैं, तो मजबूरी है।

श्री तनसिंह : जहां से जनता की मांग नहीं थी और भवन का निर्माण नहीं हुआ वहां भी हायर सेकन्डरी स्कूल खोल दिये गये।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : नहीं, ऐसा नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मीचंद : हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने के लिए क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

श्री लक्ष्मीचंद : इसे तो पूरा कर लें।

श्री अध्यक्ष : प्रोसीजर उसमें बताया है कि जैसा था वैसी व्यवस्था हो गई। कोई जानकारी की बात पूछें।

श्री तनसिंह : एक दो प्रश्न और इस विषय में पूछना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि कलेक्टर का जो दिया हुआ आश्वासन है और उसके आधार पर उन्होंने मकान बनाया है उसकी कोई वेल्यु आप नहीं मानते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने ऐसा नहीं कहा है कि उसकी कोई वेल्यु नहीं मानते हैं।

श्री तनसिंह : तो क्या हुआ? कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि मकान बनवा दोगे तो स्कूल खोला जायगा, मगर आप अब कह रहे हैं कि उस पर विचार किया जायगा, दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उन्होंने अकेले ने ही नहीं बनवाया है। सरकार ने भी १०,००० रु० दिये हैं, लेकिन सब चीजों को देखते हुए ही तो बना सकते हैं; केवल मकान बनाने का ही सवाल नहीं है।

श्री तनसिंह : तब तो और भी आवश्यक हो जाता है जब कि सरकार ने १०,००० रुपये दिये तो वे ख्वामख्वाह एन्ड हो रहे हैं और उनसे कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं, यह चीज नहीं है। वह भवन मिडिल स्कूल के काम में आ रहा है।

श्री अनूपसिंह : जनता ने सहयोग दिया और उसके दे देने के बाद भी अगर स्कूल नहीं खुलेगा तो क्या जनता यह नहीं समझेगी कि इस प्रकार गवर्नमेंट जितने भी वायदे करती है, उन्हें पूरा नहीं करती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बाड़मेर में कन्या पाठशाला भवन निर्माण पर सरकार द्वारा निर्धारित धन-राशि

११५. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाड़मेर में कन्या पाठशाला के भवन के निर्माण के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

(ख) उपरोक्त रकम किस एजेन्सी के माध्यम से खर्च की जा रही है?

Page No.19

(श्री तनसिंह)

(ग) निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ और कब तक पूरा होने की संभावना है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (क) बाड़मेर में कन्या पाठशाला के भवन निर्माण के लिये सरकार द्वारा १०,००० रु० की धन-राशि स्वीकृत हुई है और १०,००० रु० हाजी ईसा देरासर वाले ने सहायतार्थ दिये हैं ।

(ख) भवन के निर्माणार्थ एक समिति बनी हुई है जिनके निम्नलिखित सदस्य है :

(१) एस डी. एम., बाड़मेर ।
(२) असिस्टेन्ट इन्जीनियर, पी.डब्ल्यू. डी.।
(३) श्री सीताराम, सेनीटरी इन्सपेक्टर ।
(४) श्री देवदत्त, अध्यक्ष, नगरपालिका ।
(५) श्री सुल्तानमल वकील ।
(६) श्री भगवानदास ।
(७) श्री राधाकिशन राठी ।

और इसी समिति द्वारा सब व्यय हो रहा है ।

(ग) निर्माण कार्य दिनांक २७-३-५७ से शुरू हुआ और मार्च १६५८ तक समाप्त होने की संभावना है ।

श्री भानसिंह : इस कमेटी में विमेन रिप्रजेन्टेटिव न रखने का क्या कारण है जब कि यह कन्या पाठशाला के लिये है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : या तो वहां कोई पढ़ी लिखी नहीं होंगी या कोई दिलचस्पी नहीं रखती होंगी ।

पाड़ीव (त० सिरोही) के समीप कामड़ी नदी के कॉजवे का सर्वे

११६. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Public Works Minister be pleased to state :

(a) Has the Government made survey of Kamedi river causeway near Padiv in Sirohi Tehsil ?

(b) If so, when does it propose to take up the work ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) Is being done

(b) Not yet decided.

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह नहीं है कि चीफ इन्जीनियर ने ऐसे आॅर्डर्स पास कर दिये हैं कि यह कार्य इसी वर्ष पूरा होना चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं है ।

बाडमेर खत्री रंगाई छपाई उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य

११७. **श्री तनसिंह** (बाडमेर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

बाडमेर जिले की खत्री रंगाई छपाई उत्पादक सहकारी समिति के कौन कौन सदस्य हैं तथा सरकार द्वारा अब तक उसे क्या क्या सहायता दी गई व कितना कितना ऋण दिया गया ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा २५-१०-५६ को १० हजार रुपये और ५०० रुपये सहकारी विभाग राजस्थान द्वारा २८. ३. ५७ को अनुदान तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर ने १८.१०. ५७ को ५,००० रुपया ऋण के दिये ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

Page No.20

श्री तनसिंह : इसमें सहायता के बारे में पूछा गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि ५०० रुपये राजस्थान सहकारी विभाग ने २६. ३. ५७ को अनुदान के रूप में दिये।

कक्षा ८ तक निशुल्क शिक्षा व आगे की कक्षाओं में शुल्क में वृद्धि

८६. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (रावराजा श्री सरदारसिंह जी की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कक्षा ८ तक निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है तथा आगे की कक्षाओं का शुल्क बढ़ा दिया गया है ?

(ख) अगर हां, तो कितना-कितना और किन आधारों पर तथा इसके घटाने और बढ़ाने से सरकार को क्या क्या लाभ और हानि हुई ?

(ग) क्या इसके खिलाफ सरकार के पास विद्यार्थियों का रिप्रज़ेन्टेशन पेश हुआ है ?

(घ) अगर हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय दिया ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) कक्षा ८ तक तो निःशुल्क कर दी गई है तथा आगे की कक्षाओं के लिये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिये फीस बढ़ाई है जिनके माता-पिता अथवा संरक्षक आयकर देते हैं।

(ख) हायर सैकिण्डरी कक्षाओं के लिये:

कक्षा नवीं में १॥ से ३ रुपया

कक्षा दसवीं में १॥ से ३॥ रुपया

कक्षा ग्यारहवीं में ४ रुपया

कर दी गई है।

कॉलेज कक्षाओं के लिये :

इन्टर कक्षाओं के लिये ३ रु० से ६ रु०

बी. ए. कक्षाओं के लिये ४ रु० से ८ ,,

एम. ए. कक्षाओं के लिये ८ से १० रु०

रिसर्च कक्षाओं के लिये १० से १५ रु०

लॉ कक्षाओं के लिये १० से १२ रु०

प्रायः भारत के सभी प्रान्तों में शिक्षा शुल्क राजस्थान से अधिक ली जाती है तथा पिछले कुछ ही वर्षों में राजस्थान में शिक्षा का अत्यधिक विस्तार किया गया जिसके फलस्वरूप खर्चा बहुत बढ़ गया है इसलिये सरकार को फीस के स्तरों में चढ़ोतरी करने के लिये बाध्य होना पड़ा। साल के बीच में लाभ तथा हानि का मालूम होना सम्भव नहीं है क्योंकि इस समय यह मालूम करना कठिन है कि कितने कितने छात्रों से बढ़ी हुई फीस ली जा रही है तथा कितने छात्रों से पुरानी फीस ली जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) जिन विद्यार्थियों के माता पिता या संरक्षक आयकर से मुक्त हैं उनके लिये वही पुरानी फीस जो जुलाई १९५७ से पहले ली जाती थी कर दी गई है। आयकर देने वालों के लिये फीस बढ़ाई गई है। इसमें भी पहले दो बच्चों से बढ़ी हुई फीस तथा बाद के बच्चों से वही पुरानी फीस ली जावेगी। स्कूल्स तथा कॉलेजों में पढ़नेवाली लड़कियों के लिये फीस माफ है। इसी आधार पर तमाम रिप्रज़ेन्टेशन्स का निर्णय कर दिया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कहा कि रिप्रज़ेन्टेशन दिये हैं, क्या रिप्रज़ेन्टेशन दिये उन्हीं के लिये किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रिप्रज़ेन्टेशन बढ़ी हुई फीस के थे जिनका फैसला सुनाया गया।

Page No.21

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : फैसला नहीं सुनाया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फीस बढ़ाने पर लोगों ने रिप्रज़ेन्टेशन दिये, उनका फैसला हुआ कि आयकर देने वालों के बच्चों पर फीस बढ़ाई गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिप्रज़ेन्टेशन्स का फैसला हुआ या आगे भी कुछ किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री): यहां प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दिया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो आय कर देते हैं उन्हीं के बच्चों पर फीस क्यों लगी ? डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ।

श्री मदनसिंह दांता : आय कर देने वालों के एक लड़के पर बढ़ी फीस लगेगी या १० हैं तो १० पर भी लगेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रथम दो लड़कों से बढ़ी हुई फीस ली जायगी और बाद के लड़कों से वही पुरानी फीस ली जायगी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पहले जिस समय फीस लगाई गई उस समय देखा होगा कि इससे सरकार को कितना लाभ होगा।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अर्जुनदास : How much the Government is likely to get from the childern of these who pay Income Tax ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस वक्त इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब सब लड़कों पर फीस बढ़ाने का प्रोपोज़ल था तब केलकुलेशन किया होगा ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : करीब ६ लाख का अंदाज करते थे ।

श्री मूलचंद डागा : बजट बनाते समय तो पता लगाया होगा कि इतनी रकम फीस से बढ़ जायगी ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई ; लेकिन रद्दोबदल-होने के कारण बीच में बताना कठीन है ।

श्री मूलचंद डागा : आपने यह बतलाया था कि कई प्रान्तों में फीस अपने से ज्यादा है, क्या आप यह बतला सकते है कि किन किन राज्यों में यहां से फीस कम है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : ऐसे राज्यों की इत्तला मेरे पास नहीं है जिनमें फीस राजस्थान से कम हो । यह भी है कि सब राज्यों की सूचना नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने उन्हीं प्रान्तों की सूचना प्रस्तुत की जिनमें राजस्थान से बढ़ी हुई फीस है ।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : ऐसी बात नहीं है ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : जिन प्रान्तों में फीस अधिक है वहां पिछले दिनों में बढ़ाई गई है या ८ साल पहले से ही बढ़ी हुई है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : कई प्रान्तों में पिछले सालों में बढ़ी है और कइयों में पहले से ही बढ़ी हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; क्या आप सूचना दे सकते हैं कि पिछले ८ सालों में कहां कहां बढ़ी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

जागीर पुनर्ग्रहण के अन्तर्गत सरकार के आधीन लिये गये ठिकानेजात के शिक्षा विभाग

८७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (रावराजा सरदारसिंहजी की अनुपस्थित में) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जागीर रिजम्पशन की तहत किस किस ठिकानेजात के शिक्षा विभाग किस किस वर्ष में सरकार ने अपने अधीन लिये और उनके अन्तर्गत कौन कौन सी बिल्डिंग सम्भाली गई तथा उनकी कब मरम्मत कराई गई व उसमें क्या क्या सर्फा हुआ ?

(ख) ठिकाने उनियारा का शिक्षा विभाग सरकार ने कब सम्भाला और कब कब मरम्मत करवाई एवं कितना उसके अधीनस्थ भवनों का सर्फा हुआ ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) प्रश्न में जो सूचना सारी जागीरों के लिये पूछी गई है उसे इकट्ठा करने में समय काफी लग सकता है।

(ख) शिक्षा विभाग, उनियारा को तारीख २२-६-५४ को सम्भाला। मरम्मत १९५६-५७ में कराई गई और इसके अधीनस्थ ४७८ रु० का सर्फा हुआ।

प्रश्न संख्या ८८

श्री अध्यक्ष : श्री मनिकचन्द कोठारी

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

राजस्थान में वायरलेस स्टेशन्स एवं उनके खोलने के आधार

८९. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (रावराजा सरदारसिंहजी की अनुपस्थिति में) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में वायरलेस स्टेशन्स कहां कहां पर है ?

(ख) उपरोक्त स्टेशन किस किस आधार पर कायम किये जाते हैं ?

(ग) क्या डिस्ट्रिक्ट टोंक में कहीं वायरलेस स्टेशन है ? अगर हां, तो कहां कहां ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है क्यों कि यह गोपनीय है।

राज्य में न्याय और व्यवस्था कायम रखने और डाकू विरोधी अभियान को सुचारु रूप से चलाने के लिये वायरलेस की उपयोगिता को ध्यान में रखकर वायरलेस स्टेशन कायम किये जाते हैं।

(ख) जी हां। टोंक और मालपुरा में। टोंक में ३ असिस्टेन्ट सब-इन्पेक्टर, ओपरेटर राशी तथा मालपुरा में २ असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर और २ हैड कॉन्टेबिल ओपरेटर्स का स्टाफ रहता है। सालाना खर्चा ११,६०० रु० है।

श्री तनसिंह: जिस प्रश्न का उत्तर आप यहां नहीं देना चाहते हैं उसके बारे में कल मैंने प्रदर्शनी में देखा कि वहां एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि कहां कहां वायरलेस स्टेशन्स हैं।

Page No.23

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: क्या विधान सभा में बताना गैर जिम्मेदाराना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे मालूम नहीं है। आपने जानकारी दी है। I shall confirm the matter.

ग्राम अखड़ (त० शाहपुरा, डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा) में बांध का निर्माण

६२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (रावराजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थिति में): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्नका उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम अखड़, तहसील शाहपुरा, डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में किसी बांध का निर्माण हो रहा है ?

(ख) यदि हां, तो इसका काम कब चालू हुआ था और कितनी लागत का और क्या वह अब तैयार हो गया है ?

(ग) अगर हां, तो उससे कितनी जमीन पीवल होती है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) अखड ग्राम के पास मासी नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है।

(ख) यह योजना तारीख २३-५-५४ को हाथ में ली गई थी और इसकी लागत २४.३८ लाख है। वह इस साल तैयार हो गया था लेकिन वह टूट गया।

(ग) इस बांध से टूटी हालत में होने के कारण सिंचाई नहीं होती।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बांध में इस वर्षा के कारण कितना नुकसान हुआ है ?

श्री भीखाभाई : रिपीट कीजिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वर्षा के कारण कुछ नुकसान हुआ है इस बांध को ?

श्री भीखाभाई : ३० हजार का।

श्री तेजमल बापना : क्या यह सही है कि यह बांध टूट गया है, वह गत वर्ष भी टूटा था ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that it also breached during last monsoon ?

श्री भीखाभाई : Of course, it is correct.

श्री मंगलसिंह : यह किन अधिकारियों के दोष हैं कि इतना कच्चा बांध बनाते हैं ?

श्री भीखाभाई : इसकी इन्क्वायरी की जा रही है ?

श्री मंगलसिंह : इन्क्वायरी में कौन लोग हैं ?

श्री भीखाभाई : श्री किशनपुरी आई. ए. एस., रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन इस कमेटी के अध्यक्ष और इसके साथ में सुपरिटेन्डेन्ट, बी. एन्ड आर. और कमिश्नर डिवीजन इसके मेम्बर हैं।

श्री तेजमल बापना : गत वर्ष टूटा था, उसकी इन्क्वायरी कराई गई थी ?

श्री भीखाभाई : इन्क्वायरी पूरी नहीं हो पाई, उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि फिर टूट गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उसका जवाब कब तक आ जायेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Page No.24

श्री मंगलसिंह : उसमें जनता में से प्रतिनिधि क्यों नहीं है ?

श्री भीखाभाई : उसमें एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि यह एक्सपर्ट्स की कमेटी है।

श्री मदनसिंह : इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली है, रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(घन्टी)

श्री पी. के. चौधरी : One question only. Is it correct that the soil of the dam site was not tested before making a selection of the site ?

श्री भीखाभाई : यह जांच हो रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर यह पाया गया कि बेकार स्थान पर बांध बनाया गया है, तो उसका क्या परिणाम होगा ?

श्री भीखाभाई : एक्शन लिया जायगा, उसके खिलाफ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ६४।

जयपुर शहर की सिटी बस सर्विस

६४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (रावराजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शहर जयपुर में चलने वाली सिटी बस सर्विस सरकारी हैं या किसी प्राइवेट कन्सर्न की ?

(ख) अगर प्राइवेट कन्सर्न की हैं तो संबंधित व्यक्ति कम्पनी या फर्म का क्या नाम है ?

(ग) उपरोक्त बस सर्विस कब चालू हुई थी और इसकी क्या क्या शर्तें हैं ?

(घ) इस सर्विस से सरकार को क्या आय होती है और इसकी कब तक की मियाद है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) प्राइवेट कन्सर्न थी।

(ख) एक कमल एन्ड कम्पनी तथा दूसरी जयहिन्द ट्रान्सपोर्ट कोओपरेटिव सोसाइटी की बस सर्विस है।

(ग) सितम्बर १९५३ से मोटर विहीकल्स एक्ट में दी गई शर्तों पर चालू हुई।

(घ) टैक्स के रूप में सरकार को लगभग पन्द्रह हजार रुपये की आय होती है। कमल एन्ड कम्पनी की ६ तथा जयहिन्द ट्रान्सपोर्ट कोओपरेटिव सोसाइटी की बसें चलती हैं जिनकी मियाद निम्न लिखित है :

पहले कमल एन्ड कम्पनी की बता देता हूं :

बस नम्बर	मियाद
३२३८।	३१-१०-५७
४६०६।	
५२७१	८-२-५८
३१४४।	५-६-५७
३१४५।	
३०७६	१-८-६०
३७६४	११-१०-६०
३४२८	१०-१२-५६
४१११	११-१०-६०

जयहिन्द ट्रान्सपोर्ट कोओपरेटिव सोसाइटी की इस प्रकार हैं :

बस नम्बर	मियाद
६०० ।	३१-१२-५७
२२११ ।	

(श्री नाथूराम मिर्धा)

४५३६	१६-६-६१
४४६५	२-६-६१
३६३४	२०-७-६०
३६२८	
३८१४	१८-१०-६०

श्री श्रीभानसिंह : जब इनका पीरियड एक्सपायर हो जायगा, तो क्या गवर्नमेंट नेशनेलाइज्ड बस सर्विस चालू करेगी, अथवा इनको ही कन्टीन्यु करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए अलग पूछें । इस पर अलग रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री श्रीभानसिंह : इसके लिए कुछ सेकिन्ड फाइव ईअर प्लान में मिनिस्टर साहब ने डिसाइड किया होगा । हम प्लानिंग युग में रह रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में अलग से प्रश्न आ रहा है, उस वक्त प्रकाश डालूंगा ।

श्री श्रीभानसिंह : अभी बता दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह इसी सेशन में आ रहा है ।

१२. ५ म० प०

दुष्काल सम्बन्धी तीन स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : तीन स्थगन प्रस्ताव आये हैं, जो इस प्रकार हैं :

पहला प्रस्ताव है श्री जगदीशप्रसाद माथुर, विभाजन संख्या ६५, का :

"राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं ओलावृष्टि के कारण खेती की हुई सामुहिक हानि से कृषक वर्ग में असंतोष फैल रहा है तथा प्रान्तव्यापी अकाल की संभावना से सम्पूर्ण जन समाज बेचैन हो रहा है । अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित करके उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जावे ।"

(विराम)

श्री अर्जुनदास : Has that been accepted ?

श्री अध्यक्ष : Please wait; have some patience.

दूसरा प्रस्ताव है श्री मूलचन्द डागा, विभाजन संख्या १०३, का :

इस बार दुर्भाग्यवंश सम्पूर्ण पाली तहसील में भयंकर दुष्काल है । अनावृष्टि के कारण घास की कमी ही नहीं परन्तु पीने का पानी तक लोगों और जानवरों के लिये तनिक भी उपलब्ध नहीं है । गांव के गांव अपनी मवेशी को टोल कर दूसरी जगह पर यातना सहते सहते जा रहे हैं और किसानों के अच्छे और कीमती बैल घास की कमी के कारण मृत्यु की अन्तिम सांस ले रहे हैं; किसान बेकार हो चुके हैं । पिछली उनाली में रोली ने इन किसानों को रुला दिया था और इस बार अनावृष्टि ने इनकी कमर तोड़ दी है । परन्तु सरकार की सजगता में कमी होने के कारण कोई भी वक्त पर आवश्यक कदम नहीं उठाया जा रहा है । इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव राजस्थान विधान सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।"

(विराम)

तीसरा प्रस्ताव है श्री मोहरसिंह, विभाजन संख्या १०२, का :

"सम्पूर्ण बीकानेर डिवीजन (सिवाय नहरी क्षेत्र के) तथा झुंझुनू, सीकर व अन्य जिलों

Page No.26

(श्री अध्यक्ष)

में भयंकर अकाल से उत्पन्न गम्भीर स्थिति तथा उसके प्रति राजस्थान सरकार द्वारा अपनाए गए क्रूर रुख पर विचार करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे।"

ये तीन प्रस्ताव हैं, जो स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं; क्योंकि किसी निश्चित घटना के बारे में नहीं हैं। लेकिन फिर भी सदन के नेता से बात करने पर तय पाया है कि इसके बारे में सरकार की ओर से ११ तारीख को विस्तृत वक्तव्य दिया जायगा।

श्री मोहरसिंह : जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा है, उसके अन्दर जो चीज कही गई है, वह निश्चित घटना के विषय में है।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में बहस नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्थगत प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री मोहरसिंह : यह निहायत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इस पर विचार होना जरूरी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): जब आप आदेश दे चुके हैं, तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री मोहरसिंह : जरूर होनी चाहिए।

(हंसी)

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से स्टेटमेंट दिया जायगा।

श्री मोहरसिंह : वह स्टेटमेंट तथ्यों के आधार पर नहीं दिया जायगा, तथ्यों को घटा बढ़ा कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : आप बगैर स्टेटमेंट सुने ही कह रहे हैं, उसे सुनते तो सही।

श्री मोहरसिंह : स्टेटमेंट सुना हुआ ही है। हमें स्टेटमेंट पर बहस करने का अधिकार दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह बाद में देखा जायगा। जो भी रूल्स के मुताबिक होगा किया जायगा।

(घन्टी)

नेक्स्ट आइटम।

१२. ६ म० प०

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राजस्थान जन सेवा आयोग (सेवा प्रतिबन्ध) विनियम, १९५१ से सम्बन्धित विज्ञप्तियें

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जन सेवा आयोग (सेवा प्रतिबन्ध) विनियम, १९५१ (राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन कन्डीशन्स ऑफ सर्विस, रेगुलेशन्स. १९५१) के संशोधनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विज्ञप्तियों को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(१) विज्ञप्ति संख्या ४८२२ (५७) एफ १४ (१) नियुक्ति (ए) ५६ दिनांक २६ मई, १९५७ विनियम १० (ए) में संशोधन।

(२) विज्ञप्ति संख्या ३०६७ ५७ एफ १४ (१) नियुक्ति (सी) ५१ दिनांक ३ सितम्बर, १९५७ विनियम ४ में संशोधन।

(३) विज्ञप्ति संख्या ११७१५।५७ एफ १४ (१२) नियुक्ति (ए) ५६ दिनांक १० सितम्बर, १९५७ विनियम १० (ए) में संशोधन।

विधेयकों की पुरः स्थापना

राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक १६५७

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १६५७ को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण (पुनः प्रवर्तन) निरसन विधेयक, १६५७

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रिव्यू एन्ड वेलीडेशन ऑफ रेंट रेट्स (रिवाइवल) एक्ट, १६५७ को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, १६५७

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेंट एन्ड एविक्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, १६५७ को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १६५७

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्ट, १६५७ को पुरः स्थापित करता हूँ।

१२. १२ म० प०

राजस्थान स्टेट्युटरी नियम तथा आदेश (विस्तार) विधेयक, १६५७

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टेट्युटरी नियम तथा आदेश (विस्तार) विधेयक, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने आया है, इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी, यदि पहले, जब एक्सटेंशन्स ऑफ लॉज़ बिल यहां पास किया गया था, उस समय एक साधारण सी धारा और जोड दी जाती वैसा होने पर आज इस कानून की आवश्यकता नहीं रहती। अभिप्राय इस कानून का यह है कि पहले के कानूनों को, जो कानून राजस्थान में प्रचलित थे, अजमेर सुनेल टप्पा और आबू के एरिया के राजस्थान में मिलने पर लागू किया गया था, लेकिन उन कानूनों को लागू करते समय एक चीज रह गई है और वह यह कि उन कानूनों के अन्तर्गत जितने नियम और जितनी आज्ञाएं जारी की गई हैं या की जानी चाहिये वे लागू नहीं हुई हैं। यह बात प्रकट करती है कि राजस्थान सरकार कानून बनाते समय सोचती नहीं, देखती नहीं, विचार नहीं करती कि उन कानूनों के क्या इम्प्लीकेशन्स आने वाले हैं। उसका नतीजा यह होता है कि आज फिर इस कानून को पेश किया गया, एक कानून पास किया गया, तो दूसरी परिस्थितियां पेश आईं और फिर ऑर्डिनेन्स पेश करना पड़ा। एक साधारण सी गलती कि समय पर जो चीज पूरी करनी चाहिये थी वह नहीं की गई, नतीजा यह हुआ है कि इतना समय, इतनी एनर्जी व्यर्थ बर्बाद की गई और अब सदन का समय व्यर्थ ही लिया जा रहा है, क्यों कि उस समय कानून में यह एक गलती रह गई थी और उस गलती को आज पूरा किया जा रहा है।

किसी कानून को सिलेक्ट कमेटी को प्रस्तुत करने के लिये प्रस्ताव करते हैं और संशोधन

(श्री तनसिंह)

पेश करते हैं तो उस समय सरकार का यह रुख रहता है कि जो कुछ हमने किया है सोच-समझ कर किया है, हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट ने पूरी खोज और छान-बीन करके किया है, किसी प्रकार की कोई भी खामी नहीं रही है। लेकिन देखते यह हैं कि कानून लागू कर दिया जाता है पर नियम, रूल्स लागू नहीं किये गये हैं। यह राजस्थान सरकार के कानून विभाग की नींद का नमूना है कि किस प्रकार वह सोया रहता है और यह हमारी सरकार की सजगता को भी बताता है कि वह कितनी सजग रहती है और किसी बिल को ...ायलेट करते समय साधारण से संशोधन ...ो स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि इस कानून ... सिद्धान्तों में कोई एतराज मुझे नहीं है, मैं ...ह चाहूँगा कि यह पास हो और पास होना ... चाहिये। पर मेरे निवेदन करने का अभि...य है कि हमेशा कानून को बनाते समय जो ...शोधन आवश्यक होते हैं उन पर सोच ...वार करना चाहिये और स्वीकार करने ...य हों उन्हें स्वीकार करना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई संशोधन ... ही नहीं उस समय, शायद आपको भी ...आ गई थी।

श्री तनसिंह : हमारे जगाने से तो आप ...ते ही कहां है ?

श्री अध्यक्ष : आप ऑपोज़ तो नहीं ...।

श्री तनसिंह : नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधे...ो विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २, ३, ४ व ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २, ३, ४, और ५ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, ३, ४ और ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए।

(विराम)

क्लॉज़ ६, श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move the amendment, "That clause 6 be deleted."

मैंने यह जो अमेंडमेंट मूव किया है उसका मकसद यह है कि इसमें जो प्रोविजन रखा गया है कि जजेज़ "may construe the same with such alterations"

जजेज़ को ऑथोरिटी देते है कि किसी रूल का कोई इन्टरप्रिटेशन लगता हो, सीधे से सीधे कानून के भी अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग जजेज़, अलग अलग इन्टरप्रेटेशन देते हैं। जैसे इलेक्शन पिटीशन होती है, हमने देखा है कि किसी टेक्निकल पोइन्ट पर कोई कुछ फैसला देता है, मद्रास हाईकोर्ट कोई दूसरा ही फैसला देता है, तो इसलिये, एज़ फार एज़ वी केन (as far as we can) कितना ही स्पेसिफाई कर दें पर वकील लोग अलग अलग इन्टरप्रिटेशन करते हैं और जजेज़ के दिमाग में, जिसका इन्टरप्रेटेशन जच गया उसी के माफिक फैसला करते हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि

Page No.29

(श्री पी० के० चौधरी)

यह क्लॉज़ रखा गया है इससे जजेज़ के डिस्क्रिशन को बढ़ा दिया है, सिर्फ इतना ही नहीं कि इन्टरप्रेटेशन के अधिकार को बढ़ा है, वह तो है ही by virtue of their posts. किसी कानून को कैसे इन्टरप्रेट करना यह जजेज़ का हक है, जो उन्हें अच्छा लगे वही इन्टप्रेटेशन वे लें, लेकिन जजेज़ को अधिकार दे देना to alter these rules;

(विराम)

I will read out the clause...

"any court or other authority may construe the same with such alterations, not affecting the substance, as may be necessary or proper to adapt it to the matter before the court or other authority."

कोर्ट को यह ऑथोरिटी देना कि लॉ के डिग्स हैं, उनको चेंज कर देने का, रूल्स को चेंज कर देने का, यह ठीक नहीं है। यह ऑथोरिटी देते हैं तो जुडिशियल फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एग्ज़ीक्युटिव फंक्शन दे देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस क्लॉज़ को रखते हुए क्लॉज़ ६ को पास नहीं करना चाहिये। इसके बजाय मैं तो यह सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा ओमनिबस क्लॉज़ पास नहीं करते हुए गवर्नमेन्ट जांच कर ले कि राजस्थान में कौन-कौन से कानून हैं जो अजमेर में नहीं, जहां ज़्यादा कानून हैं, ज़्यादा लेजिस्लेशन है, तो स्पेसिफिक, खास ऑर्डर पास करना चाहिये, तो कैंसिल करते हुए या अडॉप्ट करते थे।

पर कोर्ट को जुडिशियल फंक्शन की ऑथोरिटी दे देते हैं, तो इसे मैं ठीक नहीं समझता, इसलिये यह अमेंडमेंट लाया हूं कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Where is the amendment ?

श्री अध्यक्ष : The amendment has been circulated.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : It has not reached the members.

श्री पी० के० चौधरी : मेरा ऑब्जेक्शन यह है कि ऐसा करने से कोर्ट को काफी ऑथोरिटी मिल जाती है और वकील लोग कोर्ट को गुमराह कर देंगे और चाहेंगे जैसा कोर्ट पर इन्फलुएन्स डाल कर कन्स्ट्रक्शन चेंज करा लेंगे। इसलिये कोर्ट को यह फंक्शन नहीं दिया जाय। उसके independent legislative and executive functions हैं। उसे गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले; इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू करने का, रूल्स फ्रेम करने के अधिकार ले ले। पर यह कोर्ट को डेलीगेट कर देते हैं यह ठीक नहीं है, इस वजह से वह अमेंडमेंट मैंने दिया है।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के द्वारा जो रूल्स, रेगुलेशन्स राजस्थान में थे, वे राजस्थान में और एरिया शामिल हुआ है, उनको वहां एक्सटेन्शन करने के लिये कहा है, कोर्ट को उन रूल्स को कन्स्ट्रू करने का अधिकार दिया है। इसके माने यह नहीं हैं कि उनको लॉ चेंज करने के अधिकार दिये हैं। जो लेजिस्लेचर है उनको कन्स्ट्रू किस तरह करना है, यह अधिकार इसलिये दिया है कि बाज वक्त उनको सारे रूल्स सेट एसाइड करने पड़ते हैं, इसलिये ऐसा अधिकार दिया है कि रूल्स में चेंज नहीं करके जैसी उन रूल्स की

Page No.30

(श्री रामकिशोर व्यास)

मंशा है वैसा ही करें। ऐसे प्रोविजन्स और भी कई कानूनों में हैं। पार्ट बी स्टेट का एक्ट है उसमें यह मौजूद है। इसमें मिसयूज करने का क्वेश्चन नहीं है। जो रूल्स हैं वही कन्स्ट्रू कैसे करें, टेक्निकल डिफिकल्टी रह जाय तो उसको कन्स्ट्रू कर लें। इसलिये इसमें मैं समझता हूं, कि इस क्लियरेंस के बाद में माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस ले लेंगे। इससे कोर्ट्स को सुविधा होगी, दिक्कत की बात इसमें नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा जो मकसद है वह यह है कि यदि आपने कोर्ट को आल्टर करने की ऑथोरिटी दे दी तो आप देखेंगे कि अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग तरह से इसका अर्थ निकालेंगे और आलटरेशन कॉन्सट्रूट करेंगे। इसलिये मेरा मकसद यह है कि इसकी ऑथोरिटी को न देकर गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले या किसी एग्जिक्युशन से करा लीजिये, लॉ डिपार्टमेंट से करा लीजिये आप जो यह पॉवर कोर्ट को देते हैं उसका मैं विरोध करता हूं। मैं इसमें स्युटेबल एमेन्डमेंट चाहता हूं यदि आप इसमें कुछ चाहें तो कोर्ट शब्द इसमें हटा दें। Remove the word 'court" from here. आपका जो अमेन्डमेंट है उसमें आपने लिखा है। "some court or other authority" आप इसमें से कोर्ट को हटा दीजिये। Let the Law Department issue necessary instructions in the matter. कोर्ट को रखने से युनिफोर्मिटी नहीं रहती है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह जो कन्सट्रक्शन है इम्पर्सनल बेसिस पर है, लेकिन जब कोर्ट को आप पॉवर दे देते हैं तो इम्पर्सनल नहीं रहता है। मैं नहीं कहता कि उसमें personal factors आ जावेगा, I do not say that it shall come; it is likely to come. क्योंकि ह्युमन नेचर होती है उसमें पर्सनल फैक्टर आ ही जाती है, इसलिये आप इसमें से कोर्ट शब्द हटा दें, आप चाहें तो आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं या आप चाहें तो लॉ डिपार्टमेंट से करा सकते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि आप इसमें से कोर्ट शब्द को विदड्रॉ कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : Do you still press your amendment ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने कहा कि लॉ डिपार्टमेंट से करा लीजिये या गवर्नमेंट खुद ऑथोरिटी ले ले। मगर मैं यह कहूंगा कि केसेज़ कोर्ट के सामने जावेंगे और उनको उसका तसफिया कराना होगा। इसलिये उनको पॉवर दिये हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस प्रकार के पॉवर्स देने से कोई नतीजा नहीं निकलता है टेक्निकल बात है। सबस्टेन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री पी० के० चौधरी : I want to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई है।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष । (श्री पी० के० चौधरी को संबोधित करते हुए) क्लॉज ७ पर भी आपका एमेन्डमेंट है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष, मेरा एमेन्डमेंट इस प्रकार है :

"I move that the words 'State Government', be replaced by the words 'competent authority' in the second line."

मैंने यह एमेन्डमेंट सिम्पलीफिकेशन के ख्याल से रखा है। क्योंकि लॉ जितना सिम्पल हो उतना ही अच्छा रहता है। कोम्पीटेन्ट ऑथोरिटी रख देने से वही कर सकेगा जो कोम्पीटेन्ट होगा और नहीं होगा तो गवर्नमेंट करेगी। अगर आप इसमें कोम्पीटेन्ट ओथोरिटी डाल देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सिम्पलीफाइ हो जायगा और इसी लिहाज से मैंने यह एमेन्डमेंट रखा है।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री): माननीय अध्यक्ष, आपने (श्री चौधरी) ने जो संशोधन रखा है उससे सबस्टेन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। सबस्टेन्स तो वही रहता है। मगर बेटर फोर्म यही रहती है स्टेट गवर्नमेंट और ओफीसर और ऑथोरिटी, इसलिये यह रखा है। आपने जो सुझाव दिया है उससे सबस्टेन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिये जहां तक मैं समझता हूं इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अगर इस पर आपका विशेष आग्रह हो तो मुझे इसको एक्सेप्ट करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लॉ में अमूमन इसी तरह से होता है अतः इसको इसी प्रकार रखें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : You want to withdraw your amendment ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ में जो संशोधन है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ६ व ७ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ६ व ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ८, ९ व १०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ८, ९ व १० विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ८, ९ व १० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल, जो इस विधेयक के साथ है स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १ प्रिएम्बल वगैरह

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल वगरह पास किये जाएं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

१२.२७ म० प०

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष, जो टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५७ विचारार्थ लिया जा रहा है, इसमें बहुत ही गंभीर प्रश्न हैं और इसमें ऐसे संशोधन हैं जो बहुत ही प्रतिक्रियावादी हैं। पहला यह कि इस एक्ट के माफिक चाहे काश्तकार जमीन ट्रान्सफर कर सकता है, लेकिन ट्रान्सफर करानेवाला व्यक्ति वही होना चाहिये जिसके पास कुछ मिकदार से कम जमीन न हो और उससे अधिक भूमि हो उसी हालत में जमीन ट्रान्सफर की जा सकती है। लेकिन इस कानून के अन्तर्गत जो स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स दिये हैं उनमें बताया है कि सरकार की यह नीति है कि काश्तकार जमीन को बेच देते हैं और बिना जमीन रह जाते हैं, ऐसी हालत में उनके हितों को रखने के लिये इस प्रॉविजन को हटा देते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि अगर सरकार इस सिद्धान्त को मानती है कि काश्तकार को जमीन का पूरा हक हांसिल हो जो उस पर काश्त करता है तो उसे अपना टिनेन्सी राइट किसी भी व्यक्ति को बै करने का पूर्णतया अधिकार होना चाहिये। अगर सरकार इस सिद्धान्त के अन्दर ऐसी चीज डाल कर उस राइट को अपने पास रखना चाहती है और वह संभवतः इस प्रकार की घटना हो सकती है और ऐसे काश्तकार हो सकते हैं जो कर्ज ज्यादा हो जाने से अपनी भूमी को ट्रान्सफर कर दें। मेरा खयाल है कि टीनेन्सी राइट में दिये गये उनको जो अधिकार हैं, उनको सरकार रोक कर रखना चाहती है। मगर मैं यह कहूंगा कि दूसरी तरफ सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिये ऐसे कानून बनाये जैसे एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस एक्ट जो पास हो गया है और हमने पिछले अधिवेशन में उसको पास किया; मगर मुझे खेद है कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न वह लागू किया गया है। अभी हाल में ही उसे प्रेसिडेन्ट की सैंक्शन भी मिली है फिर भी उसको लागू नहीं किया है। मैं यह कहूंगा कि काश्तकारों के वास्तविक हितों के कानून होते हैं उनमें सरकार बैठी बैठी ऊंघती रहती है और जहां

(श्री तनसिंह)

आवश्यकता नहीं होती वहां जरूरत से ज्यादा मदद करने के लिये कानून ला देती है, जैसे यहां पर उनके फुल फ्लेज्ड राइट्स हैं उनको करटेल करना चाहती है। मेरा ख्याल है, इन पर विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरी विशेषता इसमें यह है कि राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में अमेन्डमेन्ट सातवां आया है। इस सातवें संशोधन के अन्दर एक प्रश्न....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : I may give some information to the Hon'ble member that this Bill is not intended to take away the rights from the tenants of transferring their holdings. It restricts the right of transfer only in those cases in which the land will be allotted under Section 101 of the Land Revenue Act. Therefore, no right is being taken away.

श्री तनसिंह : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, समझ नहीं सकता कि रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है जमीन के ट्रांसफर करने के अधिकार को। उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। इसका अभिप्राय तो यही होगा कि भविष्य में जो जमीन ट्रांसफर की जायगी उसमें यह एक फच्चर लगा दी जायेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : भविष्य में जो जमीनें अलॉट की जायेंगी उसमें यह होगा कि उसको बेचने का अधिकार नहीं होगा आगे के दस साल के लिए। वह काश्तकार के ऊपर एप्लाई नहीं होता जिसके पास कि जमीन है। जिनके पास कि ऑलरेडी जमीनें हैं उनको तो खातेदारी राइट भी प्राप्त हो गए हैं। यह तो केवल उन पर ही लागू होगा जिनको कि जमीनें अब अलॉट की जायेंगी।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : मैं माननीय मंत्री महोदय की इस दलील को भी अच्छी तरह समझ गया हूं। वह यह कहना चाहते हैं कि आज से पहले जितने भी किसान हैं उनको तो यह अधिकार होगा लेकिन आज के बाद में जो जमीनें अलॉट की जायेंगी और किसान होंगे उनको यह ट्रांसफर का व बेचने का अधिकार नहीं होगा। यह नहीं हो सकता कि जिस प्रकार से भूमि का कब्जा है या किसान काश्त करता है उस किसान को यह कहना कि चूंकि तुम तो इस समय भूमिहीन थे इसलिए यह जमीन दी गई है और तुम अब इसको बेच नहीं सकते। क्योंकि अगर तुम जमीन को बेचोगे तो तुम भूमिहीन हो जाओगे। किसी व्यक्ति विशेष का उसके परिस्थिति विशेष में होने के कारण उसका यह राइट क्यों कर्टेल किया जाय ? यदि आपका यह सिद्धान्त है, यदि आप इस सिद्धान्त को मानने वाले हैं कि एक किसान को उसकी भूमि पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए, यदि आप इसको स्वीकार करते हैं, तो केवल उसके हित के लिए आप इतने जागरूक क्यों हैं जब कि वह खुद देख रहा है कि उसका हित किस में है ? यदि वह ट्रांसफर करता है तो इस सिद्धान्त को आप मूल रूप से भुला रहे हैं और यह कह रहे हैं कि क्यों इसके पास कल जमीन नहीं थी और आज इसको अलॉट हुई है इसकारण वह बेच नहीं सकता। तो फिर आपने काश्तकार को उस जमीन के बारे में पूरे अधिकार कहां दिये ? इसका मतलब यह हुआ कि जो काश्तकार हैं उनको टीनेन्सी एक्ट की धारा के अनुसार जमीन के ट्रांसफर के अधिकार हैं। लेकिन जो जमीन उसको

Page No.34

(श्री तनसिंह)

अलॉट होगी उसमें अब ट्रांसफर आदि के अधिकार नहीं होंगे। यह तो वास्तव में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सा बनता है और जब आप एक सिद्धान्त को मानते हैं तो इस रूल के लगाने में एक सेविंग बन जाता है। मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार का सेविंग केवल उन लोगों के लिए क्यों लगाया जाय कि जिनको आज भूमि प्राप्त हुई है और उन के ऊपर क्यों नहीं लगाया जा रहा है जिनके पास कि जमीन पहले से ही है? यदि सिद्धान्त को सिद्धान्त के रूप में मानते हैं तो कोई भी चीज हो, अच्छी तरह समान रूप से लागू होनी चाहिए। यदि उसको अच्छाई के रूप में नहीं मानते हैं और उस कानून के अन्दर गड़बड़ी मानते हैं तो फिर वह गड़बड़ी की चीज सभी के ऊपर लागू होनी चाहिए, चाहे वह किसान आज की भूमि वाला हो या कल की।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि इसमें पर्सनल कल्टीवेशन की जो डेफीनिशन थी उसमें भी संशोधन लाया जा रहा है। अभी जो हमारे सदन के सामने राजस्थान भूमि सुधार का सातवां संशोधन पास हुआ था उसमें भी इसी डेफीनेशन को तब्दील करने का संशोधन था। माननीय मंत्री महोदय ने उस कानून के बारे में तो बताया था कि उस पर कुछ बातचीत हो रही है इसलिए अभी उसको आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन वह बतचीत तो हो रही है, वह विचार माननीय मंत्री महोदय कर रहे हैं, लेकिन जब यह कानून पास कर दिया जाता है और इसकी धाराओं के अनुसार तब्दीली कर दी जाती है तो उस नये एक्ट में जो भूमि सुधार का बिल है सातवां संशोधन, उस संशोधन में इसका कैसे असर नहीं पड़ेगा। आज भी हम पर्सनल कल्टीवेशन की डेफीनिशन निश्चित कर लेते हैं तो इसका अभिप्राय यह होता है कि आने वाले सातवें संशोधन को इसी रूप में स्वीकार करेंगे, नहीं तो इसको अमेन्ड करना पड़ेगा। आपने यह कहा कि हम विचार कर रहे हैं मगर मैं तो कहता हूं कि यह खटाई में डाला हुआ है और वास्तव में विचार नहीं हो रहा है।

मेरा अभिप्राय यह है कि यह जो कानून आज हमारे सामने लाया जा रहा है, इस पर खूब गहराई से विचार करना चाहिए और इस पर जल्दी में कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी समझाने की कोशिश की यह जो संशोधन लाया जा रहा है वह कुछ काम का नहीं होगा। हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि क्योंकि जागीर रिजम्पशन एक्ट सातवां संशोधन विचाराधीन है और जब मैंने यह देखा कि यह संशोधन और वह जागीर रिज़म्पशन का संशोधन करीब करीब आइडेन्टिकल टाइप के हैं तो मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह से आपने उसको विचाराधीन रखने के लिए फरमाया है उसी तरह से इसको भी विचाराधीन रख लिया जाय, तो दोनों की बातें ओवरलैप नहीं होंगी और यह कहना कि आगे जो काश्तकार जमीनों के अधिकारी होने वाले हैं उनको यह हक नहीं होगा कि वे अपनी जमीनों को बेच दें। मैं यह अर्ज करूंगा कि जिनके पास जमीनें हैं और आज रखना चाहते हैं सो तो ठीक है और जिनके पास ज्यादा जमीन है और उसको वह अपने पास नहीं रखना चाहते हैं उनको आप प्रिवेन्ट करें, यह ठीक नहीं है। जिसके पास जमीन है वह

Page No.35

(श्री अनूपसिंह)

तो बेच ही देगा उसमें तो आपको एतराज ही नहीं होना चाहिये। अगर उसके पास जमीन है तो उसके पास ट्रांसफर का अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, फालतू जमीन है वह दे देता है तो दूसरे जो लैंडलैस आदमी हैं उनको जमीन भी मिल जायेगी और जिनके पास फालतू जमीनें हैं उनके पास से भी जमीन चली जायेगी। तो इस तरह से आपका एक काम कि लैंडलैस लोगों को जमीन मिलनी चाहिए वह तो काश्तकार कर रहा है। तो आपका एक काम हो रहा है। आपकी एक समस्या है कि लैंडलैस जो आदमी हों उनको जमीन मिलनी चाहिये और उनके पास भी जमीन होनी चाहिए और जिनके पास ज्यादा है उनके पास से निकलनी चाहिये तो यह समस्या भी बिना प्रयत्न किये हल हो जाती है। तो मैं अर्ज करूंगा कि यह क्योंकि कोई खास जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका कारण यह है कि आगे सातवां संशोधन आ रहा है और उसको और इसको दोनों को साथ रख कर ही विचार करने से आप किसी एक निश्चय पर आसानी से पहुंच सकेंगे और यह निश्चय आगे के काश्तकारों के लिए और पुराने काश्तकारों के लिए लाभदायक होगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह आपने उसको विचाराधीन रखा है इसको भी उसी तरह विचाराधीन रख लिया जाय तो बड़ा अच्छा रहे। अगर इसको भी विचाराधीन रख लिया जायगा तो शायद काम्प्लीकेशन्स पैदा नहीं होंगे वर्ना एक एक्ट कुछ कहता है, टिनेन्सी एक्ट कुछ कहता है और दूसरा कुछ कहता है। दोनों तरफ काश्तकारों का ही मामला है, इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह इस समय एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो इस ओवरलैपिंग को मिटाने के लिए इसको भी विचाराधीन रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को फिर अर्ज करूंगा कि यह संशोधन आगे के लिए रखा जाय तो बेहतर होगा। इससे आपको, हमको और काश्तकारों को अपने हकूक और कानूनों को समझने का कुछ मौका मिलेगा और कानून कुछ साफ हो जायगा।

श्री मदनसिंह (दांता-रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट बिल है इसके मुतल्लिक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब तरह के काश्तकार एक ही तरह काश्त करते हैं तो इनके लिए ऐसे दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए। मुझे यह मालूम पड़ा है कि अधिकतर भूमिहीन जागीरदार लोग ही हुए हैं और ज्यादा कर के राजपूत जागीरदार लोग हुए हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और अब मिलने वाली है और यह गवर्नमेंट की राजपूतों के पीछे जो भावना बनी आई है वह देश में छिपी हुई नहीं है। अब अधिक से अधिक राजपूत रह गए हैं जिनको यह जमीन मिलने वाली है। अब इसमें यह आड़ लगा देते हैं कि वह नहीं बेच सकेंगे, इसको हटा देना चाहिए और उनको इस तरह के अधिकार दें ताकि वह बेच सकें। इसके सिवाय दूसरी बात नहीं है और इतना ही मुझे कहना था।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रखा गया है यह इतना साफ और स्पष्ट है कि आज कल जो छोटी छोटी जातियां हैं, भील आदि हैं, वे कभी कभी स्थितिवश अपनी जमीनों को बेच देते हैं। तो उनके लिए जिन जमीनों

(श्री मूलचन्द डागा)

का बंटवारा होगा और टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत जिनका बंटवारा होगा और उन जातियों को अलॉट की जायगी, तो अगर इस कानून के आधार पर उनको बेचने पर रोक नहीं रखी जायगी तो शायद है कि इन जमीनों को यह बेच दें, सिर्फ थोड़े से पैसों की जरूरत के लिए और वह फिर बिना जमीन के हो जायें। बहुत से बड़े बड़े लोग जो खुद काश्त नहीं करते हैं वह जिनको जमीनें मिलती हैं उनसे खरीद लेते हैं। वे थोड़े से लालच और लोभ के वश अपनी उस जमीन को जिस पर आज तक वे निर्भर रहे हैं, बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इस संशोधन में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर किसी प्रकार के विचार करने की आवश्यकता हो। अतः इसे पास किया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट बिल में तीन संशोधन हैं और इन तीनों के लिए मुख्तसर में अर्ज करना चाहता हूँ।

जहां तक पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनेशन को अमेंड करने का सवाल है वह साफ है कि पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन में जो ये शब्द लिखे हैं, "One'smanager oragent" इनको अमेंड करने के लिए इस अमेन्डमेन्ट को लाना बहुत जरूरी था। इसका मतलब साफ है कि जब राज्य की यह नीति निर्धारित है कि जो जमीन जोतता है वह उसकी होनी चाहिये, उसकी नहीं होनी चाहिये जो दूसरों से काश्तकारी कराकर पर्सनल रिस्क कुछ न करे या रक्खे और वे दूर बैठे बैठे अपना और धंधा करते रहें और इधर दूसरों से काश्त करवा कर इधर से भी फायदा उठाते रहें। इस नीति को प्लानिंग कमीशन ने भी माना है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी यही प्रिन्सिपल ले डाउन किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन लाया जा रहा है। उनका तो प्रिन्सिपल यहां तक जाता है कि जो जमीन का मालिक है विदिन ए रेडियस ऑफ टू थ्री माइल्स, उसे अपनी जमीन के नजदीक दो-तीन मील में रहना चाहिये, पर इस बात को हमने इस संशोधन में इन्सर्ट नहीं किया है। सिर्फ इतना ही कहा है कि बाई सबटिनेन्ट (अश्रव्य) उसके जरिये से जो खेती कराते हैं उसको पर्सनल कल्टीवेशन नहीं माना जाएगा। यह राज्य की नीति है और इसे सब जानते हैं। अब इस पर मोटिव इम्प्यूट करने की जरूरत नहीं है। इससे न नुकसान होता है न फायदा। यह सीधी सी बात है कि जो काश्तकार जमीन रखना चाहता है वह खुद पर्सनल रिस्क ले और यह वे तभी ले सकते हैं कि जब वे किसी न किसी तरह से पर्सनल सब्सक्राइब करें। इसी उद्देश्य को लेकर यह अमेंडमेंट पेश किया गया है।

दूसरा अमेंडमेंट है क्लॉज १५ में। इसमें सीधी बात है। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि राइट हो गया है उनको वापिस लिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्लॉज १५ में, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि पिछले तजुर्बे ने यह साबित किया है कि आज जो जमीन भूमिहीन बनकर लेते हैं और कुछ दिन बाद उसका लालच के वशीभूत होकर पैसा लेकर बेच देते हैं वे ऐसा न कर पावें। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो भूमिहीनों की समस्या हम हल करने जा रहे हैं, उनको किसी रोजगार पर लगाना चाहते हैं, और

Page No.37

(श्री दामोदरलाल व्यास)

खेती की पैदावार भी बढ़ाना चाहते हैं। वह मकसद इस तरह से खतम हो जाता है। दूसरे को बेच देना और फिर उनका भूमिहीन बन जाना यह बिल्कुल गलत बात है और आज के युग में जब कि भूदान का युग है, भूदान का सिद्धान्त लोग मान रहे हैं और जिसके बेसिस पर कि आज जमीन किसानों को दी जा रही है यह और भी गलत चीज है। भूदान का सिद्धान्त यह रक्खा है कि रेसीप्रोकल राइट नहीं दिया जाय और इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि भूमिहीन काश्तकार काश्त करके अपनी पैदावार बढ़ावे और इसी उद्देश्य को सामने रखकर उन्हें भूमि दी भी जाती है। वरना आज किसान को एक तरफ तो बसने के लिए, उसके खाने पीने के लिये हमने जमीन दी है और दूसरी तरफ कई तरह के परस्यु-एशन जो होते हैं उनसे मजबूर होकर वे उसे बेच देते हैं तो हमारा उन्हें बसाने आदि का मकसद ही खतम हो जाता है। इसलिये उसको बेचने का राइट हम देना ही नहीं चाहते। तो इसलिए महज़ उन लोगों की जमीनों को बचाने के लिये जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे लोग आवेंगे जो भूमिहीन हैं, हरिजन हैं, गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है या जिनको कहना चाहिये कि खेती के मजदूर हैं, उनको हम जमीन देंगे, तो उनको अगर बेचने का राइट दे दिया तो फिर रह क्या जावेगा उनके पास? इसलिए यह तो एक बहुत छोटे तबके के आदमियों के इन्टरेस्ट को बचाने के लिए एक प्रोविजन है।

दांता-रामगढ़ से आना वाले माननीय सदस्य से मैं नम्रतापूर्वक कहूँगा कि उनका यह विचार किसी हद तक ठीक नहीं, यद्यपि बिल्कुल ही गलत तो नहीं कहता, पर उनका यह सोचना गलत है कि इस सरकार की कोई इस तरह की नीति है जिसका असर उन राजपूत भोमियों पर पड़ेगा जिनकी जमीन की खुदकाश्त में गिनती की जाती है। मैं तो कहता हूँ कि यह उन लोगों के लिये बहुत अच्छी बात है कि वे मजे से काश्त करें, अपना निर्वाह करें। मैं नहीं सोचता कि कोई भी यह चाहता हो कि जो भूमिहीन जमीन पा चुके हैं उनको उन जमीनों पर काश्त करने का अधिकार देने के साथ साथ यह भी राइट साथ में दे दें कि वे उसे बेच कर फिर भूमिहीन बन जावें। एक हाथ से जमीन वे लें और दूसरे से बेच भी डालें। एक तरफ से बसें और दूसरी तरफ उजड़ भी जावें। इस बात को, मैं समझता हूँ, कोई भी माननीय सदस्य पसन्द नहीं करेंगे, बल्कि इसका स्वागत ही करेंगे बमुकाबले इसके कि आप कोई सरकार का मोटिव इम्प्युट करें। सरकार की ऐसी नीति कतई नहीं है, महज सोचने का फर्क है और कोई बात नहीं है।

तीसरा अमेंडमेंट है वह सेक्शन १६ का है और वह भी महत्वपूर्ण है। टीनेन्सी का जो मौजूद लॉ है, उसमें जो खुद काश्तकार हैं और जो सब-टीनेन्ट है, उनको राइट दिया गया है कि वे उस जमीन में एक लिमिट में मुआवजा देकर खातेदारी राइट एक्वायर कर सकते हैं। पर उस सेक्शन १६ में एक प्रोविज़ो रख दिया गया है कि जो बुल्स, सीड्स, मेन्योर आदि से साझेदारी रखता है उसे काश्तकार भी नहीं माना है, सब-टीनेन्ट भी नहीं माना है। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जिस उद्देश्य से यह दफा १६ में खुद-काश्त के काश्तकार को और सब-टीनेन्ट को राइट दिया था कि वे खातेदारी राइट एक्वा-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यर कर लें। वास्तव में यह प्रोविज़ो रखने से उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, जिनको कानूनन यह अधिकार है कि वे खातेदारी राइट प्राप्त कर लें वे इस प्रोविज़ो की वजह से वन्चित रह गये, क्योंकि लैण्ड होल्डर ने यह किया कि उसने सब-टीनेन्ट से यह लिखवा लिया कि सीड, मेन्योर, बुल्स आदि देंगे, खर्चा आदि देंगे और उस एवज में उसे खातेदारी राइट प्राप्त करने से वन्चित कर दिया। इसलिये यह संशोधन लाया जा रहा है; इसकी बड़ी जरूरत है। प्लानिंग कमीशन की भी यह स्पष्ट राय है और सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में भी यह प्रोवाइड किया गया है कि ऐसे प्रोविजन इसमें नहीं रहने चाहिये; इससे लोगों को रास्ता मिलता है, उस कानून की अवहेलना करने का और इस कानून से सब-टीनेन्ट्स और टीनेन्ट्स ऑफ खुद काश्त को जो राहत हम पहुंचना चाहते हैं उससे वे वन्चित रह जाते हैं। इसलिये यह छोटा सा प्रोविजन दिया गया है और इसको डिलीट करने का इस संशोधन में प्रोविजन है। मैं समझता हूं कि यह वाजिब है और उन लोगों के इन्टरेस्ट में है जो कि सब-टीनेन्ट हैं या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त हैं।

बाकी तो ऑर्डिनेन्स, ५७ को रिपील किया है क्योंकि ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ा था। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट लेजिस्लेशन है। बगैर किसी को कोई नुकसान पहुंचाये, काश्तकारों को कुछ राइट इससे मिलते हैं और जिनको बसाना चाहते हैं उनको आइन्दा उजड़ने से बचाया जाता है। मैं समझता हूँ कि यह ऐसा लेजिस्लेशन है जिसका विरोध करना ही नहीं चाहिये।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें पूछनी और कहनी हैं, अगर समय दें तो मैं अर्ज कर दूं। क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि मेरे खयाल तो ठीक हैं पर विचार ठीक नहीं, तो खयाल और विचार में मैं तो कोई अन्तर नहीं समझता। मेरा खयाल ठीक है। यह मैं स्पष्ट तौर से कह सकता हूं, सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि जो राजपूत हैं, भूमिहीन हैं उनको जो खातेदारी राइट मिलने चाहिये वे उन्हें न मिलें; अन्यथा यह कौन सा नियम है कि आज से जो जमीन के मालिक होंगे वे नहीं बेचेंगे, पहले वाले बेचेंगे? ऐसा कौनसा यह नया तरीका अपनाया जा रहा है? आज से पहले जिनको जमीन मिली है वे बेचेंगे, अन्य नहीं। इसलिये स्पष्ट तौर से जागीरदारों पर ही इसका असर पड़ने वाला है, उनको खातेदारी राइट नहीं मिला। जागीरदार नहीं होकर भूमिहीन हो रहे हैं। उनको जो भूमि मिलने जा रही है तब यह कोशिश की जा रही है जिससे कि वे मालिक नहीं रह सकें। इसलिये मैं तो यह कहता हूँ कि यह अन्याय का कानून बन रहा है। सबको एक सा कानूनी हक मिलना चाहिये। जब कानून बन रहा है तो एक के लिये ऐसा और दूसरे के लिये दूसरी तरह का इससे तो सरकार की नीति साफ मालूम पड़ रही है।

दूसरी बात कही गई कि ऐसे गरीब भील आदि हैं जिनके लिये यह कानून बनाया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके पास तो ऑलरेडी जमीन है। उनके पास तो बड़ी बड़ी जमीनें हैं, डूंगर हैं, तो वहां वे कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं और जिनको मिलने वाली है, वह प्रश्न तो आप जागीर

Page No.39

(श्री मदनसिंह)

कमिश्नर साहब से पूछ सकते हैं। वे बतावेंगे कि काफी संख्या में जो राजपूत हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। इफेक्ट नहीं होगा तो भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? सबको एक सरीखा राइट होना चाहिये। तो हमारे तो गले उतरे नहीं ये तर्क।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी के क्लॉज़ेज़ २ व ४ पर अमेन्डमेन्ट हैं।

श्री पी० के० चौधरी : I do not want to move.

श्री अध्यक्ष : एक अमेन्डमेन्ट की लिस्ट आई है श्री मोहरसिंहजी द्वारा। वे सर्क्युलेट तो नहीं हुए हैं वक्त पर। आपने बहुत लेट दिये, इसलिये अब वे नहीं लिये जा सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करूंगा कि जब और कोई अमेन्डमेन्ट्स नहीं हैं तो इसे पारित करने के लिये मुझे प्रस्ताव करने की इजाजत दी जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१२.४५ म० प०

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १६५७ (पुरःस्थापन)

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (अमेन्डमेन्ट) बिल के बारे में एक मोशन और है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (अमेन्डमेन्ट) बिल की पहले मुझे इजाजत लेनी चाहिये थी सदन से। इसलिये मैं अब प्रार्थना करता हूँ और प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा दी जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु अमेन्डमेन्ट बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करता हूँ।

बम्बई लोकल बोर्ड्स एण्ड प्राइमरी एजुकेशन (निरसन) विधेयक, १६५७ (विचारार्थ एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : बम्बई लोकल बोर्ड्स एण्ड प्राइमरी एजुकेशन (रिपीलिंग) बिल।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बम्बई लोकल बोर्ड्स एण्ड प्राइमरी एजुकेशन बिल विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बम्बई लोकल बोर्ड्स एण्ड प्राइमरी एजुकेशन (रिपीलिंग) बिल, ५७ को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१२.४८ म० प०

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ (खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रिकमिट किया जावे और इस करेक्शन के साथ किया जावे कि एक कॉम्प्रीहेन्सिव और कन्सोलिडेटेड एजुकेशन एक्ट राजस्थान की जनता के सामने आवे जिससे कि सक्सैसिव स्टेजेज् पर शिक्षा के अन्दर जो लेकुना इस सेकन्डरी एजुकेशन को लागू करने से पैदा होगा वह यह एक्ट फिल-अप कर दे।

अध्यक्ष महोदय, यों तो हम आज प्लानिंग एज के अन्दर रह रहे हैं। मगर जब एक सवाल का उत्तर दिया गया इस सदन के अन्दर तो मैंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर राजस्थान के अन्दर कोई शिक्षा का प्रोपर प्लान है या नहीं, सिवाय उस शिक्षा के प्लान के जिसको कि मैं न्यूमरिकल प्लान के नाम से एड्रेस करता हूं। न्यूमेरिकल से मेरा मतलब है ६०० प्राइमरी स्कूलें ५७ में खोली जावेंगी, ६०० स्कूलें ५८ में खोली जावेंगी। दो हाई स्कूल अप ग्रेड किये जावेंगे, ४ कॉलेज खोले जावेंगे, तो इस तरह की प्लान तो वाकई में मौजूद है इसलिये मैं इसको न्यूमेरिकल कहता हूँ मगर इस प्लान के भी अन्दर इतना एक लेकुना मौजूद है जैसे कि ५८ में हमें ६०० स्कूलें खोलनी हैं पर कब खोलनी हैं, कहां खोलनी हैं, किस आधार पर खोलनी हैं यह अभी तक ध्यान में नहीं है। जनता की मांग आवेगी तब देखा जावेगा, आर्थिक स्थिति सरकार की देख कर तब देखा जावेगा। यह हमारी शिक्षा की स्कीम की हालत है। जब से भारतवर्ष से अंग्रेज सरकार गई तब से हम इस शिक्षा की प्रणाली को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं और तब से हम यह भी चाहते हैं कि हमारे देश की जो इल्लिटरेसी है वह भी जल्दी से जल्दी खतम हो। तो अगर हम यह चाहते हैं कि आज हमारी जनता स्वतन्त्रता का और जनतन्त्र प्रणाली के आराम का उपयोग करे और अज्ञान और अविद्या से छुटकारा पावे और किसी एक अच्छी शिक्षा की प्लान को वर्क आउट करे तो हमको एक अच्छी एजुकेशन प्लान की बहुत सख्त आवश्यकता है। अब वह हो कैसे, यह हमें देखना है। गवर्नमेंट की एक फर्स्ट स्टेज है बेसिक स्कूलें खोलने की, दूसरी स्टेज आती है सेकन्डरी हाई स्कूलें खोलने की। अगर कोई मालूम करना चाहता है तो उसको नहीं मालूम कि बेसिक स्कूलों के बाद में क्या पद्धति या क्या प्रिन्सिपल या क्या स्टेप्स अख्तियार करने पड़ेंगे ताकि वह अपने बच्चों को एडमिशन दिलावे सेकन्डरी स्कूल में और जब सेकन्डरी बोर्ड एस्टेब्लिश कर दिया तो उनको नहीं मालूम कि उसमें

(श्री श्रीमानसिंह)

जो लड़का पास होगा उसका आगे कहां किस स्थिति में कैसे एडमिशन होगा, आखिर सेकन्डरी स्कूल के बाद गवर्नमेंट की क्या मन्शा है ? यह इसमें कहीं उल्लेख नहीं है । क्या सरकार उन बच्चों की शिक्षा यहीं खतम कर देना चाहती है या कुछ आगे भी जा सकती है, क्योंकि सेकन्डरी स्कूलों का जो मकसद है वह दूसरा है और उस मकसद को पूरा किया जाता है तो आगे सरकार को यह बताना चाहिये कि अगर कोई फर्दर स्टडी करना चाहे तो उसके लिये यह रास्ता है ।

अब हमारे संविधान में १४ साल तक तो कम्पलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की है, मगर शिक्षा जो है वह हमारा स्टेट सब्जेक्ट है तो इसके लिये एक यह भी खुलासा हो जाना चाहिये कि क्या १४ साल तक ही बच्चों को कम्पलसरी शिक्षा दी जावेगी ? क्या १४ साल के बाद में आगे कम्पलसरी का प्रोविजन नहीं किया जावेगा ? क्योंकि आज तक विदेशी शिक्षा की जो नीति रही है उससे ये लोग यही समझते हैं कि अगर १४ साल की उम्र तक ही पढ़ कर लड़का लाइफ में एन्टर करना चाहता है तो आज ऐसा है कि वह लाइफ में एकोमोडेट नहीं कर सकता । उसके पहले से ही डूम्ड टू फेल्योर कह सकते हैं । इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट को एक कोम्प्रिहेन्सिव प्लान से फायदा पड़ेगा । जनता आखिर जानेगी कि सरकार शिक्षा के लिए कौन सी एज रखना चाहती है । सरकार शिक्षा को आखिर फ्री रखना चाहती है, कोम्प्रिहेन्सिव रखना चाहती है या पेड (paid) रखना चाहती है ? अभी जो सरकार ने प्रणाली अपना रखी है वह एक हेप हेज़ार्ड प्रणाली है । अभी अभी सरकार ने शिक्षा की फीस के सम्बन्ध में भी इन्कम टैक्स लागू किया है । जो पेरेन्ट्स इन्कम टैक्स पे करते हैं वे फीस भी दें । यह डिसिज़न अच्छा हो सकता है लेकिन इस डिसिज़न पर यह नहीं सोचा कि स्कूल के अन्दर, जो शिक्षा प्राप्त करने की जगह है, बच्चों की बेसिक ट्रेनिंग की जगह है, क्या वहां इनइक्वेलिटी मिलनी चाहिए ? लेकिन वहां वह टू नेशन थ्योरी को लागू करती है । एक तो रिच क्लास है, यह उनकी है जिनके पेरेन्ट्स फीस देते हैं और एक वह क्लास है जिनके पेरेन्ट्स फीस नहीं देते हैं । तो इसका उनके ऊपर भी साइकोलोजिकल असर होगा । अगर एक कोम्प्रिहेन्सिव प्लान होता गवर्नमेंट के पास तो जनता जानती कि किस तरह सेकन्डरी एजुकेशन के ढांचे को फिट-इन किया जावेगा और किसी तरह अगर लेकुना पैदा होगा तो उसको कम्प्लीट किया जावेगा; तब जाकर यह ठीक होता । आपके एक तो टेक्नोलोजी के स्कूल्स हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेज़ हैं, उनका सवाल आता है, युनिवर्सिटी का सवाल आता है । जब बच्चा सेकन्डरी एजुकेशन समाप्त करता है, तब उसके एडमिशन की क्या प्रणाली होगी, अगर वह टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट में जावेगा तो क्या उसको एक साल का प्रिपेरेटरी कोर्स लेना पड़ेगा या नहीं ? क्या १४ साल से लेकर सीधा टेक्नोलोजिकल स्कूल में चला जावेगा ? इस तरह से प्रोफेशनल कॉलेजेज हैं; जैसे मेडीकल, वेटेरिनरी कॉलेजेज़ आदि । आज उसको यह नहीं मालूम कि उसको एक प्रिपेरेटरी कोर्स करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि जब सेकन्डरी कोर्स पास करके आता है और डाइवर्सिटी कोर्स का नतीजा यह होता है कि बहुत से सब्जेक्ट्स प्रिपेरेटरी कोर्स में तैयार करने पड़ेंगे या नहीं, प्रि स्टेज में कर लेता है उसको प्रोफेशनल

(श्री श्रीमानसिंह)

क्लॉजेज़ में माफ किया जावेगा या नहीं ?

१. ३ म० प०

जो लेकुनाज़ आते हैं इस बिल को सेपरेटली इन्ट्रोड्यूस करने से, हमारे सामने शिक्षा की कम्प्लीट पिक्चर नहीं रखते; जिस रूप में एक एक्ट मौजूद है जनरल एजुकेशन एक्ट के नाम से । इन सब को इसमें एसीमिलेट किया है । डेमोक्रेसी में जो जनता सरकार पॉवर में होती है वह जनता के सामने एक पिक्चर रखती है कि यहां पांच साल में शिक्षा की यह नीति रहेगी । इसलिए यह बहुत अनिवार्य है और यों भी अनिवार्य है कि जो शिक्षा की नीति है उसमें पब्लिक को असोशियेट नहीं किया गया है । अगर डेमोक्रेसी में टर्म्स ऑफ कन्ज्यूमर्स और टैक्स पेयर्स लेते हैं तो यह देखना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, किस तरह के चिल्ड्रन पैदा करना चाहते हैं, किस तरह के सिटीज़न पैदा करना चाहते हैं, किस तरह उनका मेन्टल, सोशल और पोलिटिकल डेवलपमेन्ट चाहते हैं, जिससे ये डेमोक्रेसी का जो ऑल राउन्ड कन्स्ट्रक्शन है उसमें पूरा हिस्सा ले सकें । लेकिन आज यह नहीं मालूम है । किसी तरह हर एक जगह पूछा जाय तो आज पब्लिक इस सम्बन्ध में बिल्कुल इग्नोरेन्ट है । ठीक है कि अगर पढ़ना लिखना कम्पलसरी हुआ तो स्कूल में भेज देंगे नहीं तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको कहीं भी एसोशियेट नहीं किया जाता ।

तीसरा, कहते हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स एन्ड रेगुलेन्शस मौजूद हैं मेडीकल एक्ज़ामिनेशन के लिए । अगर कोई कोम्प्रिहेन्सिव एजुकेशन एक्ट हो तो एक प्रणाली मालूम पड़ जाय कि आखिर किस हद तक गवर्नमेंट एक चाइल्ड को लुक आफ्टर करेगी, किस हद तक मेडीकल एड देगी, फ्री देगी या पेड़ (paid) देगी ? लेकिन गवर्नमेंट डाइरेक्टिव्ज़ के मुताबिक हो रहा है, डाइरेक्टिव्ज़ पोलिसी का तो पर्पज़ नहीं सर्व कर सकते, पब्लिसिटी भी नहीं देते । इसलिए एजुकेशन एक्ट में सरकार की क्या पोलिसी होगी, यह होना आवश्यक है ।

फिर फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेशन का का सवाल आता है । बहुत से माननीय सदस्य हैं और उन माननीय सदस्यों में से मैं भी एक सदस्य हूँ कि जो कम्पलसरी एजुकेशन....

श्री सोहनलाल भटनागर : On a point of, order, sir,

श्री श्रीमानसिंह : I am in possession of the floor and there can be no point of order.

श्री अध्यक्ष : Let us see what the point of order is.

श्री श्रीमानसिंह : But there must be some constitutional point of order, sir.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सदस्य जिस बात को लेकर इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं वह दूसरी है । सब्जेक्ट मेटर में सेकन्डरी एजुकेशन बिल है और जिन टोपिक्स पर माननीय सदस्य जाना चाहते हैं वे इस के परव्यू में नहीं आतीं, इसलिए परमिट नहीं करना चाहिये ।

श्री श्रीमानसिंह : You have not read my motion.

श्री सोहनलाल भटनागर : I have read and tried but I could not understand,

श्री अध्यक्ष : You will confine yourself to the subject of the Bill.

श्री श्रीभानसिंह : My motion is to recommit the Bill so that a more comprehensive Bill may come before the House.

श्री अध्यक्ष : Including primary and University education.

श्री श्रीभानसिंह : That is the policy of the Government. It is in my motion.

श्री अध्यक्ष : I have only permitted you to speak, otherwise the motion is that of Shri Tansingh that Bill be referred back to the Select Committee.

श्री श्रीभानसिंह : I have also submitted my motion to the Secretary Sahib.

श्री अध्यक्ष: Still it cannot cover the whole field of education as such, because that will be a new subject itself.

श्री श्रीभानसिंह : My motion is also for the recommittal of the Bill.

श्री अध्यक्ष : If it is for the recommittal, well, it will have to confine to the Secondary education which is the subject matter and not concerning all aspects of education.

श्री तनसिंह : But if the House directs so, the Committee will go into that question also.

श्री अध्यक्ष : The Bill before us is Secondary Education itself and in your Note of Dissent also you cannot go on further then that. I think your suggestions should refer mainly as to the manner in which the Secondary Education can be imparted.

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सेकन्डरी एजुकेशन का सवाल है उसको यों सिलेक्ट कमेटी को रिकमिट किया जाय कि सेकेन्डरी एजुकेशन के लिए जो कि इस बिल के द्वारा एडवाइसेज़ की गई हैं वे १४ साल से १७ साल तक के बच्चों के लिए हैं। अब यह एज १७ साल की ऐसी है कि जब स्टुडेन्ट, सेकेन्डरी एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड एजुकेशन, लेकर निकलता है तो वह एक्चुअली लाइफ में फिट-इन करता है। जो सेकन्डरी एजुकेशन का एम (aim) है और ऑब्जेक्ट है वह यह है, to prepare people for life to be able to take the responsibility of life and to be good citizen also and to participate in the economic and social reconstruction of the nation.

तो इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम एक सेवन्टीन इयर्स के चाइल्ड के ऊपर रखते हैं तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि यह जो १७ वर्ष की एज लिमिट रखी है वह ठीक है या नहीं। जहां तक मेरा अनुभव है और जहाँ तक और देशों की कोशिश है, उन्होंने जो एज और ड्युरेशन ऑफ सेकन्डरी एजुकेशन रखा है वह ४ साल का रखा है, इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि दूसरी सिलेक्ट कमेटी को यह रिकमिट किया जाय कि १७ साल की उम्र ठीक है या १८ साल की की जाय।

(श्री श्रीमानसिंह)

दूसरा, आज हम देखते हैं कि ऑल राउन्ड डेवलपमेंट किस चीज़ में हो या किस तरह के लड़के आयें। जब हम देखते हैं कि देश के अन्दर पॉवर्टी है और पॉवर्टी के दृष्टि-कोण को रखते हैं, संविधान की धारा को रखते हैं जिसमें १४ साल तक कम्पलसरी एजुकेशन है और हमारी राजस्थान सरकार की अभी तक कोई यह नीति नहीं है कि हम आखिर कहां तक कम्पलसरी एजुकेशन देंगे या जो सेकन्डरी एजुकेशन की स्टेज है वह कम्पलसरी एजुकेशन के अनुकूल है या नहीं; हो सकता है कि फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़ आती हों, मगर थोड़ी बहुत सी फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़ हैं, क्योंकि जो सेकन्डरी एजुकेशन है वह इस तरह की इन्स्टीट्यूशन्स कायम करने जा रही जो कि लर्न टू वर्क और लिविंग थ्रू वर्क को टीच करना चाहती है। तो जो स्टुडेन्टस वर्क करेंगे उससे थोड़ा एक्सपेन्डीचर रिकवर भी हो सकता है। इसलिए फाइने-न्शियल डिफिकल्टीज़ भी थोड़ी ही रह जाती हैं। मगर इस बिल के अन्दर यह कहें कि फ्री कम्पलसरी सेकन्डरी एजुकेशन हो तो यह सवाल पैदा होता है, यह आर्ग्युमेंट दे दिया जायगा कि यह बिल तो सिर्फ बोर्ड एस्टेब्लिश करता है, मगर गवर्नमेंट के, पब्लिक के सेक-न्डरी एजुकेशन के स्कूल्स हैं उनके प्रति जो गवर्नमेंट की पोलिसी है वह आखिर क्या है? 'बिफोर' कि किस एज से एडमिट किया जायगा किस २ स्कूल और कॉलेज से आयेंगे, और 'आफ्टर' कहां कहां जायेंगे। जहां तक बोर्ड का क्वेश्चन है वह सिर्फ एग्ज़ा-मिनेशन कन्डक्ट करेगा, मगर क्वेश्चन अब यह आता है कि यह जनरल टर्म एग्ज़ामिने-शन की है और हमको फिर देखना है और फिर हमको यों रीकमिट करना है कि किस चीज़ की क्या प्रणाली हो? क्या यह बोर्ड वही प्रणाली एडॉप्ट करेगा जो अभी तक एडॉप्ट की जा रही है? जिस मैकेनिकल एजुकेशन को हम दूर करना चाहते हैं, जिस कॉम्पीटेटिव सिस्टम पर हम आज चल रहे हैं, जो मेमोराइज़िंग सिस्टम आज एजुकेशन के अन्दर चल रहा है, जिससे हम दूर जाना चाहते हैं और अलग करना चाहते हैं, क्या वही सिस्टम यहां पर एडॉप्ट किया जायगा? जब तक इस बारे में क्लियर पॉलिसी न हो तो सेकन्डरी एजुकेशन बिल और सेकन्डरी एजुकेशन से क्या फायदा होने को है? यह चीज क्लियरली इस बिल के अन्दर नहीं दिखायी जा सकी है। इसलिए यह अनिवार्य है कि एक सेकन्डरी एजुकेशन बिल में ही जो कि सेकन्डरी एजुकेशन पर गवर्नमेंट की फुल कोम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी हो तो जनता को यह मालूम पड़ जाय कि हम यहां इस हद तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं जैसा कि दूसरे देशों के अन्दर है; यह मैं मानता हूं कि फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़ हैं, जैसे कि रूस के अन्दर, उन्होंने १८ साल की एज लिमिट रखी है और जहां तक इस बिल के अन्दर है ३ और १७ तक रखा है; जहां तक मेरा खयाल है जो सेकेन्डरी एजुकेशन कमीशन है, उन्होंने रिकम-न्ड किया है कि इसमें १८ साल तक का समय रखना चाहिये जो कि एजुकेशन लें यह निर्णय सिलेक्ट कमेटी ने नहीं किया है जो कि वाकई में होना चाहिये था, क्योंकि एक यन्ग लाइफ को लिविंग कन्डीशन्स की रेस्पान्सिबिलिटी शोल्डर करने के लिए भेजते हैं तो कोनसी एप्रोप्रियेट एज हो, जब कि वह पास कर लेता है सेकन्डरी एजुकेशन तो after secondary education what? यह क्वेश्चन जनता के सामने आयेगा और गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि

(श्री श्रीभानसिंह)

After secondary education what ? किधर वह जायेंगे ? हो सकता है कि आप कहेंगे कि अपना जो परसूट है उस परसूट को करेंगे, जिस एप्टीट्यूड के मुताबिक ट्रेनिंग मिली उसको लेंगे । लेकिन अपने परसूट और एप्टीट्यूट के लिए और भी स्पेशलाइज्ड करना चाहिए । आज कल यह हो रहा है कि जिस जगह सेकेन्डरी एजुकेशन काम कर रही है उन सब की कम्पलेन्ट है कि सेकन्डरी एजुकेशन के जो स्टूडेन्ट्स निकल रहे हैं वे सर्टेन लेवल पर नहीं आ रहे हैं कि तीन साल के अन्दर सब चीजें सीख जायं । एप्टीट्यूड के मुताबिक जिस एजुकेशन को वे स्पेशेलाइज्ड करना चाहें वे उस एमाउन्ट में थ्री. इयर्स में इन चीजों को इतने जल्दी एसिमिलेट नहीं करके, जब एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं तो सोचना होगा कि कितना पीरियड सेकन्डरी एजुकेशन के लिए जरूरी है । फिर यह देखना पड़ेगा कि जब वह पास कर ले तो १८ साल के बाद फिर क्या होता है, इस बिल के अन्दर कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

जो पब्लिक स्कूल्स यहां आज चल रहे हैं, आखिर उनकी क्या पोजीशन रहेगी? उदाहरण के रूप में बताऊं कि राजस्थान में मेयो कॉलेज है उसकी क्या पोजीशन रहेगी ? क्या इस डेमाक्रसी के अन्दर वह स्कूल कायम रहेगा या नहीं रहेगा ? क्योंकि यह देखना है कि एक स्कूल अपने केटरिंग से किसी क्लास को फायदा करता आया है । उसका केटरिंग उस क्लास के लिये उस वक्त निहायत जरूरी था क्योंकि गवर्नमेंट उस वक्त दूसरी थी । उसकी एजुकेशन का दृष्टिकोण दूसरा था । जब हम सेकन्डरी एजुकेशन लागू करेंगे तो पब्लिक स्कूल की क्या स्थिति रहेगी, उनकी क्या प्लेस रहेगी ? जो पब्लिक स्कूल एजुकेशन देंगे वे किस के लिए ट्रेन अप करेंगे ? वे उनको युनिवर्सिटी के लिए ट्रेन अप करेंगे, मेकेनिकल इन्स्टीट्यूशन्स के लिये ट्रेन अप करेंगे या वहां के पढ़ने वाले सीधे गवर्नमेंट सर्विस के लिए आ जायेगें और ऐसे स्कूल्स की पोजीशन वह हो जाती है जब कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट उनको एड देती है । एड प्राप्त करके वे एक पर्टीक्युलर क्लास को पब्लिक स्कूल केटर करेंगे । जब कि वह गवर्नमेंट एडेड हैं तो उनकी पोजीशन इस बिल के अन्दर क्लियर नहीं होती है । उनकी जो शिक्षा प्रणाली है, उनका जो ड्यूरेशन है वह आता है, सेकन्डरी एजुकेशन के अन्दर, पब्लिक स्कूल्स का हमको निर्णय करना पड़ेगा । अगर हम पब्लिक स्कूल्स को रखते हैं तो जो मैंने पहले हिन्ट किया था कि सेकन्डरी एजुकेशन के अन्दर दो नीतियां हमको लेनी हैं, एक रिचर क्लास के लिए जो कि पब्लिक स्कूल्स में जाती है क्योंकि पब्लिक स्कूल्स के एजुकेशन का स्टेन्डर्ड बेटर है, उनका लिविंग स्टेन्डर्ड बेटर है, मगर जो सेकन्डरी एजुकेशन के स्कूल्स गवर्नमेंट खोलेगी और उनमें जो लड़के पढ़ेंगे, इन दोनों एलीमेंटस का किस जगह जाकर कम्प्रोमाइज़ होगा ? सेकन्डरी एजुकेशन बिल के अन्दर यह क्लियर नहीं है ।

फिर यह देखा जाय कि पास करके जाते हैं तो गवर्नमेंट ने एक प्रणाली रखी है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है पब्लिक स्कूल्स में भेजने के लिये । यह मानलें कि यह गवर्नमेंट की नीति है फिर उससे फायदा कितने आदमियों को पहुँचता है । गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चार लड़कों को दे और उसका नतीजा क्या होता है कि ४ लड़के जो कि वर्किंग क्लास के थे उसमें से राइज़ करके वे मिडिल क्लास में आते हैं । उसका नतीजा क्या होगा ? क्या

(श्री श्रीमानसिंह)

जो इक्वेलिटी आज हम रेस्टोर करना चाहते हैं, जिसका कि बेसिस होना चाहिये एजुकेशन के अन्दर, उस इक्वेलिटी को आप पब्लिक स्कूल्स जैसी इन्स्टीट्यूशन्स को सेकन्डरी एजुकेशन के स्कूल्स के पेरेलल रिटेन करके समाप्त कर देते हैं। उस इक्वलिटी के आपॉर्ट्यून (opportune) को आपने अपने आप खत्म कर दिया है।

फिर यह देखना पड़ेगा कि आखिर किस एलिमेंट को इस सेकन्डरी एजुकेशन में एसोशियेट करना है। जहां तक बोर्ड के पर्सनैल इसमें दिये हुए हैं, एक्सपर्ट्स जो रखे हैं सेकन्डरी एजुकेशन के अन्दर, वह हैं हैड ऑफ दी इन्डस्ट्रीज एन्ड कॉमर्स डिपार्टमेंट, एग्रीकलचर डिपार्टमेंट, वेटर्नरी डिपार्टमेंट, इस तरह से। मगर देखना यह है कि क्या सैकन्डरी स्कूल या एजुकेशन का मतलब एक मैकेनिकल एजुकेशन है? क्या ऐसा है कि सर्टेन मशीनरी वर्क करती है जिसके अन्दर कुछ नट्स एन्ड बोल्टस प्रोवाइड करने हैं इसलिए उनको नट्स एन्ड बोल्टस की एजुकेशन देना है? अगर हमको एजुकेशन देना है, हमें एजुकेशन सिटीजनशिप के लिए देना है, उसको हम नहीं भुला सकते हैं। एक पेट्रियोटिज्म के लिए देना है, उसको नहीं भुला सकते हैं। तो क्या पेट्रियोटिज्म और सिटीजनशिप की एजुकेशन इस मेकेनिकल एजुकेशन से आ जायगी? क्या एक्सपर्ट्स इसको देख सकेंगे? मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट्स नेरो वीजन (narrow vision) के होते हैं वे क्या कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगर हम उन एक्सपर्ट के नेरो वीजन को लेंगे तो जो लेमेन का वीजन है उसको हम खो देंगे।

फिर सैकन्डरी एजुकेशन जो केटर करेंगे वह लोअर क्लास के लिए, जो टर्म व जिस तरह से वह होगा वह लोअर क्लास के लिए केटर करेंगे। एक लोअर क्लास के वर्कर्स को केटर करेंगे लेकिन उनका बोर्ड में कोई रिप्रज़ेन्टेशन नहीं रखा है। जिस क्लास को केटर करना है उस क्लास का एसोसियेशन, उनका रिप्रेज़ेन्टेशन उसमें होना चाहिए ताकि वे बताएं कि हमारे बच्चों को इस तरह की एजुकेशन की जरूरत है। सेकन्डरी एजुकेशन के अन्दर इस तरह का कोर्स होना चाहिए। मगर उनको आपने एसोशियेट नहीं किया है। इसलिए सेकन्डरी एजुकेशन बिल इस तरह का कम्प्रिहेन्सिव बनाया जाय कि गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी जो सेकन्डरी एजुकेशन की है वह जनता के सामने आ जाय और जनता उसका लाभ उठा सके तथा वह जान जाय कि १४ साल से आगे फ्री एजुकेशन मिलेगी या नहीं? हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं? यह मानना ही पड़ेगा कि वह गवर्नमेंट एफॉर्ड नहीं कर सकती है। फ्री एजुकेशन आपको फ्री किसी न किसी स्टेज पर तो करनी ही होगी। अभी आपको फाइनेन्शियल डिफिकल्टी रह सकती है और एक सर्टेन पीरियड तक रह सकती है। लेकिन आप गवर्नमेंट रन करते हैं, आपको मालूम होना चाहिये कि हमारी पोज़िशन कब ठीक हो जायेगी, हम उस पीरियड तक रख सकते हैं। सन् ६० तक या ६२ तक रख दें तो जनता को मालूम होगा कि सन् ६० तक या ६२ तक हमको शिक्षा दिलानी पड़ेगी और सन् ६२ के बाद फ्री मिलेगी। कोई दृष्टिकोण की चीज रहे इसलिये मेरा मसकद था कि आपको क्लीयर करना है, आप न्युमरीकल्स में नहीं फंसे। आपको ५०० या ७०० स्कूल्स खोलनी हैं, यह तो आपको करना ही है; यह नहीं करेंगे तो जनतंत्र क्या हुआ? तो

Page No.47

(श्री श्रीमानसिंह)

आपकी पोलिसी क्लियर नहीं है । क्योंकि यह सेकन्डरी एज्युकेशन बिल है इसमें पोलिसी क्लियर करने का आपको मौका है और मैं आशा करता हूं कि आप इस मौके को छोडेंगे नहीं ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव है कि:

"That the Rajasthan Secondary Education Bill, 1957, be re-committed to the same Select Committee with direction to make additional provisions to incorporate a policy to improve the present system of examinations and to prescribe conditions for recognition of private institutions for the privilege of the Board."

माननीय अध्यक्ष, हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो निर्माण का है वह केवल आर्थिक दृष्टि से से अपने देश को समुन्नत बनाने का ही नहीं बल्कि आध्यत्मिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से भी इस देश को योग्य बनाना है । हमारी पंचवर्षीय योजना में जो विकास कार्य हैं उन कार्यों में सरकार विशेष दिलचस्पी रखती है और वे सारे कार्य आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन आज जो हमारे सामने बिल है वह सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद यहां प्रस्तुत हुआ उसके बाद भी ऐसी कोई चीज इसमें दृष्टिगोचर नहीं होती जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नये रूप में देनी चाहिये । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । यहां तक कि सत्तारूढ़ दल के बडे बडे नेताओं ने भी इसकी भर्त्सना की है । आज जो बिल आया है उसमें कोई नई बात नहीं है सिवाय प्रचलित पद्धति को राजस्थान में उसी रूप में स्वीकार करने के ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि हमने ८–१० वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई कदम नहीं उठाया तो इस अर्थ व धन के लाभ से क्या होगा, यदि हम ठीक प्रकार से उसको भोगने की क्षमता नहीं रखते हैं ?

आज हमारे देश में शिक्षा की दृष्टि से लोग उत्तरोत्तर डिग्रियां प्राप्त करते हैं लेकिन वास्तविक शिक्षा यानी देश और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना और नागरिक भावना का अभाव होता जा रहा है । यदि इस अभाव को कोई दूर कर सकता है तो वह शिक्षा विभाग और शिक्षा पद्धति दूर कर सकती हैं । मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्रीजी के पास ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिसके द्वारा वे राष्ट्र की सच्ची सेवा और उसका उत्थान कर सकते हैं । लेकिन खेद की बात है कि उन्होंने ऐसा अवसर प्राप्त करके भी ऐसा बिल रखा है जिसको देख कर यह नहीं कह सकते कि यह सन् १९३७ में रखा हुआ है या सन् ५७ में रखा हुआ है । ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने सन् ५७ में इस बिल को रखा है जब कि लोग बहुत आगे बढ़ गये है । स्वतंत्रता प्राप्ति को आज ८ वर्ष हो चुके है । मैंने इस बिल को उसी सिलेक्ट कमेटी को वापिस भेजने के साथ दो बातें लगाई हैं । एक तो यह कि हमारी एग्जामिनेशन या परीक्षा की पद्धति में परिवर्तन लाना आवश्यक है । हमारे यहां क्या होता है कि एक केरिकुलम की कुछ पुस्तकें प्रेस्काइब की जाती हैं । उनको पढ़ने वालों में से ज्यादातर उनको रटनेवाले किताबी–कीड़े होते हैं जो

(श्री तनसिंह)

सारी किताबों को रट लेते है और एग्जामिनेशन में जाते हैं तब १०० में से ६० या ७० नम्बर ले आते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस समय अधिकतम लोग शिक्षा में रूचि रखते हैंऔर शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन इस शिक्षा से क्या फायदा यदि वे सारे लोग पढ़कर, जिन्होंने फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन हांसिल किये हैं, वास्तविक जीवन के उत्तरदायित्व से विमुख रहते हैं; उनकी पढ़ाई से क्या फायदा ? वह एग्जामिनेशन या परीक्षा ही क्या जो वास्तविक रूप से परीक्षा नहीं कही जा सकती ? क्या शिक्षा का मतलब केवल साक्षरता से है या शिक्षा का मतलब जीवन की सर्वांगीण उन्नति से है ? यदि सर्वांगीण उन्नति को स्वीकार करते हैं तो यह होना चाहिये कि शिक्षा के महत्व को समझें खाली किताबें रटकर परीक्षा में बैठने से नतीजा स्पष्ट है। आज मैं यह निवेदन करूंगा कि कि अभी जो आन्दोलन शुरू हुआ था उसके कारणों में और औचित्य और अनौचित्य में जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन केवल एक तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि जो राष्ट्र के भावी निर्माता हैं उन्होंने हमारे सामने प्रदर्शन किया। उस समय यह हो सकता है कि उनके साथ पुलिस ने अत्याचार और ज्यादतियां की हों, लेकिन ज्यादतियां करने के बावजूद भी वह अहिंसात्मक आन्दोलन था लेकिन इसमें अनुशासन का जितना पालन करना चाहिये था उतना नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि आज जो लोग पढ़ते हैं उनको जितना लेटिट्यूड अनुशासन हीनता का मिलता है उतना शायद पहले कभी नहीं मिलता था। आज विद्यार्थियों में अपने अध्यापकों और गुरूजनों के प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव होना चाहिये उतना नहीं है। आज वे अपने गुरूजनों से भी अपने को अधिक समझते हैं....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्या यह प्रणाली अच्छी नहीं हुई जब कि विद्यार्थी गुरूजनों से भी अच्छा समझते हैं ?

श्री तनसिंह (जारी) : यदि विद्यार्थी यह समझें कि मैं गुरूजनों से भी अच्छा हूं, अधिक जानता हूं तो क्या यह प्रणाली अच्छी हुई ? मै समझता हूं यदि कोई व्यक्ति अपने गुरूजनों में आस्था नहीं रखता हो और यह नहीं समझता हो कि वह मुझे अच्छी शिक्षा दे सकेगा तो क्या वह शिक्षा ग्रहण करेगा, क्या वह सोचेगा कि वह गुरू मुझे कोई ऐसी चीज दे सकेगा जो मैं नहीं जानता हूं ? यदि विद्यार्थी यह समझता है कि मैं गुरू से ज्यादा जानता हूं तो यह शिक्षा पद्धति की बड़ी भारी कमी है। वास्तव में मंत्रीजी ने यह बात कह कर इस बात की पुष्टि कर दी कि हमारी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है। विद्यार्थी जिस ओर जा रहे हैं उसका कारण है हमारी शिक्षा पद्धति, अतः उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है यही सोचना है। आप यह कह सकते हैं कि पुराने आश्रमों की तरह पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ने का समय नहीं है लेकिन आज भी वास्तव में ऐसा होता है कि जहां स्थान नहीं है वहां पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। आज बहुत से लोगों के पास पढ़ाने-पढने के साधन नहीं है तो भी इधर उधर से लाकर विद्याध्यन करते हैं।

लेकिन यह अब आवश्यकता इसमें तभी होतीहै, जब परिस्थिति कुछविपरीत हो। आज केयुग में जब मनुष्य को मकान रहने को मिल सकता है; तो वह जंगल में क्यों जायगा ? मेरा अभिप्राय यह है कि विद्यार्थी को सब

Page No.49

(श्री तनसिंह)

भौतिक आवश्यकतायें, सब भौतिक साधन शिक्षालयों में उपलब्ध हों, यह नहीं। इससे मूल सिद्धान्त में फर्क नहीं पड़ सकता। मूल सिद्धान्त के आधार पर विद्यार्थी जीवन के उत्तरदायित्व वहन करने के लिए, समाज को वहन करने के लिए शिक्षण संस्थायें विद्यार्थियों को योग्य बना सकें, उसका परिणाम देखने पर ही मालूम हो सकता है कि उन्हें किस हद तक और बढ़ाना है, हम किस दिशा में जा रहे हैं? ऐसे हजारों उदाहरण मिल सकते हैं, जिनसे स्पष्ट मालूम होता है कि विद्यार्थी समाज ऐसी दिशा की ओर जा रहा है और ऐसी दशा में हम आंख मूंद कर बैठे रहेंगे, तो हम राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को वहन नहीं कर सकेंगे। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। राष्ट्र का निर्माण करना हम सब का कर्तव्य है। मैं समझता हूं आज की शिक्षा पद्धति ऐसी अवस्था में है, जिसमें एक दम कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, धीरे धीरे ही इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके लिए आसान मार्ग यह है कि आज जो परीक्षा की पद्धति है, उसके अन्दर परिवर्तन किया जाना चाहिये। आज हमारी परीक्षा की पद्धति है, उसमें यह है कि विद्यार्थियों के सामने कुछ प्रश्न-पत्र आ जाते हैं, जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं और विद्यार्थी उन प्रश्नों के आधार पर उत्तर दे देते हैं ठीक ढंग से, किताबों के अनुसार, उन्हें इस परीक्षा सिद्धान्त के अनुसार पास कर दिया जाता है और उनको उतने ही अच्छे नम्बर मिलते हैं, जितने अच्छे ढंग से वे प्रश्नों के उत्तर देंगे। मेरा निवेदन यह है कि किसी सिद्धान्त को समझ लेना ही काफी नहीं है। किसी सिद्धान्त को समझने के लिए, उसका ठीक ढंग से उत्तर दिया जा सके, केवल यही काफी नहीं है, उत्तर देने के लिए योग्य बनना ही काफी नहीं है। किसी सिद्धान्त को समझ कर उसको कोई व्यक्ति जीवन में कितना ग्रहण करता है, यह देखने की चीज है। हम देखते हैं कि विद्यार्थी व्यावहारिक जीवन में उसके विपरीत करता है और सारे जीवन में सिवाय कुछ गुलछर्रे उड़ाने के, उसके पास और कुछ काम नहीं होता है। हम देखते हैं विद्यार्थी बुराइयों में ही लगे रहते हैं। आजकी परीक्षा केवल प्रश्नपत्रों पर ही आधारित रहती है, जो प्रश्न किसी व्यक्ति ने बना कर दे दिया, पिछले प्रश्न पत्रों को देखकर, उससे निर्णय कर जो प्रश्न-पत्र कोई बना कर दे देता है, उसके अनुसार परीक्षा होती है। इसके साथ ही कुछ लोग हैं जो गैस पेपर्स बनाते हैं कि यह प्रश्न इतने साल तक पूछा गया, इसलिए यह प्रश्न आयगा। ऐसे जो गैस पेपर्स निकलते हैं, उनको विद्यार्थी खरीद-खरीद कर पास होने की चेष्टा करते हैं। मेरा निवेदन है, मैं यह मानता हूं कि यह एक परीक्षा का सिद्धान्त है, एक उसूल है, जिस पर परीक्षा की जा सकती है, इसको मैं बुरा नहीं मानता; लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी ने जो पढ़ाई की है, परीक्षा के पहले तक, उस दरम्यान जो उसने शिक्षण हासिल किया है, उसका कितना वह प्रयोग करता है जीवन में। क्या उसके अनुसार सामान्य रूप से वह साल भर चलता रहता है या साल के आखिर में जब परीक्षा सिर पर मंडराने लगती है, तो अपने कमरे में १०-१० घन्टे बैठ कर किताबों को घोटना शुरू करता है या गैस पेपर के आधार पर परीक्षा की तैयारी करना आरम्भ करता है? मेरा निवेदन यह है कि मन्थली टेस्ट के अलावा साप्ताहिक टेस्ट भी हो सकते हैं और उनके अन्दर, जो शिक्षक अपनी कक्षा में जो पढ़ाते

(श्री तनसिंह)

हैं, या पढ़ाई के दौरान में जो उदाहरण दिये गये हैं, वे उदाहरण और पढ़ाई विद्यार्थी याद रखते हैं या नहीं रखते हैं और क्लास की पढ़ाई को छोड़ किताबों में क्या लिखा है, उसको घोटने में लग जाते हैं, यही देखना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारे सामने बिल पेश हुआ है, उसमें, हमारी जो परीक्षा की नीति है, उसमें कोई परिवर्तन लाने का काम नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि क्योंकि हमने बोर्ड बनाने का निश्चय किया है, तो जब वह बोर्ड बन जाये।, वह अपनी परीक्षा पद्धति का निर्माण करेगा। मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन यह करना है कि बोर्ड आपके दिये हुए डाइरेक्शन और निश्चित नीति के आधार पर चलेगा। हम बोर्ड द्वारा निश्चित की हुई नीति पर नहीं चलने वाले हैं। इसलिए हमें परीक्षा के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है और आज हम उस बोर्ड के बनाये हुए कार्यक्रमों को डिटो नहीं करें बल्कि हम स्वयं निर्णय करें कि क्या हम कोई ऐसी नीति-निर्धारित कर सकते हैं जिससे बोर्ड को मार्ग दर्शन मिल सके ? यह प्रोवीज़न इस बिल में नहीं है, ऐसी अवस्था में इस बिल में नीति इन्कॉरपोरेट करने के लिए यह बिल सिलेक्ट कमेटी को वापिस भेजना चाहिए।

दूसरी बात, जो मैंने अपने संशोधन प्रस्ताव में रखी है, वह यह है कि जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनको जो स्वीकृति दी जाती है, बोर्ड की तरफ से, वह प्रविलेज ऑफ बोर्ड में ली जाती है। इसके सम्बन्ध में एक निश्चित नीति होनी चाहिए। आज अवस्था ऐसी है कि जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं, वे खूब पनपती हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन्हें आर्थिक दृष्टि से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो ग्रान्ट इन एड के रूप में उन्हें मिल रहा है, उससे अधिक मिलना चाहिए। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। वे जो कुछ कन्ट्रीब्यूट करते हैं शिक्षा के माध्यम से, वह उत्साहवर्द्धक है, उसके बदले उनको उत्साह देना चाहिए। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कुछ ऐसी स्कूलें खोल दी जायं और उनमें विद्यार्थियों का निर्माण किया जाय, जो सरकारी नीति के अनुकुल न हो सकें तथा जिनका शिक्षण का ढंग और आचारण समाज और राष्ट्र के प्रतिकूल हो। यह आवश्यकता तो है ही कि इन स्कूलों में मास्टरों की संख्या एपरेटस की मिकदार आदि का निर्णय करने के बाद उस स्कूल को स्वीकृत दे दी जाय, लेकिन इसके साथ ही निश्चित नीति होनी चाहिए कि जो हम एग्जामिनेशन आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करें, वह नीति उन स्कूलों पर भी लागू होनी चाहिए और इस प्रकार हमारी शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें सरकार की निश्चित नीति कार्यान्वित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स अपने ढंग के अनुसार काम करें। इन सब बातों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल वापिस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे, जो इसकी गहराई में जाकर नीति निश्चित करे और उस नीति को इस बिल में लाये, ताकि जो बोर्ड भविष्य में बने, उस बोर्ड को अपने कार्य का सम्पादन करने के लिए रास्ता मिले और वह उस रास्ते पर चल कर अपनी सफलता बता सके।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं इस सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था, पर क्योंकि मैं एप्रूवल के वक्त

(श्री अनूपसिंह)

हाजिर नहीं हो सका और नोट ऑफ डिसेन्ट भी टाइम पर नहीं भेज सका, इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके बारे में कुछ अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : yes.

श्री अनूपसिंह : मेरे पहले मेरे दो पूर्व वक्ताओं ने सदन के सामने यह बात रखने की कोशिश की है कि आया हमें यह सिलेक्ट कमेटी से निकला हुआ बिल वापिस सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिये। जब यह सिलेक्ट कमेटी बनी थी उस समय मैंने, एक सदस्य की हैसियत से, सबको इस बात की अर्ज की थी कि इस बिल में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बोर्ड के सामने एक उद्देश्य रखे और जिस तक बोर्ड पहुंचने की कोशिश करे। ऐसा उद्देश्य, ऐसा एम, ऐसे डाइरेक्शन इसमें नहीं दिये गये थे। यह इसमें नहीं था कि बोर्ड को क्या करना है, बोर्ड को इतने साल काम करने के बाद इस चीज को करके बताना है, यह नीति निर्धारित नहीं की गई थी। मेरे ख्याल से सब सदस्य इस बात को मानेंगे कि हमारा यह जो सदन है, वह सबसे बड़ा है और जो बोर्ड को इस बात का निर्देश दे सकता है कि ये ये बातें, अमुक अमुक बातें हैं और इन तक बोर्ड को पहुंचना है और इस चीज को मद्दे-नजर रख कर ही उसकी सफलता या असफलता पर विचार हो सकता है। मेरे अर्ज करने का मतलब है कि जैसे भारत के विधान को जिन्होंने बनाया यह सोच कर बनाया कि इससे अमुक अमुक चीजें पैदा कर सकें, अमुक अमुक चीजों तक पहुंच सकें। चाहे कर सकें या नहीं, उन उद्देश्यों तक पहुंच सकें या नहीं, पर डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स उनके पास भी हैं कि यह करना है, नये विधान में हमें यहां पहुँचना है, यह हमारा उद्देश्य है, यह बड़े बड़े प्रिंसिपल्स, बड़े बड़े उद्देश्य उनके सामने रखे हुए हैं। हो सकता है, शायद उन पर पहुंच सकें या न भी पहुंच सकें; कोशिश में सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। इसलिये सदन की तरफ से ऐसे ब्रोड प्रिंसिपल्स, जिनको कि उद्देश्य कह सकें; ऐसे कुछ भी इस बिल में नहीं दिये हैं, जिन तक बोर्ड को पहुंचना है। मिसाल के तौर पर अर्ज कर देना चाहता हूं, जैसे हमारे लड़के स्कूल या कॉलेज से निकलते हैं, उनके पास दो चीजें होनी चाहिये, जब सेकन्डरी स्कूल को छोड़ कर निकल जायं तो उस समय वे या तो किसी धन्धे में लग सकें जिससे कि वे कमाने-खाने लायक हो जाय, कमा कर खा सकें, अपने कमाने लायक बन जायं और राष्ट्र के भी काम के हो सकें और दूसरे यह हो कि अगर वे धन्धे में नहीं जाना चाहते हों तो इतना अवश्य हो जाय कि आगे की हायर स्टडीज को लेना चाहते हैं तो उसके लायक हो जायं। तो इन में से, इन दो में से एक चीज के योग्य हो जायं, या तो कमाने खाने लायक धन्धा पकड़ लें या हायर स्टडीज में जायं तो इसके लायक हो जायं। ये दो चीजें नहीं कर सकें तो हायर सेकेन्डरी एज्युकेशन बोर्ड का काम, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सदन की ओर से कोई डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स उन्हें देना है कि बोर्ड को ये प्रिंसिपल्स पूरे करने हैं, जिससे कि उनके काम का मापदण्ड हो सकता है कि बोर्ड ने ये ये काम किये; नहीं किये तो कहां तक किये, कितने किये ? बोर्ड को अमुक उद्देश्य तक तक पहुँचना था, उस तक पहुँचा कि नहीं; अगर यह नहीं रखेंगे तो बोर्ड की सफलता या असफलता को नापेंगे तो काहे

Page No.52

(श्री नूरसिंह)

से नापेंगे ? आपके पास क्या मापदंड है कि बोर्ड ने यह काम ठीक किया कि नहीं किया, इतनी चीजें बोर्ड के सामने थीं, उन्हें पूरी की कि नहीं, जिस तरह के लड़के हम चाहते थे, उस तरह के लड़के निकल रहे हैं कि नहीं, टेक्निकल एज्युकेशन में जिनको डाला उन्होंने ऐसी एजुकेशन प्राप्त की या नहीं जिससे वे अपने आपका भला कर सकें और राष्ट्र का भी भला कर सकें और राष्ट्र में गुड सिटीजन की तरह रह सकें। इसलिये मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि सदन द्वारा जोर दिया जाकर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो ठीक रहेगा। मैं इस सिलेक्ट कमेटी का सदस्य होते हुए महसूस करता था और महसूस करता हूँ कि बोर्ड के सामने ऐसे ब्रोड प्रिंसिपल्स कुछ नहीं हैं। यह बिल जो यहां आया है, इसे अगर अमेरिका भेज दिया जाय कि हमारा वह खाका है तो अमेरिका वाले सोचेंगे कि किसलिये यह बोर्ड बनाया गया है ? क्या चीज थी जो बोर्ड को पैदा करनी थी ? दूसरे देशों को भी जिस रूप में यह अभी है उसी रूप में भेजा जाय तो वे भी क्या सोचेंगे कि यह क्या चीज है, किस लिये ? What were those things which the Board wanted to achieve?

सेक्रेटरी, एज्युकेशन कमीशन, केन्द्र ने जो डाइरेक्टिव्ज भेजे हैं, जो सिफारिशें भेजी हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए जरूरी है कि बोर्ड को इस तरह के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ब्रोड प्रिंसिपल्स कुछ रखने चाहिये जिनको बोर्ड स्वीकार करे तथा जिनसे बोर्ड की सफलताओं और असफलताओं को जनता, सदस्य, आप और हम नाप सकें। यह मैं अर्ज करूंगा। इसके साथ साथ और दूसरे डिटेल्स हैं जिनमें मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वे कार्य बोर्ड के लिये हैं कि वह निर्धारित करे, तैयार करे। आगे यहां आज तक शिक्षा विभाग के बारे में यह रवैया रहा है कि आज तक जितने डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन बने हैं सभी ट्रेन्ड थे या अनट्रेन्ड थे ? जो एज्युकेशनिस्ट्स हैं वे अब भी हमारे बोर्ड के अध्यक्ष की तरह आ सकेंगे, अब भी हमें विश्वास नहीं। जितने आज तक डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आये उनमें से कितने ट्रेन्ड थे कितने अनट्रेन्ड थे ? जैसा कि मौलाना साहब ने जो कि केन्द्र के शिक्षा मन्त्री हैं उन्होंने फरमाया था कि :

"That our states have failed to achieve the aims of the education."

जो कि उनके सामने रखा गया, था उन सिद्धान्तों को, उन उद्देश्यों को स्टेट्स ने पूरा नहीं किया, यह आज १० वर्ष बाद, हिन्दुस्तान के आजाद होने के १० साल बाद, रियलाइज किया जा रहा है पहली बार कि जो ब्रोड प्रिंसिपल एज्युकेशन का सामने रखना था, एज्युकेशन में जो इन्किलाब करना था वह अभी तक नहीं किया. इसको मौलाना साहब ने १० वर्ष बाद स्वीकार किया है, फिर कहीं शायद १० वर्ष निकल जाय और हमें मालूम हो कि हम जहां से निकले थे वहीं हैं, किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिये मैं जोर देकर कहूंगा कि इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो उचित होगा।

जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, परसों वैसे म्युनिसिपैलिटीज बिल चल रहा था और हमें आशा थी कि वही कन्टिन्युएशन में चलेगा, परन्तु सरकार ने देखा कि शिक्षा विधेयक पर अधिक अमेंडमेंट आये

Page No.53

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नहीं हैं इसलिये जल्दी से इसे पास कर दें। वास्तव में यह एक बहुत ही बड़े महत्व का बिल है, इस बिल का जितना महत्व हमारे देश के निर्माण में है, उतना शायद और किसी बिल का नहीं है फिर भी इस बिल को पास करने में जिस प्रकार की जल्दी की जा रही है वह अच्छी नहीं है।

जिन कारणों से इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में वापिस भेजने का प्रस्ताव रखा है वे विचारणीय हैं। आज की जो हमारी शिक्षा की अवस्था है और पहले जो इसकी अवस्था थी, उस समय में हम सभी लोग यह कहा करते थे कि देश में जो आज कमजोरी है, देश की जो आज सोचनीय अवस्था है, उसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों द्वारा नियन्त्रित है। लॉर्ड मेकॉले ने हमारे देश में क्लर्क पैदा करने की दृष्टि से इस शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया। हमारे देश के नेताओं ने उस समय कहा था कि जिस समय हमारा देश स्वतन्त्र होगा, उस समय इस शिक्षा प्रणाली को बदल देंगे। आज हमारे सामने यह ऐसा बिल है जिससे हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकें, ऐसा अवसर आया है। फिर भी हमें कहा जाता है कि हमने जो यह बिल बनाया है वह बोर्ड बनाने के निमित्त बनाया है, पर मेरा निवेदन है कि इस बोर्ड के अन्तर्गत ही तो सब कुछ आता है। बोर्ड इस सम्बन्ध में कमेटी बनायेगा, सारा ढांचा बनायेगा, सारा ढांचा हमारे इस बोर्ड के द्वारा होगा। हमारी शिक्षा को प्राइमरी और सेकन्डरी में बांटा जा सकता है। प्राइमरी शिक्षा अक्षर ज्ञान की है, अक्षर ज्ञान से अधिक इस क्षेत्र में विकास होता नहीं। सेकन्डरी एजुकेशन का सवाल आता है, सेकन्डरी क्षेत्र में बालक आता है तो उसके सामने इस प्रकार का क्षेत्र आता है, जिसमें सम्पूर्ण तरह का विकास हम कर सकते हैं, जो एट्मोस्फियर उसके सामने रखेंगे उसको लेकर वह देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। हमारा जो यह बिल बनाया गया है, उसमें सबसे विचित्र परीक्षा-प्रणाली है। यह परीक्षा-प्रणाली दूषित है, इससे विद्यार्थियों के सामने एक ही लक्ष्य रहता है कि परीक्षा पास करें। परीक्षा पास करने में किस तरह के हथकन्डे विद्यार्थी अपनाते हैं, यह शिक्षा मंत्रीजी से या और किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं कि एग्ज़ामिनेशन्स के कुछ दिन पहले ही विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं और इतना पढ़ते हैं कि शायद इस प्रकार के पढ़ने से यह खयाल किया जा सकता है कि वह प्रथम श्रेणी में आवेगा और उससे कम नहीं आ सकता, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पढ़ाई करने का वह विद्यार्थी का प्रारम्भ काल ही होता है। वह जनवरी, फरवरी में ही पढ़ना शुरू करता है क्योंकि उसके सामने किसी प्रकार का दृष्टिकोण नहीं रहता है। चौथी कक्षा से लेकर ९ वीं कक्षा तक तो क्वार्टरली या हाफ इयरली एग्ज़ामिनेशन्स भी होते हैं और उनके नम्बर भी जोड़े जाते हैं, जब उनको प्रोमोशन दिया जाता है, लेकिन जो मैट्रिक और इन्टर के विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ामिनेशन युनिवर्सिटी लेती है और इसलिये कई विद्यार्थी पढ़ने की परवाह नहीं करते। हाल ही में यहां पर जो मेट्रिक का रिजल्ट रहा है उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि वह ५० प्रतिशत रहा है जैसा कि मुझे मालूम है। हमारे यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि १०० में से ५० लड़के पास होते हैं, यह क्यों जब कि स्कूलों में इतने मास्टर लोग पढ़ाने के लिये रखे जाते हैं?

Page No.54

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

१.५१ म० प०

(श्री निरजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

परीक्षा लेने का जो तरीका है वह कोई अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन कितने लड़के किस श्रेणी में पास होते हैं यह देखने की बात है। जिन स्कूलों में ज्यादा लड़के पास होते हैं उन स्कूलों में वास्तव में कुछ पढ़ाई होती है। मगर इतने लड़के फैल होते हैं उसका कारण यह है कि प्रारंभ में लड़कों पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती और न लडके अपनी किसी प्रकार की जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन की प्रणाली ही इसी प्रकार की है। बाहर दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं कि जहां जहां शिक्षा संस्थाएं हैं वहां पर क्लास इन्चार्ज वीकली टेस्ट लेता है और जब वह देखता है कि वास्तव में इसकी योग्यता इस प्रकार की है कि यह आगे चल सकता है तो उसको आगे की श्रेणी में चढ़ा दिया जाता है। मगर हमारे हमारे यहां पर परीक्षा का जो तरीका है वह ठीक नहीं है। सरकार को परीक्षा से बहुत लाभ होता है, क्योंकि विद्यार्थियों से एग्ज़ामिनेशन फीस ली जाती है और सरकार के साथ मास्टर लोगों को भी काफी फायदा होता है क्योंकि उसमें से किसी को ८ आना और किसी को ४ आना प्रति कोपी के पीछे मिलता है। किस रूप में वे कोपीज़ जांचते हैं, यह भगवान ही जानता है।

दूसरी बात यह है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है। स्कूलों का यह कार्यक्रम रहना चाहिये कि आपस में प्रेम-भाव हो, मगर ऐसी बात नहीं है। आज यदि किसी से पूछा जावे कि विद्यार्थियों में आन्दोलन क्यों चलाया जाए? हमने सरकार का आन्दोलन में विरोध किया। मगर मैं यह कहूंगा कि विद्यार्थी लोग आन्दोलन करें, क्या यह सरकार के लिये एक अच्छी बात है? कदापि नहीं। विद्यार्थी समाज में इस प्रकार का आन्दोलन नहीं चलना चाहिये। विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्री द्वारा सही रास्ता दिखाना चाहिये, क्योंकि विद्यार्थी देश देश के भावी नागरिक हैं। ऐसा इसलिये होता है कि हमारे यहां शिक्षा पद्धति कोई दृष्टिकोण नहीं रखती है और वे लोग आज हमारे उन्हीं दूसरे नेता लोगों के पद चिन्हों पर चलते हैं और पुतले जलाते हैं, जिस प्रकार उन्होंने जलाये थे। इसी प्रकार का असर विद्यार्थियों के दिलों में हुआ।

पुस्तकों के बारे में जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा वहीं मास्टर लोग स्कूलों में उनको पढ़ाते हैं जो गैस पेपर्स निकालते हैं और अधिकांश उन गैस पेपरों में वही प्रश्न होते हैं जो वे एग्ज़ामिनेशन के लिये सेट करते हैं। उन्हीं सेट क्वश्चन्स को मिला मिला कर लड़कों से अलग कमाई करते हैं और लड़के उनको रट रट कर पास हो जाते हैं। इसके अलावा आज कल जिस प्रकार से कोपीज़ जांची जाती हैं उसको वे ही जानते हैं और इन्हीं सब कारणों से आज हमें इस प्रकार का यह मौका मिला है। इसलिये हमें अपनी शिक्षा पद्धति में किस प्रकार सुधार करना चाहिये, यह देखने की बात है।

एक बात शिक्षा मंत्रीजी ने कही कि पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, लेकिन जो पुस्तकें कोर्स में रखी गई हैं उनको देखने से ऐसा मालूम होता है कि...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि

Page No.55

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

माननीय वक्ता महोदय उस विषय पर ही बोलें जिन पर उनको बोलना है, और उस विषय के अलावा नहीं बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखें, मैंने अभी तक देखा नहीं है कि आप कहां रिपीटिशन करते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद : (जारी) जो कुछ पुस्तकें हमने स्कूलों में लागू कर रखी हैं उनमें किसी प्रकार से विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन लाने व उनके चरित्र में किसी प्रकार का विकास ला सकें, ऐसी कोई चीज नहीं है। इस प्रकार की कोई चीज जो उनका अनुशासन सिखाए और उनके चरित्र का विकास करें, हमारी सरकारी शिक्षा पद्धति में नहीं है और न उसको लाने का किसी ने प्रयत्न ही किया है तथा न इस प्रकार का शिक्षा संस्थाओं का वातावरण ही है जो हमारे देश के नवयुवकों के लिये बहुत ही आवश्यकता है।

इसके अलावा यह बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसको जल्दी में पास करने के लिये अपने म्युनिसिपल बिल को न चला कर पहले इसको ले रखा है, यह उचित नहीं है। इसको जल्दी में पास नहीं करना चाहिये। अत: मेरा निवेदन है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे ताकि इस पर सिलेक्ट कमेटी उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करे और इसलिये इसको पुन: सिलेक्ट को कमेटी में भेजा जावे तो अच्छा होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष, हमारे सामने सेकन्डरी एज्युकेशन बिल है यह पहली बार सिलेक्ट कमेटी में गया और दुबारा भी यह प्रस्ताव हमारे सामने आया है कि इसको फिर सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे। अभी अभी मेरे माननीय मित्र ने जो बाड़मेर से आये हैं, उन्होंने कहा कि सरकार जो बिल लाती है उसमें कई खामियें रखती हैं और फिर उस पर कई एमेन्डमेंट लाती है और हम भी उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। यह हाउस भी जिस प्रकार सरकार अपना बिल बिना सोचे-समझे लाती है उसी प्रकार बिना सोचे समझे, बिना हिदायतों के सिलेक्ट कमेटी में भेज देता है और यदि फिर उसकी पुनरावृत्ति हो तो मैं कहूंगा कि क्या हमारे हाउस की गलती नहीं है, यह बात हमने सोची नहीं है। हम सब लोग अपनी अपनी कोन्सटीट्युएन्सी से आये है और इस प्रजातंत्र के जमाने में अपने अपने प्रान्त के जनतन्त्र के समय में राजा कहलाते हैं; इस लिये हम हमारी सरकार हो मानते हैं। यदि हम हमारी सरकार पर ही सब दोषारोपण करते रहें तो मैं यह कहूँगा कि हमारी गलती होगी। मैं मानता हूं कि यह बिल ऐसा बिल है जो हमारे देश की शिक्षा पद्धति है उसको नये रूप में ढालने जा रहे हैं और उसमें जो खामियें हैं उनको दूर करने जा रहे हैं, उसके लिये यह बोर्ड बनाया जा रहा है; इस पर महत्वपूर्ण विचार किया जाना चाहिये। आज हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकॉले की नीति पर चल रही है। आप देखेंगे कि एक आदमी ने ही हजारों विद्यार्थियों को पास करने का पेपर सेट करके ठेका ले रखा है। एक आदमी एक एग्जामिनेशन पेपर जारी करता है और हजारों विद्यार्थियों को पास करने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। यह व्यवस्था इस समय है। यह पद्धति हमारे देश को किस तरफ ले जाएगी, यह भी हमें सोचना है। इसलिये हमें सोचना है कि आया हमें इसी शिक्षाप्रणाली को चालू रखना है या हमें इसको बदलना है। पहले ब्रिटिश शासन में शिक्षा उद्देश्य देश में गुलाब पैदा करना

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

था। लेकिन अब हमें शिक्षा से देश में अच्छे नागरिक पैदा करने हैं। ऐसी हालत में हमें सोचना है कि जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसको रख जावे या दूसरी पद्धति लागू की जावे। इसलिये जब हमें सेकण्डरी एज्युकेशन पद्धति चालू करनी है तो हमें सोचना होगा कि उसी पद्धति का अनुसरण करें या उसको बदलने के लिये ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं अभी यह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य इसके पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं ?

२ म० प०

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी) लेकिन इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर जो परीक्षा की पद्धति रखी गई है वह बिल्कुल गलत है और अब हमें किसी दूसरी किस्म की पद्धति पर विचार करना आवश्यक है और मैं आशा करूंगा कि सदन पुनः अपनी गलती महसूस करते हुए कि हमने इसको अच्छी तरह नहीं देखा और इसके बदले यह हुआ कि हमें फिर पुनरावृत्ति के लिए आगे जाना पड़ रहा है। मान लीजिए कि यह बोर्ड, खाली एक एज्युकेशन सिस्टम को किस प्रकार से कार्यान्वित करना है, इसलिए बन रहा है लेकिन यह तो प्रोवाइड कर सकते हैं कि एज्युकेशन का सिस्टम सेकन्ड्री एज्युकेशन के लिए किस प्रकार का रख सकते हैं। इसलिए जब कि हाउस के मेम्बरों का विचार यही है कि परीक्षा की पद्धति को हमें बदलना है तो मैं आशा करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी को ही भेजना उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member to my left please.

श्री मदनसिंह (दांता-रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के मुतल्लिक ऐसा समझता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजना चाहिए। यह सिलेक्ट कमेटी में ऑलरेडी जा चुका है और अभी अभी मैंने पढ़ा तो मालूम हुआ कि जो एज्युकेशन है वह आवानुक्रम पर है, इसलिए इसका भड़भड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें प्रिन्सिपल कॉमर्स कॉलेज, प्रिन्सिपल इन्जीनियरिंग कॉलेज हैं; यह सब हैं। इसलिए यह तो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति के आधार पर घटित है और बड़े बड़े लोगों ने इसे तय किया है। इसलिए इसको पास कर देना चाहिए ताकि आयन्दा लोग-बाग पढ़ पढ़ाकर धन्धे से लगें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में यह कहा गया कि सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है और जो अमेन्डमेन्ट्स दिए हैं उनमें यह नहीं दिया कि आगे हमारे भविष्य में शिक्षा की क्या नीति होनी चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए और किस बिना के ऊपर यह कहा गया है कि इस बिल को दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को निवेदन करूंगा कि जब हम कोई कानून बनाते हैं तो कानून किसलिए बनाया जा रहा है, वह देखने की चीज है।

आज हमारी शिक्षा के तीन हिस्से हैं जो कि हमारी शिक्षा की नीति को, शिक्षा की योजना को निर्धारित करते हैं। दूसरा जो हमारा हिस्सा है वह उस नीति को लागू करके उसी तरह के स्कूल, कॉलेज या अन्य संस्थाओं को खोलता है और तीसरा वह हिस्सा है कि जो हमारी नीति के अनुसार

Page No.57

(पूनमचन्द विश्नोई)

स्कूल या कॉलेज या अन्य संस्थायें खुली हैं उनमें कैसी पढ़ाई हो रही है या उस नीति का पालन हो रहा है या नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि पहला जो अंग है इस प्रणाली का या इस सिस्टम का वह सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड कहें या राजस्थान एडवाइजरी बोर्ड कहें या कमीशन समय समय पर युनिवर्सिटी कमीशन या सेकन्डरी एज्युकेशन कमीशन कहें या हमारी बेसिक या प्राइमरी शिक्षा के लिए अलग अलग कमीशन बैठे थे, उनकी रिपोर्ट है। हमारे देश की शिक्षा योजना उस कमीशन के द्वारा निर्धारित कर दी गई है और जब यह नीति उस कमीशन की रिपोर्ट में लिख दी गई तो उसके बाद में सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने जो रिकमन्डेशन्स दी थीं उन पर जांच की और उन पर अपना प्रस्ताव पास किया। उनका प्रस्ताव पास होने के बाद में जितनी भी स्टेट्स थी उन स्टेट्स को एक रूप में बुलाया गया और कहा गया कि आपमें से कौन सी स्टेट्स हैं या कौन सी सरकारें हैं जो इस नीति को मानती हैं। उसके बाद में भारत की जितनी भी स्टेट्स थीं, जितनी भी सरकारें थीं उन्होंने अपनी अपनी राय दी और किसी नीति को किसी ने माना और किसी नीति को किसी ने माना और वह एक रिज़ोल्युशन के रूप में चेंज आ गई। जब कोई सरकार या कोई राज्य एक नीति को या एक रिकमन्डेशन को मान लेता है तो उसके बाद में उसके माफिक ही अपने राज्य के अन्दर संस्थायें खोलते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन कर दूं कि राजस्थान सरकार ने युनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट, सेकन्डरी एज्युकेशन की रिपोर्ट और बेसिक एज्युकेशन की रिपोर्ट, इन तीनों रिपोर्टों को माना है और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिवाय बेसिक एजुकेशन के राजस्थान सरकार युनिवर्सिटी और सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन की नीति को जिस तरीके से अपना रही है और पालन कर रही है, हिन्दुस्तान की कोई भी स्टेट नहीं कर रही है और न ही कोई स्टेट इस मामले में राजस्थान से आगे बढ़ पाई है। मैं आपको निवेदन कर दूं कि थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स और ११ वर्षीय सेकन्डरी एज्युकेशन कोर्स का जितनी जल्दी हमारी राजस्थान सरकार पालन करेगी दूसरी हिन्दुस्तान की कोई भी स्टेट नहीं करेगी।

अभी यह कहा जा रहा था कि इस बोर्ड के अन्दर, जो बोर्ड बनाया जा रहा है, उसमें, शिक्षा की नीति को नहीं बताया गया। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर दूँ कि अपनी जो सरकार चल रही है उसमें एक तो विधान बनाने वाली संस्था होती है, दूसरी उसको लागू करने वाली होती है और तीसरी संस्था यह देखती है कि जो कानून बने हैं वह सही तरीके से लागू हुआ या नहीं। मैं आपको निवेदन करूं कि हाईकोर्ट आपके कानूनों को देखता है। सरकार उसको लागू करती है और विधान सभा उसको बनाती है। ब्रिटिश टाइम में हाईकोर्ट चल रहे थे और जो अब चल रहे हैं उनके जजेज़ की सर्विस की कन्डीशन्स, हाईकोर्ट का कम्पोज़ीशन, व उनकी पॉवर्स जो हैं उनमें कितना फर्क आया है ? उनमें, स्वतन्त्र भारत में कितना फर्क आया है ? हाईकोर्ट के रूल्स उठाकर देखो, उनकी पॉवर्स उठाकर देखो तो आपको मालूम होगा कि कोई फर्क नहीं हुआ है। लेकिन फर्क कहां है ? फर्क है बुनियाद में। जो कानून लागू करने होते हैं उनमें फर्क है। एज्युकेशन का जो बोर्ड बन रहा है, इसकी नीति को बनाना यह काम कोई लॉ डिपार्टमेंट का नहीं है; लेकिन नीति का पालन हो रहा है

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

या नहीं या नीति किस तरह से लागू हो रही है; वह परीक्षा लेकर अपने तरीके से देखेंगे कि ठीक है या नही है। यह भी कहा गया कि हमारी अपनी एग्जामिनेशन या इम्तिहान लेने की प्रणाली नियम में लिखी हुई होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि यह अपने क्षेत्र की बात नहीं है। कौन सी प्रणाली अच्छी है, उस पर मैं नम्र निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान में अच्छे से अच्छे शिक्षा के पंडित हैं, अच्छे से अच्छे एज्युकेशनिस्ट हैं और हिन्दुस्तान भर में बड़ी बड़ी संस्थायें चलाते हैं, उनकी गवाहियां ली हैं और फिर उसके बाद में एक रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट को हम लागू कर रहे हैं। थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स खोला है, मल्टी-पर्पज, बी० एस० टी० सी० और एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल खोले हैं। हमारी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको हम बेसिक एज्युकेशन बनाने जा रहे हैं तो वह नीति हम लागू कर रहे हैं। अब हमारी प्रणाली उसके अनुसार है या नहीं, यह बोर्ड देखेगा। तो बोर्ड के कम्पोज़ीशन या उसके कॉन्सटीट्यूशन में हम यह लिख दें कि एग्ज़ामिनेशन का यह तरीका चाहते हैं; मैं यह कहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता है। किसी कानून में नीति का विवरण नहीं होता। रेज़ोल्युशन में जो बातें आती हैं उसके माफिक ही कोर्स बनाया जाता है। उनको लागू करना और देखना, यह बोर्ड का फर्ज है। मैं निवेदन करूंगा कि यह कह देना कि इसमें नीति नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे भारत की नीति बहुत बदल गई है। लेकिन सिविल सर्विसेज़ की जो कन्डीशन्स हैं, उनके काम करने का तरीका है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है। जो हमारे नये से नये कानून हैं और पुराने से पुराने कानून, ऐवीडेन्स एक्ट है, इन्डियन पीनल कोड है जिससे हमारा इन्साफ किया जाता है, तो उसमें फर्क नहीं आया है। फर्क आता है केवल नीति में। नीति के लिए एक मशीनरी बनाई जाती है, लेकिन नीति कानून के अन्दर नहीं आती है। कानून के अन्दर कहीं नीति लिखी हुई हो तो माननीय सदस्य मुझे बतावें। उसको कैरी आउट करने के लिए, उसकी मन्शा को आगे ले जाने के लिए हर मामले में एक्ट बना दिये जाते हैं। हमारी पंच वर्षीय योजना को लागू करने के लिए कौन सा एक्ट है, बांध आदि बनाने का कौन सा कानून है; कोई भी नहीं है। यह तो एक नीति के अन्तर्गत बनाये जाते हैं। हमें स्कूल खोलने हैं तो क्या एक्ट में लिखा रहता है? यह तो जब हम तय कर लेते हैं कि बांध बनाने हैं तो बस बांध बना दिये जाते हैं। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस बोर्ड के क्षेत्र के बाहर की बातें माननीय सदस्य कह रहे हैं। इस हालत पर अच्छी तरह विचार किया गया। ये सब विषय कमेटी के सामने आये थे। बहुत सोच-विचार के बाद यह तय किया गया कि क्या प्रणाली होगी, क्या नीति होगी। हमने लिख दिया है कि एक एग्ज़ामिनेशन कमेटी बनायेंगे, शिक्षा के अन्दर आज के दिन कौन सा ट्रेन्ड चल रहा है, हमारी शिक्षा में किस प्रकार की नीति चल रही है, आज हम जनतन्त्रवाद की हुकूमत लागू करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश से बेरोजगारी मिटे, छोटे-मोटे उद्योग-धन्धे बढ़ें, इसी बात को ध्यान में रख कर हम मल्टी पर्पज स्कूलें कायम कर रहे हैं और उसी के स्टेंडर्ड को देखने के लिये यह बोर्ड कायम किया गया है। यदि इसे अमेरिका भी भेज दिया जाय तो यही होगा। नीति का जहां तक ताल्लुक है आप इसे कहीं भी भेजिये, यही होगा। आज हम देखते हैं, इन संस्थाओं

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

के अन्दर दिन प्रति दिन एग्ज़ामिनेशन की प्रणाली बढ़ती जा रही है, केरिकुलम भी दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसी के मुताबिक शिक्षा की नीति भी चल रही है ।

राजस्थान के अन्दर कोई शिक्षा की योजना नहीं है, ऐसा एक माननीय सदस्य ने कहा । मेरा उनसे निवेदन है कि हमारा शिक्षा का कार्यक्रम आंकड़ों का आधार लिये हुए है । हमारा जो महकमा है उसका आंकड़ों के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है और हमारे जिम्मे है कि हम नयी नयी संस्थायें बनायें ताकि हमारी हमारी शिक्षा प्रणाली की जो नीति है उसे लागू कर सकें । कितने मास्टर रखें ? कैसे स्कूल बनायें, कहां कहां बनायें इनकी स्वीकृति का काम हम कर रहे हैं । आगे यह भी कहा गया कि कम्पलसरी सेकन्डरी एज्युकेशन नहीं की जा रही है । चूंकि हमारे संविधान में यह उल्लिखित है कि ६ साल के बच्चे से लेकर १४ साल के बच्चे को कम्पलसरी एज्युकेशन दी जाय और वह भी निःशुल्क मिले, इसकी अवधि हमारे संविधान में हमने दस साल तक की रखी है । दस साल की अवधि में हम ६ से १४ साल तक उम्र के बच्चों के लिये कम्पलसरी एज्युकेशन कर देंगे और वह भी फ्री कर देंगे । वैसे राजस्थान प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है और शिक्षा के मामले में तो पिछड़ा हुआ है ही, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसा कोई भी प्रान्त नहीं है जो इस दस साल के पीरियड में अपने यहां के बच्चों के लिये कम्पलसरी एज्युकेशन कर दे । अभी शिक्षा मन्त्रियों की एक कॉन्फ्रेन्स हुई थी, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि इस अवधि मे पांच साल की और वृद्धि की जाय, उन्होंने यह भी कहा कि हम १९६५ तक भी इस स्थिति में नहीं आ पायेंगे, जिससे कि ६ से १४ साल तक के बच्चों को कम्पलसरी एज्युकेशन दे सकें । इसके अलावा बहुत से प्रान्तों के शिक्षा मन्त्रियों ने यहां तक कह दिया कि हम इस अवधि में भी शायद ही कम्पलसरी एजुकेशन कर पायेंगे ।

यदि हम इस बिल में सेकन्डरी एज्युकेशन को कम्पलसरी कर देते हैं तो इस नीति को कार्यान्वित करने में हमारे सामने बहुत सी दिक्कतें आयेंगी । आज हम उन प्रान्तों को देखें, जहां पर शिक्षा का स्तर हमसे बहुत ही ऊंचा है; जैसे बंगाल, बिहार, मद्रास, केरल, पंजाब आदि; उसमें भी वे कम्पलसरी सेकन्डरी एज्युकेशन नहीं कर सके हैं, वैसी हालत में हम कानून के अन्दर इस तरह की बात प्रोवाइड कर देते हैं तो वह हो नहीं सकती । कानून के अन्दर तो केवल वे बातें रखी जाती हैं, जिस बुराई को हम दूर करना चाहते हैं वे ही बातें रखी जाती हैं । ऐसे पॉलिसी के मेटर, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स रखने, यह कानून के स्फियर (sphere) की बात नहीं है । कानून में तो हम यह भी नहीं कर सकते कि इतने दिनों में हमें यह करना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष, यह भी कहा गया । कि हमारी जो पुस्तकें हैं वे बच्चों को यह शिक्षा नहीं देतीं कि उन्हें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, इसी कारण बच्चों में अनुशासनहीनता है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं, हम जो किताबें पढ़ने के लिये दे रहे हैं वे किताबें ऐसी नहीं हैं जिनसे छात्र वर्ग अनुशासनहीनता की ओर बढ़ें । ऐसी बात किसी भी किताब में नहीं होगी । हमारी पुस्तकों का जो स्टेंडर्ड है वह आदर्श के रूप में है । यह तो हमारे समाज की खामी है कि हमारे छात्र वर्ग में इतनी अनुशासन-

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हीनता पायी जाती है। जनतन्त्रवाद एक दिन में नहीं आ सकता, यह कोई सफेद कपड़ा नहीं है जो पहनने पर सब सफेद ही सफेद दिखने लग जाय और कोई दूसरा रंग न चढ़ सके। Democracy is not a weed that grows in every garden.

यह तो हाथ से कता हुआ और बुना हुआ सिस्टम है। हर जगह हर स्थान पर हमें यह सोचना चाहिये, हर नागरिक को यह सोचना चाहिये, क्या यह कार्य जो मैं करने जा रहा हूं वह उपयुक्त है या नहीं, जब किसी ऐसे काम को करने की प्रवृत्ति हो जिनमें अनुशासन हीनता का पता चले तो उसे ऐसी शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिये जो उसे ऐसे काम को करने से रोक सके। केवल यह कह देना कि शिक्षा प्रणाली का दोष है, मेरा नम्र निवेदन है कि हम अकेले इसके दोषी नहीं हैं। एक माननीय सदस्य ने यह मन्जूर किया कि उन्होंने भी एजीटेशन में भाग लिया, आज यदि वे ही माननीय सदस्य आकर यहां यह कह देते है कि छात्र वर्ग में अनुशासनहीनता है तो क्या यह शिक्षा का दोष है? एज्युकेशन कमीशन ने भी यह सिफारिश की है, यदि कोई राजनैतिक पार्टी छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने राजनैतिक स्वार्थ पूरा करने की कोशिश करती है तो उन पर यह जुर्म बना दिया जाना चाहिये; इस तरह के अन्दोलनों में भाग लेने की छूट नहीं देनी चाहिये। ऐसा करने वालों को पीनेलाइज किया जाय, इस प्रकार की बातें कहना माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देता।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि लड़कों के लिये मेडिकल एड का प्रबन्ध नहीं है। जहां तक मेडिकल एड का ताल्लुक है, मैं निवेदन कर दूं कि बच्चों की शारीरिक जांच समय समय पर हुआ करती है और उनके लिये दवाइयों का भी प्रोवीजन किया जाता है लेकिन इस चीज को कम्पलसरी कर देना बोर्ड के हाथ की बात नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि हम अपने प्रान्त के इन्टीरियर से इन्टीरियर भाग में स्कूलें खोलने जा रहे हैं जहां पर समुचित रूप से आवागमन तक की व्यवस्था नहीं, रेलवे स्टेशन की सुविधा नहीं, जहां पर बीस-बीस या तीस-तीस मील तक कोई स्टेशन नहीं, तो ऐसी जगहों पर हकीम, वैद्य या डाक्टर का प्रबन्ध होना नामुमकिन है। हमने आम तौर से सदन में इस पर काफी विचार कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, यह बिल कोई नीति नहीं है, इसी बात पर सब कमेटी के सदस्य यूनेनिमस थे।

"Whereas with a view to develop the system of Secondary Education in the State on modern, scientific and progressive lines, it is expedient to provide for the establishment of a Board to reorganise, regulate and supervise such education."

यह एम एन्ड ऑब्जेक्ट में हमने दिया है। इसके अलावा एग्जामिनेशन का सिस्टम भी हमने रख दिया है, इसके लिये भी कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि एग्जामिनेशन की पद्धति अब रहनी नहीं चाहिये, यह हमारे अधिकार की बात नहीं है। इसके बारे में हरेक शिक्षा विशेषज्ञ की अलग अलग राय है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस लें।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय।....

Page No.61

श्री उपाध्यक्ष: Order please! There is no right which accrues now so far as the Hon'ble Member is concerned.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जहां तक इस सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड के एस्टेब्लिश करने का सवाल था यह मैंने नहीं कहा कि इसलिये इस बिल को फिर से सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड तो एक कोन्सीक्वेन्सल चीज है, यह पहली चीज नहीं है। पहली चीज जो हमें डिसाइड करनी है वह सेकन्डरी एजुकेशन पॉलीसी की करनी है। कौन कौन सी एजेन्सीज़ हमें बनानी हैं जिनके जरिये ये पॉलिसी एग्ज़ीक्यूट की जा सके, इसका डिसीज़न बाद में लेना है, अगर मैं यह कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहां पर यह कहावत चरितार्थ हो रही है "we are putting the cart before the horse" वाकई ऐसा ही हो रहा है। एग्ज़ीक्युटिव एजेन्सी तो हम क्रिएट करेंगे ही लेकिन पॉलसी क्वेश्चन का जहां तक ताल्लुक है मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, महिलाओं की शिक्षा के लिये सरकार ने सेकन्डरी स्टेज पर क्या निर्णय लिया है? क्या लड़कियों के लिये अलग स्कूल खोले जायेंगे या एडोलेसेन्ट एज तक लड़कों के साथ रहेंगे? इस संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। इस सम्बन्ध में वाकई निर्णय होना चाहिये। आखिर इस संबध में आपकी क्या ओपीनियन है? गवर्नमेंट की ओपीनियन कुछ भी हो सकती है, लेकिन शिक्षा विशेषज्ञों की राय इसमें भिन्न भिन्न है; कईयों कि यह राय है एडोलेसेन्ट एज तक लड़कियों की शिक्षा लड़कों के साथ होनी चाहिये और कई विशेषज्ञों की यह भी राय है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन साथ साथ दी जाय। गवर्नमेंट की तरफ से इस संबंध में कोई स्पष्ट पोलिसी नहीं है।

मेडिकल एड के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ बातें कहीं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि हमें अपनी फाइनेन्शियल पोजिशन इस बात के लिये अलाउ नहीं करती। यह मैं भी मानता हूँ कि आर्थिक व्यवस्था पर्मिट नहीं करती लेकिन जितना पर्मिट करती है उसके बारे में तो क्लियर कट पोलिसी ले डाउन कर दीजिये।

संविधान के अन्दर छः से १४ साल तक के बच्चों के लिये कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन कर दी जायगी यह आप कैसे करेंगे, इस बारे में आपके पास कोई पोलिसी निर्धारित नहीं है। इसका टू ईयर्स का पीरियड कन्फ्लिक्ट करता है तो उस दो साल के पीरियड के बारे में कुछ क्लीयर होना चाहिये था। जो प्राइमरी से सेकंडरी एजुकेशन की स्टेज है वह आपकी ११ से १७ तक और कम्पलसरी एजुकेशन के लिये जो संविधान में प्रोविज़न है वह है १४ साल तक, तो यह जो दो साल कन्फ्लिक्ट करता है उसका क्या खुलासा है? किस तरह से आप इसे अकोमोडेट करेंगे? फिर आपकी पोलिसी कन्फ्लिक्ट हुई या नहीं? कोई क्लियर कट पोलिसी हुई आपकी इस बारे में?

जैसा कि मैंने बताया, आप टीचर्स अपोइन्ट करते हैं, मैंने इस पर एक पोइन्ट रेज़ किया कि जो पब्लिक स्कूलें हैं वे एक तरह से पेरेलल बोडी की तरह से रन करेंगी उनकी तरफ आखिर सरकार की क्या नीति है? उनको क्या एड दी जावेगी? मेन्टेन किया जावेगा या डिस्करेडिट किया जावेगा या इनको

(श्री श्रीभानसिंह)

भी सेकन्डरी स्कूलों में तब्दील कर दिया जावेगा ? इस पोइन्ट पर भी सरकार ने कोई रोशनी नहीं डाली ।

अब अगर इन्हें ऐसा का ऐसा ही मेन्टेन करते हैं तो मेरा वही ओब्जेक्शन साफ और सही है कि इस डेमोक्रेसी में भी आप टू नेशन्स थ्योरी को अपीज़ करते हैं, उसे मानते हैं । जो लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और उन्हें जिस लेवल की शिक्षा मिलेगी उस लेवल की एजुकेशन पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एमिनिटीज़ सरकारी स्कूलें प्रोवाइड कर सकेंगी पब्लिक स्कूलें वे (एमिनिटीज़) प्रोवाइड नहीं कर सकेंगी । इनमें फर्क रहेगा । ट्रीटमेंट में फर्क रहेगा । फिर क्या होगा ? आखिर अब आपने टू नेशन्स थ्योरी को पर्पेच्युएट किया तो इसको देखते हुए आपकी पोलिसी क्लियर कट होनी चाहिये । इस बारे में स्पष्ट करना चाहिये आपको कि हम पब्लिक स्कूलों को इस तरह से डील करेंगे ।

. यह है कि आप स्कोलरशिप देंगे, ४ लड़कों को, वर्किंग क्लास के लड़कों को मिडिल क्लास में रेज़ कर दिया, तो इससे क्या आपने कोई इक्वेलिटी एस्टेब्लिश कर दी ?

जहां तक ह्युमन एजुकेशन का सवाल है हमारे संविधान में सबको इक्वल ऑपोर्चुनिटी दी गई है । धर्मों का और जातियों का कोई खयाल नहीं रक्खा गया है । पर प्राइवेट स्कूलों में इसे एप्लाई किया जावेगा ? रिलीजियजस स्कूलों में इसे मेन्टेन किया जावेगा ? यह डिसीज़न भी आपको लेना है ।

मेरा सवाल है, एजुकेशन कमीशन ने जो प्रोवाइड किया है वह है ११ से १७ साल तक, मगर एजुकेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी ओपीनियन है ११ से १८ साल तक के लिये और उन्होंने यह रिकमन्ड किया है कि केन्द्र यह चाहता है कि सेकेन्डरी एजुकेशन पीरियड चार साल का रहना चाहिये । १७ साल के लिये केन्द्र नहीं रिकमन्ड करता है । अब ४ साल का होगा तो बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं ले सकेगा, ऐसा कहां लिखा है एक्ट में ? तो इसे क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिये कि सेकन्डरी एजुकेशन का पीरियड चार या तीन साल का रहेगा । गवर्नमेंट ने तीन साल के लिये किया है पर मेरा खयाल है और मेरा यह कहना है कि यह एक्सप्लेनेशन होना चाहिये कि यह इस कारण से है कि हमारी फाइनेन्शियल कन्डीशन पर्मिट नहीं करती कि हम इस पीरियड को चार साल एक्सटेन्ड करें । तो इससे पब्लिक के दिमाग में एक क्लियर कट पिक्चर तो रहती पर ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है । मैं याद दिलाता हूँ आपको कि अगर आप एजुकेशन एक्ट, १९४४ इंगलैंड का पढ़ेंगे तो किसी को भी उसे पढ़ने मात्र से सरकार की एजुकेशनल पोलिसी क्लियर कट मालूम पड़ जावेगी । जो भी शंकाएं हो सकती हैं उन सबका खुलासा उसमें पहले से ही दे दिया गया है । उसमें सब साफ है कि एजुकेशन के मुतल्लिक हमारी यह क्लियर कट पोलिसी रहेगी, मेडिकल फेसिलिटी हम इस एज तक रक्खेंगे, कम्पल्सरी एजुकेशन इस एज तक मिलेगी, वगैरह, वगैरह सेकन्डरी एजुकेशन को एग्ज़ेक्यूट करने के लिये हमने यह एजेन्सी बनाई है और यह हमारी साफ साफ नीति है, यह सब उसमें है ।

अब आपने आगे बताया है कि आप मोडर्न साइन्टिफिक एजुकेशन देंगे । पर इसका

(श्री श्रीमानसिंह)

खुलासा नहीं किया। आप मोडर्न साइन्टिफिक कौन सी एजुकेशन गिनते हैं ? आज रशियन सैटलाइट तक मोडर्न साइन्टिफिक एजुकेशन पहुँच गई है तो इसके मुआफिक देंगे, हाइड्रोजन बोम्ब या एटम बोम्ब से इसे अपलिक करेंगे, यह खुलासा नहीं है। करना चाहिये था यह खुलासा क्योंकि मोडर्न साइन्टिफिक की टर्म आज ऐसी है कि they are appealing modern scientific trems, they are appealing.

हमें बड़ा अच्छा लगता है यह मोडर्न साइन्टिफिक एजुकेशन का फ्रेज। पर लॉजिकल कन्क्लुज़न पर आने की कोशिश करें तो मोडर्न से मशीनों के बारे में समझेंगे या सैटेलाइट की एज समझेंगे ? कौनसी समझेंगे, इसमें दोनों का भ्रम हो सकता है। तो इसका खुलासा होना चाहिये। यह डिफाइन होना चाहिये कि विदिन ए शॉर्ट स्पेन हम कम्पीट कर सकें उन्हें। आपने जो इस तरह से लिखा है इसे एजुकेटेड आदमी फिर भी समझ सकता है पर एक ले मैन तो जान ही नहीं सकता कि मोडर्न साइन्टिफिक एजुकेशन क्या है ? इस के एम और ऑब्जेक्ट्स को पढ़कर वह आज के सैटलाइट एज का अन्दाज नहीं कर सकता।

जैसा आगे माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि यह बिल जो वे ला रहे हैं यह तो एक सिस्टम, ईवल सिस्टम था उसको राइट-आउट करने के लिए ला रहे हैं। पर यह भी क्लियरली इन्डीकेटेड नहीं है। अगर यह होता तो मैं यह भी मान लेता कि इसमें इतनी पॉलिसी मौजूद है। एक तरफ तो सरकारी स्कूलों में एकेडेमिक एजुकेशन, मैकेनिकल एजुकेशन, मोडर्न साइन्टिफिक एजुकेशन आप देंगे और दूसरी तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में वही ईवल सिस्टम प्रीवेल करेगा ? यह कैसी आपकी पोलिसी है ? जिसको आप एक तरफ राइट-आउट करने जा रहे हैं, उसी को पर्पीच्युएट भी करेंगे पब्लिक स्कूलों में। तो इस तरह से दो पॉलिसियां आपकी कन्फ्लिक्ट करेंगी ? इधर ईवल सिस्टम परपीच्युएट करेगा और उधर गुड सिस्टम। तो जो ईवल सिस्टम लाइक करते हैं और अपने बच्चों को उन ईवल सिस्टम वाले इन्स्टीट्यूशन्स में भेजते हैं तो मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह उनको वहां से सेव करे, बचावे कि वह होनहार सन्तान अब आगे से उस ईवल मैथॉड के सिस्टम में एजुकेशन न ले पर गवर्नमेंट के गुड सिस्टम में ले। पर उसे ड्राइव-अवे करने के लिये और वहां से बच्चों को बचाने के लिये कोई क्लियर कट पोलिसी सरकार की इसमें नहीं दिखाई देती।

यह तो मन्त्री महोदय ने कह दिया कि हटा रहे हैं। पर मन्त्री महोदय ने बताया एग्ज़ामिनेशन के लिये। पर एग्ज़ामिनेशन को हटाने, रखने के लिये एक्सपर्ट्स की ओपीनियन क्या है, यह मैंने खुद ने जानने की काफी कोशिश की पर जान नहीं सका। इस पर एक्सपर्ट ओपीनियन इम्फेटीसिटली डिवाइडेड है That serves no guidance और जो बॉडी और जनरल प्रिन्सिपल्स रक्खे गये हैं रिपोर्ट में कम से कम वे तो इन्कोर्पोरेट हो सकते थे। आखिर एक्सपर्ट, ओपीनियन एक निर्णय पर आती है कि जो अगर एग्ज़ामिनेशन्स नहीं रक्खें तो क्या रक्खें ? रशिया ने ट्राई किया इसको नहीं रखने के लिये, पर आखिर वे भी इसी नतीजे पर आये कि रखना चाहिये और इससे यह लगता है कि Experts' opinion, it is hopelessly divided. The opinion regarding examinati-

(श्री श्रीमानसिंह)

ons, is still shifting. यह निर्णय अगर हम करते हैं तो आगे चल कर हमें उसे फिर रखना पड़ेगा। उन्होंने कन्डीशन्स दी हैं। ब्रॉड कन्डीशन्स ले आउट कर सकते हैं। जैसे रूस में एक ओब्जेक्टिव टेस्ट रखते हैं। जब एग्ज़ामिनेशन कन्डक्ट होते हैं तो मास्टर श्री मन्थ्स, सिक्स मन्थ्स का बच्चे के स्कूल का रिकार्ड देखते हैं और सब देखने के बाद भी अगर बच्चा फैल हो जाय तो प्रोमोशन देते हैं। इसलिए यदि सैकेन्डरी स्टेज पर एजुकेशन प्रणाली को एक्सरसाइज़ करेंगे तो उन स्टुडेन्ट्स को उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे कि केवल इम्तिहान में ही पास होना है। लाइफ में उसको प्रोग्रेस करना है, सिटिज़नशिप के जो कर्तव्य हैं उसको किस प्रकार निभाना है, सोशल डेवलपमेन्ट में मेल बिठाना है, वह यह नहीं जान सकेगा, उसका एम यह नहीं रहेगा। केवल इसके द्वारा इस प्रकार सेकेन्डरी एजुकेशन के लिए एक लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, लीडरशिप से मतलब आप पोलिटिकल लीडरशिप न समझें। तो सेकेन्डरी एजुकेशन पर एक लीडरशिप क्रियेट कर रहे हैं, वे अपनी कम्युनिटी में जावेंगे, जैसे कोई क्राफ्ट में जावेगा, किसी कम्युनिटी में जावेगा, यहां आप कॉम्युनिटी का मतलब कोम्युनल न समझें। उसको वे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उन्हीं के लिए यह डिफरेंस रखा है, कोई उनके लिए क्लियर कट पॉलिसी नहीं रखी है और जैसा कि पहले मैंने कन्ट्राडिक्शन बताया १४ ईयर्स का, वैसा रखा है। एक लड़का आता है, पार्ट टाइम एजुकेशन लेता है, क्योंकि वह इकोनोमिक कन्डीशन्स की वजह से सर्विस कर लेता है, सर्विस भी कर लेता है और सेकेन्डरी एजुकेशन भी चालू रखता है, ऐसों के लिए कहीं भी कोई प्रोविजन इसमें नहीं किया गया है। अब सवाल यह आवेगा कि हमारे टेक्नोलोजिकल स्कूल्स हैं, ट्रेडिंग स्कूल्स हैं, डिफरेन्ट स्कूल्स हैं उनमें उनको कैसे एकोमडेट करेंगे? किस एज का लड़का जावेगा? वह सेकन्डरी एजुकेशन लेता है, टेक्नोलोजिकल और ट्रेडिंग स्कूल्स में जा सकता है जहां एप्रेन्टिसशिप मिलती है। यहां इसका कोई प्रोविजन नहीं किया गया है और इसलिए नहीं किया गया है कि यह हायर सेकेन्डरी एजुकेशन का एक्ट है और वह जनरल एजुकेशन एक्ट है। यह बातें तो जनरल एक्ट में आ सकती थीं, अगर होता, कि वह फिर उस तरफ जा सकता है।

अब आप सेकन्डरी एजुकेशन को लिन्क अप कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो केरीकुलम होगा उसको कैसे को-रिलेट करेंगे सेकेन्डरी एजुकेशन से और सेकेन्डरी एजुकेशन को कैसे को-रिलेट करेंगे आगे? इसको आपने छोड़ा है बोर्ड पर। प्राइमरी एजुकेशन रखेंगे, उसके लिए सेपरेट केरीकुलम वे बनावेंगे, सेकेन्डरी एजुकेशन के लिए सेपरेट बनावेंगे और युनिवर्सिटी के लिए अलग वे बनावेंगे। इस प्रकार से तीनों स्टेजेज़ को फ्रोम बिगनिंग टु एन्ड कोरिलेट किया जाय यह कहीं इसमें नहीं मिलता है। जब यह कहीं नहीं मिलता है तो यह एक कन्फ्युज़न पैदा करता है। जब इनको कोरिलेट नहीं करते हैं तो कन्फ्युज़न के साथ बड़ी दिक्कत भी हो जावेगी, कोर्सेज़ में कन्टीन्युटी नहीं रहेगी। प्राइमरी एजुकेशन और हायर सेकेन्डरी एजुकेशन में को-रिलेशन होना चाहिए, सेकेन्डरी एजुकेशन और युनिवर्सिटी एजुकेशन और टेक्नोलोजिकल एजुकेशन में कन्टीन्यूटी रहनी चाहिए। प्राइमरी स्टेज से तो यह नहीं मालूम होता है कि क्या केरीकुलम हायर

(श्री श्रीभानसिंह)

सेकेन्डरी स्टेज पर मिलेगा, जब हायर सेकेन्डरी स्टेज लड़का पार करेगा तो उसको यह मालूम होना चाहिए युनिवर्सिटी का यह केरीकुलम रहना चाहिए। युनिवर्सिटी को फ्री छोड़ दिया है। मुझे यह न समझें कि मैं युनिवर्सिटी का क्रिटिक हूं। युनिवर्सिटी की ओपिनियन हायर सेकेन्डरी की तरफ अच्छी नहीं है। जो पहले से मेकॉले की पद्धति के एजुकेशनिस्ट हैं, लिबरल एजुकेशन के स्टॉन्च क्रिटिक हैं वे इसको यूजलेस समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member behind the Hon'ble Member at the mike will not disturb the debate. Yes please, continue.

श्री श्रीभानसिंह : (जारी) आप उसको किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या आप इसमें इस का कोई प्रोविजन नहीं कर सकते हैं कि इसको इस तरह से कोरिलेट करेंगे ? सेकेन्डरी एजुकेशन के बाद जब प्रोफेशनल कॉलेजेज् में जाते हैं तो वहां पर एडमीशन की क्या कन्डीशन होंगी ? या जो एग्रीकल्चरल कॉलेजेज् में जाते हैं उनके लिए क्या कन्डीशन्स हैं ? वहां जायगा, युनिवर्सिटी थ्री इयर्स का कोर्स कर देगी। सेकन्डरी एजुकेशन से डाइवर्सिफाइड कोर्स पास करके लड़का आता है, बहुत से प्रोफेशनल इन्स्टीट्यूशन्स और कॉलेजेज़ में कोर्स होता है वह लास्ट स्टेज में कर लेता है; should he prepare those very subjects over again and should he re-appear ?

हमारे एजुकेशन सिस्टम को ओर्गेनाइज् करने के माने ये हैं कि टाइम सेव होता है, हम अच्छे स्टुडेन्ट क्रीयेट करना चाहते हैं। जब डबल टाइम उनको उन्हीं सब्जेक्ट्स में एपीयर होने में लगा तो फिर क्या फायदा ? टेक्नोलोजिकल स्कूल्स और प्रोफेशनल स्कूल्स में प्रिपेरेटरी और सेकेन्डरी स्टेज में जनरल एजुकेशन लेकर और क्राफ्ट्स लेकर आता है अगर वहां सेम कोर्स परस्यू करना पड़ता है तो क्या फायदा है। अगर हम हमारी पोलिसी को पहले ही क्लियरली ले आउट कर लेते हैं तब ही यह होता है। सेकेन्डरी एजुकेशन पूरी हो जाती है, डाइवर्सिफाइड कोर्स है तो उनका एक इयर माफ हो जावेगा इन प्रोफेशनल और टेक्नोलोजिकल स्कूल्स में। यह इसमें ले आउट नहीं हो सकता है। यह तब ही हो सकता है जब कि आप कोई ब्रॉड पॉलिसी रखें। स्कूल खोल देना यह ठीक है। एक पॉलिसी है। लेकिन शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की क्या ब्राड पॉलिसी है, क्या पेटर्न है और राजस्थान सरकार उनको किस तरह ओर्गेनाइज़ करना चाहती है। यह कहें कि सेन्टर ने एजुकेशन कमीशन बना दिया है, हां, वह मौजूद है; लेकिन एजुकेशन के सम्बन्ध में तो स्टेट की रेस्पोन्सिबिलटी है। स्टेट को क्लियर कट एजुकेशन पोलिसी फोर्मूलेट करनी पड़ेगी। आज नहीं तो आगे यह करना पड़ेगा। और देशों में है, जनरल टर्म्स हैं जो पोलिसी को गाइड करते हैं। यदि कर देते हैं तो इससे यह हो जायगा कि एजुकेशन से जो मकसद है पब्लिक ओपिनियन को साथ लेना, उनको उसमें एसोसियेट करना, यह देखेगी कि यह जो सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड है वह केरीकुलम बनायेगा तो उसके एम्स एन्ड ऑब्जेक्टस क्या हैं, यह आगे को-रिलेट करता है या नहीं, चिल्ड्रन के पेरेन्ट्स को मालूम होना चाहिए कि चिल्ड्रन को आगे क्या लेना चाहिए, क्या स्थिति है ? और यह इसके द्वारा ही बता सकते हैं। अगर

(श्री श्रीमानसिंह)

सेकेन्डरी एजुकेशन बिल से कोई देखे कि इसके एम्स एन्ड ओब्जेक्ट्स क्या हैं तो पता नहीं चलता। जैसा कि शायद हरबर्ट स्पेन्सर ने सबसे पहले कहा था कि जो एजुकेशन के लिए यह डिसाइड नहीं कर सके हैं कि उसके एम्स एन्ड ओब्जेक्ट्स क्या हैं तो फिर वह एजुकेशन किस काम की ? यदि पर्पज़ सामने नहीं रखें कि यह पर्पज़ है और वह एजुकेशन दे रहे हैं, बोर्ड क्रियेट कर रहे हैं, एग्ज़ीक्युटिव एजेन्सीज़ क्रीयेट कर रहे हैं तो उनके लिए उनका क्या फायदा है ? पहले पर्पज़ समझा जाय और तब ही पब्लिक को समझाया जा सकता है कि यह एक कोम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी है और पब्लिक भी समझ सकती है कि यह एक शिक्षा की कॉम्प्रिहेन्सिव पोलिसी है। यह एक्ट आगया है, मैं नहीं कहता कि फिर करिये, अगर माननीय मंत्रीजी कह देते हैं कि हम देखेंगे कि इस तरह का एक्ट बन सकता है जिससे क्लियर कट पोलिसी सामने रख देते हैं, उसको चाहे पीस वाइज़ कर दें, उसको डिवाइड कर दें, एक साल में, दो साल में, तीन साल में, लेकिन कम्प्लीटली यह कह दिया कि ऐसी कोई प्रणाली ही नहीं तो यह एक युनीक चीज़ होगी राजस्थान में।

अब जहां वे देखते नहीं या उन्होंने कन्सल्ट नहीं किया, तो क्या सिविल सर्विसेज़ को एप्रिशियेट कर दूं और मेरी सबसे बड़ी ग्रीवन्स सिविल सर्विसेज़ से ही है। एक्ट ड्राफ्ट करते हैं। उन लोगों का थिंकिंग डिफरेन्ट है। उन लोगों का थिंकिंग सेपरेट है, ले ओपीनियन से। ड्राफ्ट लॉ डिपार्टमेंट में किया जाता है। लॉ डिपार्टमेंट जितना आर्थोडॉक्स डिपार्टमेंट है शायद उतना कोई नहीं हो सकता है। जहां जो आदमी डेड रूटीन से डेली कन्सर्न रखते हैं वे आदमी एक्सपेरीमेन्ट्स कैसे कर सकते हैं और आजकल हमको एजुकेशन फील्ड में जो जरूरी है वह एक्सपेरीमेंट की चीज़ है। जब तक हम इस एक्सपेरीमेंट को नहीं करेंगे, जब तक बोल्ड स्टेप्स नहीं लेंगे, तब तक एजुकेशन या अपने समाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग होता है वह आर्थोडॉक्स लिमिट के अन्दर जो ऑफिसर्स हैं वे करते हैं, इस लिए वह बिल्कुल ही ले ओपीनियन से सेपरेट होता है, they are not associated with lay opinion. वे ड्राफ्ट करते हैं सेकेन्डरी एजुकेशन बिल तो किस तरह से बोल्ड स्टेप्स एक्सपेरीमेंट्स का ले सकते हैं जो कि दूसरे देशों में मौजूद हैं और हमारे सामने इनीशियल डिफिकल्टी क्रियेट कर देते हैं। यह इनीशियल डिफिकल्टी हमको वह ले ओपीनियन कैरी-आउट करने से रोकती है। यदि आपको डेमोक्रेसी को मेन्टेन रखना है तो इग्नोरेन्ट पीपल को, जो कि डेमोक्रेसी को समझते नहीं हैं, वे डेमोक्रेसी को मेन्टेन कैसे कर सकते हैं, जो फ्रीडम को समझते नहीं वह फ्रीडम को कैसे मैन्टेन करेंगे, आपको समझाना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा जिससे वह डेमोक्रेसी को समझ जायं। वे डेमोक्रेसी को तभी समझ सकते हैं जब कि शिक्षा विभाग उससे पहले एसोशियेट करे, उसको पहले क्लियरली पब्लिक के सामने रखे। मैं हमारे शिक्षा विभाग से उम्मीद करूंगा कि शायद आगे चलकर wiser sense may prevail when the Government bring a comprehensive Secondary Education Bill.

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष, सरकारी बेन्चों पर, जब कि एजु-

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

केशन बिल डिस्कस हो रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हैं, तो फिर उसकी चर्चा होना बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि कोई न कोई होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Is the Hon'ble Member-in-charge of the Bill here ?

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उप शिक्षा मंत्री, के सदन में प्रवेश करने के पश्चात्)।

श्री उपाध्यक्ष : Just to come.

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे संशोधन प्रस्ताव के उत्तर में माननीय उप मंत्रीजी ने जो बातें बतलाई हैं वे कुछ ऐसी थीं कि मेरे दिमाग में उतर नहीं रही हैं। पहले तो उन्होंने यह बतलाया कि आप बताओ कि जो हमने किताबें प्रेस्काइब की हैं उनमें कोई ऐसी किताब है जो यह सिखाती है कि आप इस प्रकार से हुल्लड़बाजी करें आप डिसीप्लिन तोड़ने का बुरा काम करें। किताबें सब अच्छी से अच्छी होती हैं तो भी एक प्रश्न उठता है कि इन सब का कोई न कोई कारण होना चाहिए। यदि सिद्धान्त अच्छे हैं और अच्छे सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना चाहते हैं तो क्या कारण हैं कि वे ठीक ढंग से प्रतिपादित नहीं होते हैं ? हम आपके किसी कार्य को, उसके परिणाम को आंक सकते हैं तो आपकी पोलिसी जो है, आपकी जो नीति है उसका जो परिणाम प्रकट होता है उसीसे, और वह यही है जो कि हमारे सामने प्रकट हो रहा है ..

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपशिक्षा-मन्त्री) : अकेले का ही नहीं है। वह हमारे स्कूल के बाहर भी बच्चे पढ़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I will not make it disputable.

श्री तनसिंह : आपके कहने का मतलब यह है कि इसका कारण जो है वह समाज का वर्तमान वातावरण हो सकता है। मैं एक सिद्धान्त की बात अर्ज़ कर रहा हूं। 'सत्यमेव जयते' का जो सिद्धान्त है इसमें क्या बुराई है वह बहुत कुछ चमकदार अक्षरों में यहां लिखा है। इसके बनाने वालों ने कोई गलती नहीं की, इसको बनाने वालों ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके यहां प्रतिपादित करने का सवाल आता है तो हमारे मुख्य मंत्री जी और दूसरे मंत्री जब यहां प्रश्नों के उत्तर देने को खड़े होते हैं वहां सबसे ज्यादा असत्य जवाब देते हैं......

श्री उपाध्यक्ष : Permit me to appeal to the good sense of the Hon'ble member to confine to the point only, otherwise we will be prolonging the debate.

श्री तनसिंह : मेरा निवेदन यह है क अगर समाज का वातावरण, समाज का ढांचा खराब है तो सिद्धान्त अच्छे काम में नहीं आते हैं। मेरा निवेदन यह है कि सिद्धान्त तो ठीक होते हैं मगर उनको कार्य रूप में परिणित करने का निश्चित मार्ग होना चाहिए। यदि यह मार्ग निश्चित नहीं होता है तो सिद्धान्त कितने ही अच्छे हों वे प्रतिपादित नहीं हो सकते। इसलिए मार्ग का कोई निश्चित ध्येय होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार के मार्ग और लक्ष्य अकेले निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं ।

Page No.68

(श्री तनसिंह)

लक्ष्य निर्धारित करना है तो प्रणाली निर्धारित करनी चाहिए। आप कहते हैं कि हमने लिख दिया है प्रिएम्बल में साइन्टीफिक और मोडर्न एजुकेशन आदि आदि लंबी चौड़ी बातें बताई हैं। मोडर्न, साइन्टीफिक और प्रोग्रेसिव लाइन्स को हम जाने क्या? उस प्रोग्रेसिव लाइन्स का हुआ क्या? मोडर्न सिस्टम का हुआ क्या? साइन्टीफिक बेसिस का हुआ क्या? इन सारे मोडर्न, प्रोग्रेसिव और साइन्टिफिक बेसिस का नेट रिज़ल्ट निकालते हैं तो निकलता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इन्डिसिप्लिन। वह इन्डिसिप्लिन बढ़ रहा है।

दूसरा जो नतीजा निकला है वह यह है कि इन विद्यार्थियों में फैशन परस्ती बढ़ रही है। वे लड़कियों को मात कर रहे हैं नज़ाकत और नखरों में। उसूलों की कमी नहीं है। हम समाज की बात कह देते हैं, लेकिन समाज की दूसरी बात है, वे समाज से अलग जाकर विद्यालयों में विद्याध्ययन करते हैं। समाज का वातावरण उन पर कुछ असर डाल सकता है, लेकिन समाज का वातावरण तब्दील किया जा सकता है, तो क्या हमारा शिक्षा बिल ऐसा नहीं होना चाहिए जो समाज के वातावरण को, समाज की विचारधारा को बदल सके? अगर वह ऐसा नहीं कर सकती है तो कैसी शिक्षा हुई? तो जो साइन्टीफिक, मोडर्न और प्रोग्रेसिव वाली बात है वह केवल बात है क्रियान्वित करने की चीज़ नहीं है।

दूसरी बात आपने यह फरमाया था कि यह जो आन्दोलन हुए हैं उनमें हम लोगों का हाथ है उन बातों को मैं अभी छोड़ देता हूँ।

आपने बताया कि शिक्षा के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यह भी कहा कि छोटे २ बच्चों को आन्दोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसमें भाग लेने या न लेने का प्रश्न ही पैदा न होना चाहिए। एक ओर आप यह बात कहते हैं और दूसरी ओर आप उनकी मांगों को स्वीकार करते हैं। एक ओर आप यह कहते हैं कि यह चीज़ गलत है और दूसरी ओर आप उसी रूप में मानते हैं। एक ओर उसको यह कहते हैं और दूसरी ओर उस चीज को सही करते हैं, क्योंकि आप इनकी मांग को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जो पहला कदम उठाया था वह गलत कदम था और उनका जो कदम था, जो कुछ उन्होंने किया, वह जरूरी था; वह मानना पड़ा।

आन्दोलन का जहां तक विचार किया जाय उसमें कोई गलती नहीं थी। गलती थी तो उन भावनाओं की थी जिसमें होकर उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को भूलकर कुछ तोड़-फोड़ की जिससे कि राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हुआ। यदि वह चीज़ शिक्षा के द्वारा उन्हें समझाई जाती तो इस संपत्ति का नुकसान नहीं होता। नारे लगाने से तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं है। नारों की आप परवाह करते नहीं। नारों से आगे जब वे इन बुरी भावनाओं पर उतरते हैं और जब आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है तब आप मांगों को स्वीकार करते हैं। जितना समाज का उत्तरदायित्व नहीं है उतना सरकार का उत्तरदायित्व है। क्यों आप उनको इतनी ढील देते हैं कि इस प्रकार का वातावरण हो और आपको मजबूर होकर उनकी मांग स्वीकार करनी पड़े?

मेरा निवेदन यह है कि हमारा यह कहना

(श्री तनसिंह)

कि प्रिएम्बल में बात रख दी है, समाज में इस प्रकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि जिससे शिक्षा पद्धति ठीक तरह से चल सके तो मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित करने में दोष है, जिसके कारण से आप सफल नहीं हो रहे हैं।

एक बात और कहूंगा कि जो कुछ मैंने निवेदन किया था उस पर कहा था कि शिक्षा की पोलिसी में विशेषज्ञों की बात है, ऐसा उन्होंने मेरी ओर इशारा करके फरमाया था, तो इस विषय में मैं कुछ कहूँगा । आज विशेषज्ञों के नाम पर शोषण हो रहा है। वह बहुत कुछ हमारी कमजोरी पर आधारित है । हम अपने आपको इतने अयोग्य समझते हैं कि विशेषज्ञों के सामने हाथ पसार देते हैं । वे अपने ही विषय के विशेषज्ञ होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल ही काठ के बने हुए हैं।

मेरा यह निवेदन है कि यदि विशेषज्ञों के ऊपर ही सारी नीति निर्धारण का भार रख दिया जाय तो क्या आवश्यकता है इस प्रकार का चुनाव कराने की और क्या आवश्यकता है चुनाव मेनिफेस्टो निकाल कर जनता को समझाने की ? यदि आप पोलिसी और मेनिफेस्टो लेकर चलते हैं तो आपका यह कर्त्तव्य है कि आप उस पर पूरी तरह से चलें। यदि विशेषज्ञ चाहते हैं उसी तरह की पोलिसी पर आप चलते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि ऐसी अवस्था में विशेषज्ञों के हाथ में खेलना है। यदि आप योग्य हैं तो विशेषज्ञों के नाक में नकेल डाल कर आप उनको रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन आपमें यह योग्यता नहीं है।

दूसरी बात यह निवेदन करनी है कि आज जो बिल हमारे सामने है यदि हमारे इस प्रान्त की शिक्षा पद्धति में और शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन करना है और क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है तो यह बिल किसी काम का नहीं है। आप केवल यह बता सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन आदि की जो पद्धति चली आ रही है उसी को स्वीकार किया है और अब जो बोर्ड बन रहा है वह नीति निर्धारित करेगा और सारी नीति बिल में या एक्ट में नहीं आ सकती। लेकिन मैं कहूंगा कि एक और बिल से ही मालूम होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। इससे यह मालूम होता है कि जो पहले यहां हो रहा था उसी पर आप मुहर लगा रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। वही पुराना ढांचा जो अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाने के लिये और लोगों की मनोवृत्ति को गुलाम बनाने के लिये बनाया था उसी को आप फिर अपना रहे हैं और आप उनका अनुकरण करना चाहते हैं। वे हमको गुलाम रखना चाहते थे और स्वतन्त्रता को पनपने देना नहीं चाहते थे, उसी प्रकार आप भी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसा फूल नहीं है जो हर बाग में पनपे। आप चाहते हैं कि वह आप के घर में पनपे, आपकी पार्टी में पनपे। लेकिन हम चाहते हैं कि वह हर जगह पनपे। यदि आपकी शिक्षा पद्धति हर जगह पनप नहीं सकती तो मैं कहूंगा कि यह शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा दोष है। आज जनतन्त्र में यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन लाया जाय। यदि परिवर्तन नहीं लाया गया तो जनतन्त्रवाद सफल नहीं हो सकता। यदि आप कांच की आलमारी में सजाकर लोगों को दिखाना चाहते हैं, 'सत्यमेव' जयते का साइनबोर्ड बनाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपने उत्तर-

(श्री तनसिंह)

दायित्व को नहीं निभाते हैं और किये हुए कार्यों और घोषित नीति के ऊपर आचरण नहीं करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे वापिस उसी सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और अन्य मेन पोइन्ट्स पर विचार किया जाय कि हमें क्या करना है।

श्री उपाध्यक्ष : I will now put.....

श्री श्रीभानसिंह : I beg to move to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House to allow Shri Sribhan Singh to withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री भानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : The question is :-

"That the Rajasthan Secondary Education Bill, 1957 be re-committed to the same Select Committee with the direction that the Committee should make additional provisions to incorporate a policy to improve the present system of examinations and to prescribe conditions for recognition of private institutions to the privilege of the Board."

Be accepted.

(अस्वीकृत)

The motion is lost.

(विराम)

Now the question is that the Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adoptod.

(विराम)

Clause 2.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : On a point of privilege, Sir, can the discussions proceed when certain Hon'ble Members have not received the report of the Select Committee in time ?

श्री उपाध्यक्ष : Have they not ?

श्री नारायणसिंह I have not.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपशिक्षा मन्त्री) : It was circulated four days back.

श्री नारायणसिंह : Certain other members also have not got.

श्री उपाध्यक्ष : Let me enquire it from the Secretariat.

श्री नारायणसिंह : Hon'ble Prabha Misra has also not received.

श्री उपाध्यक्ष : I will just scrutinise the issue.

श्री तनसिंह : The Rules of procedure clearly say that the copies should be made available three clear days before the motion is taken for consideration.

श्री उपाध्यक्ष : Would you cite the rule?

श्री तनसिंह : Yes, Sir, just now.

(विराम)

(श्री तनसिंह)

Rule 119, sub-rule (1) (a) proviso.

"Provided that any member of the Assembly may object to its being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for the use of members for three clear days and such objection shall prevail unless the Speaker in the exercise of his power to suspend this rule allows the Bill to be taken into consideration."

श्री पूनमचन्द : Mr. Deputy Speaker, Sir, the words are "it is made available". It does not mean that it is actually delivered.

(हंसी)

Yes. "made available" means the Hon'ble Members should also try to see whether this has been given to other members. He might have not been there on the spot when it is distributed.

श्री तनसिंह : They are not supposed to commit theft or robbery.

श्री उपाध्यक्ष : The words are not so ambiguous. Let me go into the provision itself.

(विराम)

The Hon'ble Shri Narayan Singhji, there are signatures. The copies have been issued. You can see the signatures, unless they are forged one.

श्री नारायणसिंह : I will see.

(श्री सचिव, विधान सभा, द्वारा माननीय सदस्य को पत्र दिखाने के पश्चात्)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The words are also clear, "made available" means it should be available, whenever a member desires. "Within three days whenever the member desires," he should see it. It is not that it should be given to him; not that it should be actually delivered to him. He should be given the facility to have it.

श्री उपाध्यक्ष : I am desisting from entering into the controversy. If the facts are clear let us move the facts first and then to the law itself.

श्री नारायणसिंह : The signatures are on the 4th. when, Sir, I was not here on the 4th.

श्री उपाध्यक्ष : What is the position, now ?

श्री नारायणसिंह : I am very definite that other people must have received but I have not received it.

श्री उपाध्यक्ष : There is nothing for me to disbelieve the version. Are there other Members who have not received the copy as yet ?

('नहीं' की आवाज)

All have except Hon'ble Narain Singhji. Do you still insist on this issue ?

श्री नारायणसिंह : Well, it is a fact that I did not receive it.

श्री उपाध्यक्ष : Do you mean to insist that this Bill should not be taken up today?

श्री नारायणसिंह : I say that those members who have not received the copy, they may be allowed to move the amendments on the spot-immediately here with your permission according to Rule 121.

श्री उपाध्यक्ष : If at all amendments are moved now at this stage, the discretion must be utilized in their favour.

श्री नारायणसिंह : Whenever the amendments are to be moved.......

श्री उपाध्यक्ष : Are you moving some amendments now?

श्री नारायणसिंह : I will be moving on other clauses.

श्री उपाध्यक्ष : So we proceed on with the Bill. There are no amendments to clause 2.

श्री पी. के. चौधरी : I have got amendments on the Preamble and clause 1 itself.

श्री उपाध्यक्ष : That we will be taking up in the last. So the question is that clause 2 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 3

३. २ म० प०

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : My motion is that the version given in the original Bill should be retained.

ओरिजिनल बिल में वर्शन यह था कि : "The State Government shall establish by a notification in the Rajasthan Gazette, a Board of Secondary Education for Rajasthan with effect from such date as may be specified in the notification." 'Rajasthan' यह ओरिजिनल बिल में था और सलेक्ट कमेटी ने उसको "ओफिशियल गजट" बना दिया : 'with effect from such date as may be specified in the notification,'

उसको डिलीट कर दिया है। मेरे ख्याल में ओरिजिनल बिल में जो वर्शन था कानून की दृष्टि से वह ज्यादा ठीक है। इसलिए मैं इस किस्म का इनएफेक्चुअल और इनकान्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट लाया हूँ कि ओफिशियल गजट न रह कर राजस्थान गजट रह जाये तो नुकसान नहीं है; क्योंकि जो राजस्थान सरकार का गजट है वह राजस्थान गजट के नाम से प्रकाशित होता है।

दूसरी बात जो आगे क्लॉज़ में है, जिस पर मैंने अमेंडमेंट मूव किया है वह यह है कि इसमें डेट ऑफ इफेक्ट (date of effect) का सवाल आया है। वह डेट ऑफ इफेक्ट एटवन्स नहीं हो सकती। किस तारीख से यह सेकन्डरी एजुकेशन एक्ट अमल में आयेगा, उसकी तारीख हमको निर्धारित करनी पड़ेगी। यदि ऐसा न करें तो कई किस्म की टेक्निकल और लीगल डिफीकल्टीज़ आ सकती हैं, क्योंकि जिस तारीख को बिल पास कर देंगे उसमें इसका मेन्शन नहीं करें कि कौनसी तारीख से बिल अमल में आयेगा, तो पोज़ी-

Page No.73

(श्री पी० के चौधरी)

शन एम्बीगुअस होती है। इसलिए मैंने अमेंडमेंट रखा है कि जैसा ओरिजिनल बिल में रखा था :

"with effect from such date as may be specified in the notification."

यानि जिस दिन यह बिल नोटिफाई किया जायगा, एक्ट के रूप में, उस दिन जो तारीख बताई जायगी, उस तारीख से अमल में यह बिल आयेगा और उसी तारीख से इसके मातहत जो सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड है वह अमल में आयेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन के साथ साथ इसके कई प्रोविजन्स हैं, उनको हम कम्प्लाई नहीं कर सकेंगे। उनका कम्प्लायेन्स नोटिफिकेशन के साथ नहीं हो सकता है। अगर स्पेसिफिक डेट नहीं देते हैं और उस नोटिफिकेशन की बात नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि जिस दिन इस बिल के ऊपर इस विधान सभा में डिस्कशन करने के बाद इसको पास करते हैं, परित करते हैं, इसके बाद जब गवर्नर के दस्तखत होते हैं, उसी मोमेंट यह अमल में आता है। लेकिन प्रेक्टिकली उस घड़ी में यह अमल मे नहीं आ सकता, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेन्जमेंट्स के लिए समय चाहिए। इसलिए इसमें तारीख होनी चाहिए कि फलां तारीख तक इस बिल के जो प्रोविजन्स हैं, उसके माफिक बोर्ड बनेगा। ऐसा हम कर सकते हैं। यदि ऐसा न करें तो इसमें टेक्निकल डिफेक्ट रह जाता है, कानूनी डिफेक्ट रहता है। इसलिए मैंने अमेंडमेंट रखा है। वह इस दृष्टि से रखा है कि अमेंडमेंट नहीं रखेंगे तो जब आप अमल करने जायेंगे, तो अमल करने की तारीख है वह डिफेक्टिव रहेगी, इल्लीगल रहेगी। इतना ही मेरा सबमिशन है।

श्री **पूनमचन्द बिश्नोई** (उपशिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसका ऑर्डिनेन्स पास हो चुका था, इसलिए बोर्ड ऑलरेडी कान्सटीट्यूटेड था। आप देखेंगे कि शुरूआत में लिखा है :

"It shall come into force atonce."

श्री पी. के. चौधरी : I have got an amendment to that also.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसलिए ज्योंही यह बिल पास होगा, उसी दिन यह लागू होगा क्योंकि ऑर्डिनेन्स है और वह इस बिल के पास होने के बाद रह नहीं सकता। क्योंकि बोर्ड पहले ही बन चुका है, इसलिए इसको सोच–विचार कर रखा है।

दूसरी बात जो आपने कही कि इसमें राजस्थान गजट होना चाहिए, ऑफिशियल गजट नहीं होना चाहिए। यह जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइन्ड है इसलिए राजस्थान गजट की जगह ऑफिशियल गजट कहना ज्यादा बहतर है और इसमें किसी शक और सन्देह की गुंजाइश नहीं है। जो कानून के माफिक होना चाहिए, वैसा नहीं था, इसलिए इस चीज को ध्यान में रख कर सलेक्ट कमेटी ने अमेंडमेंट किया था।

श्री उपाध्यक्ष : Shri P. K. Choudhry still insists on the amendment

श्री पी. के. चौधरी : I want to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House to allow Shri Choudbry to withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

Leave is granted

श्री पी. के चौधरी : I withdraw the amendment. I have got an amendment to sub-clause (1) of clause 4.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, please move.

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में, I move an amendment that in sub-clause (1) add a new part at the end, "(dd) A. D. E. (woman)".

सब क्लॉज में यह बताया गया है कि एक्स-ओफिशियो मेम्बर्स कौन कौन रहेंगे। राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बिल के प्रिएम्बल और आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में यह बताया गया है :

"The Board Contemplated to be established will Consist of 25 Members with officials & non officials. The Chairman is to be nominated by the Government.' हमारी सेकन्डरी एजुकेशन के बारे में कहा गया है, जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में बताया गया है कि जो सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड बन रहा है, वह सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन है उसकी रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं, उनको ध्यान में रख कर यह बोर्ड बन रहा है। मुझे अच्छी तरह इस बात की जानकारी है कि उसमें जो बोर्ड का कॉन्स्टीट्यूशन है, उसके बारे में साफ साफ और डिस्टिंक्ट रिकमन्डेशन की है यह जो बोर्ड होगा एमेच्योर्स का नहीं होगा एक्सपर्ट्स का होगा। साथ ही किस किसको, कौन कौनसी केटेगरीज़ को, एलीमेंट्स को रिप्रेज़ेन्टेशन देना है, यह साफ सेकेन्डरी एज्युकेशन कमीशन में लिखा हुआ है, इसमें वीमेन्स रिप्रेज़ेन्टेशन के लिए, वीमेन्स रिप्रेज़ेन्टेशन का यह मतलब नहीं कि वहां वीमेन्स का रिप्रेज़ेन्टेशन करें बल्कि वीमेन्स की एजुकेशन के लिये, वोकेशनल एजुकेशन का रिप्रेज़ेन्टेशन हो, बेसिक डिपार्टमेंट का रिप्रेज़ेन्टेशन हो। जिस प्रान्त के एजुकेशन के लिये बोर्ड बनता है, उस प्रान्त की वीमेन की शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है उसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उनको इस बोर्ड में रखा जाय, यह क्लियर डाइरेक्शन्स थीं, तो मेरी समझ से नहीं आता कि सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन की सिफारिशों को क्यों नहीं माना गया है ? जैसा कि मिनिस्टर इन्चार्ज ने बताया कि जो कुछ कर रहे हैं ऑल इन्डिया बेसिस पर कर रहे हैं, जो वहां से डाइरेक्शन्स, इन्स्ट्रक्शन्स दी गई हैं उन्हीं के मुताबिक हम चल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जो इन्हें कन्विनियेन्ट लगे उसे करना और जो इन्कन्विनियेन्ट लगे उसे छोड़ देना, इसीको उसके मुताबिक चलना कहा जा रहा है, मैं इसे ठीक नहीं समझता, यह ठीक नहीं है। जो राजस्थान के लिये लागू नहीं होता हो या जो राजस्थान की भूमि में पनपता नहीं हो उसको छोड़ दें तो ठीक है पर मैं नहीं समझता कि स्त्री शिक्षा के लिये कोई भी कहे कि स्त्री शिक्षा राजस्थान में नहीं चाहिये, या इसके चार्ज में जो लोग हैं वे बोर्ड में आने के काबिल नहीं हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसको कहेंगे तो सबसे पहला फर्ज यह हो जाता है कि उसको हटा देना चाहिये। आप नहीं कह सकते कि स्त्री-शिक्षा को हम प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में जो प्रोब्लम्स हैं, महिलाओं की शिक्षा की क्या क्या प्रोब्लम्स हैं, वे इस बारे में क्या क्या सोचती हैं, इन सब बातों को मिनिस्टर साहब नहीं समझ सकते, उनका रिप्रेज़ेन्टेटिव ही ज्यादा समझ सकता है। सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन ने इसके बारे में यह डायरेक्शन्स दिये हैं कि डिप्टी डायरेक्टर्स, एजुकेशन इस

(श्री पी० के० चौधरी)

बोर्ड में वीमेन्स को रिप्रेज़ेन्ट करेगी वह इस बोर्ड में रहेगी। पर राजस्थान में डिप्टी डायरेक्ट्रेस नहीं रखी है, बाकी सब पोस्टस रखी हैं।- जोइन्ट डाइरेक्टर दस-बारह हैं, डिप्टी डाइरेक्टर आधे दर्जन से ज्यादा हैं, पर स्त्री-शिक्षा के लिये डिप्टी डाइरेक्ट्रेस, जोइन्ट डाइरेक्ट्रेस कोई नहीं हैं। दो एसिस्टेन्ट डाइरेक्ट्रेस रखी हैं पर वे डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर हैं, उनके दर्जे के लोग हैं। एक डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर को जो पॉवर है वही उनको हैं। स्त्री-शिक्षा को कितना प्रोत्साहन देना चाहते हैं, यह इसका द्योतक है। इनके इन्तजाम के लिये कितने आतुर हैं वह इससे पता चलता है कि राजस्थान की स्त्री-शिक्षा के लिये जो टू हैड्स रखे हैं वहां डिस्ट्रक्ट इन्सपेक्टर्स के बराबर की दो महिलाओं को रखा है। उनके अन्दर में राजस्थान की स्त्री शिक्षा का जिम्मा रखा है, यह इस बात का द्योतक है कि हम स्त्री शिक्षा की तरफ कितनी दिलचस्पी रखते हैं। भले ही मिनिस्टर साहब कितनी ही बातें बता दें, उसको अमल में लाते नहीं हैं।

The proof of the needy is the need itself.

किसी चीज की सूचना उसके अमल से मालूम होती है न कि कह देने से। इसलिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी जैसी डेलिबरेट बोडी ने इस चीज को क्यों नहीं रखा। खुद मिनिस्टर इन्चार्ज साहब सिलेक्ट कमेटी को प्रिसाइड करते थे, उनको सोचना था, आज इस प्रान्त की तमाम शिक्षा के वे कर्णधार हैं, जिनके हाथ में शिक्षा का सूत्र है, उनके खयाल में यह बात नहीं रही हो कि स्त्री-शिक्षा की इन्चार्ज हैं उनका प्रतिनिधित्व इस बोर्ड में नहीं है, यह मानने में नहीं आ सकता। एक सदस्य के ध्यान में यह बात न आये तो यह माना जा सकता है; पर जो राजस्थान की शिक्षा का कर्णधार है, उसके खयाल में यह बात नहीं आये यह मानने की चीज नहीं है। जब कि हैड मास्टर्स और दूसरे हैड्स ओफ इन्स्टीट्यूशन्स को रिप्रेज़ेन्टेशन दिया है तो एग्ज़ीक्युटिव हैड जिसको मानते हैं, वीमेन एजुकेशन का, उनको नहीं लिया गया है, यह अनुचित है। एक तरफ तो स्त्री-शिक्षा का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ जो हमें सूट नहीं करतीं उन रिकमन्डेशन्स को अमल में नहीं लाते हैं, यह कहां का न्याय है? इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो इस बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन में बाईटल डिफेक्ट है, उसको दूर करना चाहिये। मैं तो मिनिस्टर इन्चार्ज से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस सुझाव को विद् ग्रेस एक्सेप्ट करें और इसे डिस्कशन का विषय न बनायें। हमें स्त्री-शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये, यह डिस्प्यूटेबल पोइन्ट नहीं है। कोई इस देश में ऐसा नहीं होगा, इस सदन में कोई माननीय सदस्य ऐसे नहीं होंगे जो यह कहें कि स्त्री-शिक्षा का रिप्रेज़ेन्टेशन इस बोर्ड में न हो। मुझे तो इस बात बात का पूरा यकीन है कि सदन का कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जो स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हो और यह कहे कि सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड में स्त्री-शिक्षा का डिपार्टमेंटल प्रतिनिधि नहीं हो।

मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि मिनिस्टर इन्चार्ज इस अमेंडमेंट को, विद् ग्रेस, स्वीकार करें और इस और डिस्कशन्स नहीं हों।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष, जो यह संशोधन लाया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, जब कि सब एजुकेशन के लोगों को इसमें स्थान दिया गया है तो स्त्री-शिक्षा.... ...

श्री उपाध्यक्ष : The members who have also got amendments let them move their amendments first and then those, who want either to support their amendments or oppose, will speak.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : Clause 4 (1) :

माननीय उपाध्यक्ष, मैंने कम्पोज़िशन ओफ बोर्ड के क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (१) में यह संशोधन रखा है कि :

'The words "Subject to the proviso to Section 15A" be deleted.'

उक्त शब्दों को क्लॉज़ से हटा दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है जिस पर हमें सोचना चाहिये। १५ ए. में यह व्यवस्था की गई है कि : 'The Director of Education, Rajasthan shall be the Chairman of the Board.'

प्रारम्भिक ३ वर्ष में सरकार किसी भी व्यक्ति को नामजद कर के उतनी अवधि तक अपना काम चलायगी, उसके बाद ओटोमेटिकली डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन, बोर्ड के चेयरमेन हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मसला है कि जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये। यह तो निर्विवाद सत्य है कि डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन हमारे राजस्थान में कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हैं और अब तक जो व्यक्ति डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन के पद पर समय समय पर काम करते रहे हैं यदि मैं भूल नहीं करता हूँ तो वे आई. ए. एस. के केडर के ही रखे गये हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन (व्यवस्था) के सम्बन्ध में बहुत कुछ भले ही जानते हों लेकिन शिक्षा के मूल भूत सिद्धान्तों से परिचित नहीं थे। इसलिये जो हमारी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने या उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन और सुधार की बात हैं वह ऐसे लोगों से संभव नहीं। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून के द्वारा हमारे यहां जो सेकेन्डरी एजुकेशन का बोर्ड बनेगा वह एक autonomous संस्था के रूप में काम करे ऐसा हम सब चाहते हैं। उसमें डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन जो शिक्षा-विभाग के वरिष्ठ एवं सर्वोच्च अधिकारी हैं, यदि हम उनको बोर्ड के एक्स ऑफिसो चेअरमेन स्वीकार करते हैं तो उन राजकीय स्कूलों और कॉलेजों को कई प्रकार की खामियें और कमिये होने के बावजूद भी दूर गुजर किया जायगा तथा डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन में इस बात की हिम्मत नहीं हो सकेगी कि वे उस बोर्ड के चेअरमैन की हैसियत से ऐसी संस्थाओं के एफिलिएशन को मना कर दें। यदि कोई दूसरा, प्रतिभा संपन्न या योग्य व्यक्ति पूरे समय के लिये वैतनिक चेअरमैन होगा वह ऐसी संस्थओं को जो चाहे सरकारी हो अथवा गैरसरकारी, यदि उनमें पूरी पूरी सुविधा और आवश्यक साधन नहीं होंगे तो उनको वे कभी एफिलिएट नहीं करेंगे और मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात होगी। मुझे ज्ञात है कि इस तरह की कमियों की विद्यार्थियों में आम शिकायत बनी रहती है जिसे आप स्वयं जानते हैं। कई जगह ऐसी प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं हैं जहां लड़के लड़कियों के बैठने के लिये बेंचेज़ का प्रबन्ध तो दूर रहा टाट पट्टियों का भी प्रबन्ध नहीं है। कहीं पर पढ़ाने का पूरा प्रबन्ध नहीं है तो कई जगह स्कूलें टूटी फूटी पुरानी इमारतों में चलती हैं उसकी मरम्मत भी नहीं की जाती। उक्त कमियों की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया ऐसा मैं नही कहता; ध्यान दिया है और कुछ जगह पंच

Page No.77

(श्री मनोहर कोठारी)

वर्षीय योजना में कुछ इमारतें भी बनाई गई हैं लेकिन अधिकांश में यदि आप इस बात की सर्वे करें तो आपको पता लगेगा कि हमारी सरकारी स्कूलों में भी अभी तक कई प्रकार की कमियें हैं और यदि डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन को चेअरमैन न रख कर किसी दूसरे शिक्षा शास्त्री को चेअरमैन रखा गया तो तो इस प्रकार की कमियें वाली संस्थाओं को एफीलिशन नहीं मिलेगा। परिणाम यह होगा कि ऐसी स्कूलों में इस डर से आवश्यक सुधार होगा, इसलिये यह आवश्यक है कि डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन को अध्यक्ष नहीं बनाया जाए।

इसके सिवाय एक बात और भी मैं निवेदन करूंगा कि डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन के पास पहले से ही बहुत काम है परिणाम स्वरूप उनको पर्याप्त समय नहीं मिल सकता। जब उनको पहले ही समय नहीं मिलता है तब इस काम का विशेष वज़न जबर्दस्ती उन पर थोपा जाएगा और उसका नतीजा यह होगा कि वे काम करने में असमर्थ रहेंगे और जो काम उनको करना चाहिये वह नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यदि डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन इस बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं तो यह बोर्ड सर्व सत्ता सम्पन्न (autonomous) नहीं रहेगा बल्कि डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन की एक ब्रांच हो जायगा और संस्थाओं को जिनके पास आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं और जिन्हें इस कारण बोर्ड से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता हो उन्हें भी सम्बद्ध कर दिया जावेगा और इससे आगे चल कर बड़ी दिक्कत होगी।

जब हम हायर सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड बनाने जारहे हैं तो किसी ऐसे प्रतिभा संपन्न शिक्षा शास्त्री को क्यों न स्थान दें जो पूरे समय के लिये अच्छी तरह से बोर्ड के काम की देख भाल कर सके। इसलिये मैंने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन रखा है कि यदि किसी शिक्षा शास्त्री को चेयरमेन नामजद किया जाय तो बहुत अच्छा होगा और यह बहुत आवश्यक व न्यायोचित भी है। इसलिये सांकेतिक शब्दों को हटाया जाना चाहिये क्योंकि आगे मैंने १५ ए में भी इसी तरह का एक संशोधन प्रस्तुत किया है और उसी के आधार पर यह संशोधन है। अतः "subject to the provision of clause 15 A" को हटाया जाना चाहिये।

मेरे विचार से ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन रखा जाना चाहिये जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी हो और पूरे समय के लिये वैतनिक हो। चेयरमेन डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन नहीं होना चाहिये क्योंकि इनके पास तो पहले ही बहुत ज्यादा काम है। यदि हम इस बोर्ड को केवल नाम मात्र के लिये ही बोर्ड बनाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इससे कोई शिक्षा में सुधार होना संभव नहीं है। इसलिये यह संशोधन काफी महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सदन के माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Shri Shribhan Singh to move his amendment.

(श्री नारायणसिंह मसूदा के बोलने के लिए खड़े होने पर)

I will allow the debate after I have taken all the amendments.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : with your permission, Sir, I would like to say something on this amendment.

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष, इसमें मेरा एक एमेन्डमेंट और रह गया है, उसके बारे में भी अगर आप आज्ञा दें तो निवेदन कर दूं। मेरा संशोधन है कि (डी) के बाद पदेन सदस्यों की श्रेणी में निम्न प्रोविजन भी रहना चाहिये :

"Three Deans of the Faculties of Arts, Science and Commerce of the University."

इसके पदेन सदस्य हों।

माननीय उपाध्यक्ष, यद्यपि इस सेक्शन में इलेक्टेड मेम्बर्स की श्रेणी में यह व्यवस्था रखी गई है :

"Three persons elected by the Senate of the Unviersity from each of the Faculties of Arts, Science and Commerce."

मैं समझता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा के लिये जो नया बोर्ड गठित हो, उसमें जो लोग शिक्षा के संबन्ध में अनुभवी हों उन्हीं को रखना चाहिये और इसी मान्यता के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा तीन व्यक्तियों को फेकल्टीज़ ओफ आर्ट, साइन्स और कोमर्स (faculties of Arts, Science & Commerce) से चुनेजाने की व्यवस्था रखी गई है, ऐसा लगता है। फिर भी मुझे एक बात बड़ी अजीब सी मालूम होती है। जहां तक युनिवर्सिटी का संबन्ध है, वह शिक्षण संस्थाओं पर पूरा वर्चस्व रखती है और उन्हें गाइड भी करती है इसलिये हमें यह चाहिये कि उनका चुनाव न किया जाकर इस बोर्ड में तीनों फैकल्टीज़ के डीन्स को, जो आर्ट, साइन्स और कोमर्स के एक्सपर्ट हैं उनको पदेन सदस्य रख लेना चाहिये।

डील ऑफ फेकल्टीज़ को एक नियत समय तक के लिये चुना जाता है और उस अवधि तक युनिवर्सिटी में सारा काम काज उन्हीं के सुपुर्द होता है और जब हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों ही को रखना चाहते हैं तो हमें आर्टस्, साइन्स और कोमर्स के एक्सपर्ट डीन्स ही को हमें अपने बोर्ड में पदेन सदस्य रखना चाहिये।

इसके साथ ही और भी इस क्लॉज़ पर जो एमेन्डमेंट हैं.उनको भी साथ ही प्रस्तुत कर देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके तो दो ही हैं।

श्री मनोहर कोठारी : और भी हैं; चार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, No. 4.

श्री मनोहर कोठारी : तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इलेक्टेड सदस्यों की व्यवस्था हमारे सिलेक्ट कमेटी की सिफारिश के साथ की गई है उसमें मुझे एक बात अजीब सी लगती है। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी हमने पढ़ी है और जो ओरिजनल बिल है उसको भी देखा है। बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा प्रगतिशील बताने की दृष्टि से संभवत: धारासभा से दो निर्वाचित प्रतिनिधि लेने की व्यवस्था की गई थी जिसमें यह रखा गया था जो इस प्रकार है :

"Two members elected by the Rajasthan Legislative Assembly from amongst its members of whom at least one shall represent a rural constituency."

लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने बिना कुछ सोचे विचारे बिना, इस संबंध में कोई टिप्पणी दिये अथवा इसकी आवश्यकता और अनावश्यकता पर विचार किये

(श्री मनोहर कोठारी)

एक ही स्ट्रोक ऑफ पेन से इस क्लॉज़ को हटा दिया है। मेरे विचार से यह क्लॉज़ वास्तव में आवश्यक क्लॉज़ है इसलिए भी जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें मैं यह चाहता हूँ कि इस बोर्ड में तीन व्यक्ति ऐसे जायें जो हमारी विधान सभा से चुने हुए हों। इन तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ग्रामीण कॉन्स्टीटुएन्सी का प्रतिनिधित्व करता हो, दूसरा महिलाओं का व तीसरा कोई और हो। ऐसा क्लॉज़ इसमें अलग से होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी एक माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किए थे और उन्होंने यह बताया था कि स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में हम अधिक चिंतित नहीं ज्ञात होते। अतः यह बहुत आवश्यक है कि इस बोर्ड में स्त्रियों का भी पूरा प्रतिनिधित्व हो ताकि वह वास्तव में अपनी आवश्यकताओं को इस बोर्ड के सामने रख सकें और यह बात जरूरी भी है कि आज हम राजस्थान के प्रतिनिधि हैं, अपने अपने हिस्सों से चुनकर आये हैं उनके सामने अनेक प्रकार की शिक्षा की कठिनाइयां आये दिन आती हैं। अब तक हम लोग अपने अपने क्षेत्र की कठिनाइयां सरकार के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं। जनता के हम सही प्रतिनिधि हैं। हम लोग अपने अनुभवों से सरकार के सामने सही चीज रख सकेंगे कि किस किस स्कूल की क्या क्या आवश्यकता है और क्या नहीं। इस बोर्ड में अधिकांश व्यक्ति सरकारी नोमीनेटेड होंगे जो आम जनता में घूमने वाले नहीं हैं, वह देखने वाले नहीं हैं कि कहां किस चीज की आवश्यकता है। तो उनके मार्ग दर्शन के लिए भी यह आवश्यक होगा कि हमारे सम्मानीय सदस्य जो कि सारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं वह अपने में से तीन व्यक्तियों को चुनें और इस बोर्ड में भेजें, ताकि वह आगे जा कर राजस्थान की अलग अलग समस्याओं को बोर्ड के सामने रख सकें। स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से हमारे यहां की एक सदस्या इस बोर्ड में होनी चाहिए। एक उसमें ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई रूरल कॉन्स्टीटुएन्सी का सदस्य भी होना चाहिए और एक भी शहर का सदस्य या अन्य व्यक्ति हो सकता है। मैं नहीं समझता कि शिक्षा के संबंध में हमारे यहां राजस्थान में जैसी परिस्थिति रही है, उसमें कई ऐसे सदस्य हैं जो शिक्षा शास्त्री हैं और उनकी योग्यता का राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड के अन्दर भी लाभ उठाया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्लॉज जो पहले ऑरिजिनल बिल में था इस बिल में क्यों नहीं रखा गया? सिलेक्ट कमेटी ने यदि इसके बारे में कोई न्याय किया होता तो वह यह भी बताती कि इस बोर्ड के कम्पोज़ीशन में असेम्बली के सदस्यों का होना किस कारण जरूरी नहीं है। मगर उसने की ऐसी कोई राय नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि यह ऑरिजिनल बिल की व्यवस्था हमें स्वीकार करनी चाहिए।

मेरा इसके साथ ही यह निवेदन है कि क्लॉज़ 'ओ' को बिलकुल ही डिलीट कर दिया जाय :

"one person considered by the State Government fit and necessary to represent such interests as are not otherwise adequately represented"

इस व्यवस्था से यह नहीं मालूम पड़ता कि वह किस तरह के व्यक्तियों तथा उनके किस तरह के इन्टरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहते हैं। यह इन्टरेस्ट किस तरह का इन्टरेस्ट

(श्री मनोहर कोठारी)

होगा। यदि सिलेक्ट कमेटी की यह मान्यता हो कि कम से कम हमारे यहां के जो विद्वान हैं वे लिये जायंगे, तो नीचे जा कर एक और व्यवस्था की गई है 'पी' में, उसमें क्या मंशा है ?

"two persons being distinguished educationists co-opted by the Board."

तो यह दृष्टिकोण भी शायद सिलेक्ट कमेटी का नहीं मालूम होता। न यह दृष्टिकोण सिलेक्ट कमेटी का स्पष्ट मालूम होता है कि इस तरह का इन्टरेस्ट या इस तरह का आवश्यक प्रतिनिधित्व जो इस बोर्ड के लिए बच जाता है, वह कौन सा होगा ? इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह यह होना चाहिए कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को नामजद करेंगे कि जो शिक्षा से संबंधित हो और जिसका लिया जाना अनिवार्य हो। हम नहीं समझते हैं कि किन सिद्धान्तों के आधार पर इतने अधिकारियों को स्थान दे दिया है। युनिवर्सिटी के शिक्षाशास्त्रियों को पर्याप्त स्थान दे दिया गया है, इसी प्रकार के दूसरों को स्थान दे दिया है जिनकी उपयोगिता थी। सब तरह की व्यवस्था की गई है तो जनता के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से अगर बोर्ड कुछ यहां के सदस्यों को भी यदि हम स्थान दे देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता।

इसके साथ ही मैंने यह अमेन्डमेन्ट और मूव किया है कि क्लॉज़ १५ ए के अन्तर्गत जो व्यक्ति सरकार चुने वह इस बोर्ड का मेम्बर होना चाहिऐ, जब कि डाइरेक्टर आफ एजुकेशन इसका चेयरमेन नहीं होगा। तो निश्चय है कि मेरे संशोधन के मुताबिक चेयरमैन को सेलेरी बेसिस पर चुना जाना चाहिए जो कि शिक्षा शास्त्री हो और जो बोर्ड को अपनी योग्यता से पूरा पूरा लाभ पहुँचा सके।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : With your permission I beg to move an amendment to clause 4.

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी यह अमेन्डमेन्ट्स मूव करने के बाद में दूसरे सदस्यों को बोलने देंगे ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : एक क्लॉज़ के ऊपर जितने भी अमेन्डमेन्ट्स होंगे उनके मूव होने के बाद दूसरे सदस्यों को विरोध में और पक्ष में इत्मिनान से बोलने का अनुग्रह किया जायगा।

(हंसी)

श्री नारायणसिंह (मसूदा): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move an amendment to clause 4. 9 move that in clause 1 of sub-clause (1), part (a) may be added....

श्री उपाध्यक्ष : Have you submitted the amendment ?

श्री नारायणसिंह : This is the amendment, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Is it on the list ?

(विराम)

You will just now submit it.

श्री नारायणसिंह : I will submit it, if you allow.

श्री उपाध्यक्ष : it is allowed.

I think nobody from the hon'ble Members is likely to object to the amendment, I presume.

(स्वीकृत)

Allowed

श्री नारायणसिंह : I move that a new part (a) be added to sub clause (1) as follows:

" (aa) the Chairman. "

श्री उपाध्यक्ष : New part(a)of sub-clause (1) ?

श्री नारायणसिंह : Yes, "the Chairman".

श्री उपाध्यक्ष : It is "Director of Education, Rajasthan."

श्री नारायणसिंह : It should be first "Chairman" & then "Director of Education." that may be renumbered as "(aa)".

श्री उपाध्यक्ष : "(a)" and then "(aa)" ?

श्री नारायणसिंह : The present "(a)" may be renumbered as "(aa)". That is the position. "The Chairman" and then "The Director of Education". May be a new part (a)of sub-clause (1) which read as follows:-

"(a) The Chairman"

And the present (a) may be renumbered as (aa).

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order, Sir, this clause relates to ex-officio members and Chairman cannot be an ex-officio member.

श्री उपाध्यक्ष : (श्री नारायणसिंह से) Yes.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : Sir, my main point is that the Chairman of this educational board should not be essentially a member of the bureaucracy. generally i believe that the bureaucratic routine always engenders a sort of attitude of going along a beaten track. Today when our whole educational system is in a melting pot, when the educationists are thinking and re-thinking as to how to re-mould our national mind and character, how to gear it up with the modern, technical and scientific trends of life, how to gear it up with our own development programmes and with the essential culture of our country as the background. At such a time it is more necessary that we include in our courses and organisations, like of which we are having in our Secondary Education Board, such people who have got a wider outlook and freer experience and who have not suffered that routine course of a bureaucratic life. I know, so many institutions and so many organisations (which are run absolutely private) and which are progressive in so many fields of life, technical and otherwise. In the field where the basic education is concerned, I know that they are more successful than what our educational institutions in those fields are doing under Government control. There is that sarvodaya educational institution of Wardha

(श्री नारायणसिंह)

and other places that are more successful than other institutions with this basic type of education and there are so many other educational institutions at different places.

Even in Rajasthan I hear that there are Rural Universities, I forgot their exact name, have been organized by a certain private initiative at Sardarshahar, Udaipur or other places. They would be having a very independent experience of their own. If, in our Secondary Education system, we do not include such persons of independent experience of their own who have had free thinking and who have been experimenting new types of education, we would rather be failing of our ideal. We might be so much of the losers in this respect. It is very essential that we look to the phase of secondary education very devotedly and attentively. Our secondary education is a very important factor. It has, practically, to be a link between the primary stage and University stage. If we allow the Board just to remain a stereotyped board or bureaucratic type of Board it would not be doing full justice to the whole thing. It is, therefore, that so many other members have moved certain amendments wherein they have expressed their feelings that educationists of calibre, of well recognized institutions of the State should be included in the Board. I would insist that even the Chairmanship itself should be given to such a person who is not essentially from the bureaucracy but who has devoted his life to education and who has ventured to go into newer fields of experiments in this respect.

I would, therefore, stress that the Chairmanship of this Board should be given essentially to a person who has had free experience in this field and who has devoted his whole life to education and who has experimented in the new walks of educational activity.

It is, therefore, that I move this amendment that the Chairman should be a person who would be quite separate from the Director of Education.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट क्लॉज़ ४ के अन्दर यह है :

Sub-clause (1)

"Substitute the word 'two' for 'one' occurring at the beginning of part (g) and delete part (o)"

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी शिक्षा का सवाल है उसको तो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मगर जब हम टीचर्स की तरफ देखेंगे तो शिक्षा की रेस्पोन्सिबिलिटी जिन पर है उनकी हालत को जब हम देखते है तो उनकी हालत बहुत गिरी हुई है, उनके पे स्केल्स को देखें; उनके ग्रेडेड स्केल्स को देखें उनके लिविंग कन्डीशन्स को देखें जो गवर्नमेंट

(श्री श्रीमानसिंह)

उनको प्रोवाइड करती है तो जहां तक टीचर्स का सवाल है उनके लिये मैं यह कहूं कि एक बड़ी केओटिक टाइप ऑफ पोलिसी इसमें बरती जा रही है तो कोई बेजा बात नहीं होगी। जब तक हम टीचर्स के एसोसियेशन को इन्क्रीजिंग रिप्रेजेन्टेशन न दें तब तक यह बोर्ड का गठन है वह ठीक नहीं हो सकता। पर इस बोर्ड के परसोनेल को देखें तो हमें पता चलेगा, इसमें एक्सपर्ट्स मौजूद है उनकी ले ओपीनियन को एसोसियेट किया गया। इस बोर्ड में जहां तक मेरा खयाल है किसी का भी इन्टरेस्ट बाकी रखा नहीं गया है सब का रिप्रेजेन्टेशन उसमें है, हो सकता है स्पेश्यली किसी आदमी को न रखा गया हो, वैसी हालत में गवर्नमेंट अगर चाहती है तो दो की जगह तीन आदमियों को, तीन एजुकेशनिस्ट्स को उसमें रख सकती है जो शिक्षा में स्पेशल इन्टरेस्ट रखते हों। अगर इसमें भी किसी के स्पेशल इन्टरेस्ट को वाच करने का सवाल हो तो यह मंशा इस क्लॉज़ की हो तो मैं नहीं कह सकता। मेरा एक संशोधन यह है कि इसमें टीचर्स का एक रिप्रेज़ेन्टेटिव होना चाहिये, टीचर्स एसोसियेशन का रिप्रेज़ेन्टेटिव अवश्य होना चाहिये जिससे टीचर्स की जो कुछ डिफिकल्टीज़ हों वे बोर्ड के सामने रखी जा सकें। उनके पे स्केल्स के बारे में और भी कोई डिफिकल्टीज़ हों तो वे रख सकें, इसके अलावा इस संबन्ध में बोर्ड की जो पोलिसी हो वह क्लिअर कट रख सकें। आज हम देखते हैं कि एसोसियेशन, आदि वर्ड्स से डरते हैं लेकिन डेमोक्रेसी के अन्दर यूनियन्स एसोसियेशन रहेंगे ये डेमोक्रेसी के एसेन्शियल पार्टस हैं इसलिये हमको लाजमी है कि इनको एन्करेज करें और इनको रिप्रेज़ेन्टेशन दें। अगर हम टीचर्स एसोसियेशन को रिप्रेजेन्टेशन दे देते हैं तो यह होगा कि बोर्ड के अन्दर एक्सपर्ट्स ओपीनियन और ले। दोनों प्रकार की राय मिल सकती है, दोनों अपने अपने इन्टरेस्ट वाच कर सकते हैं और उनको बोर्ड के सामने रख सकते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इनका नंबर बढ़ना लाजमी है।

With your permission Sir, जो संशोधन दूसरे माननीय सदस्यों ने मूव किये हैं उन पर भी मैं बोल लूं ताकि फिर समय न लेना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : What about your amendment ragarding the deletion of part (o) ? This is covered by Mr. Manohar Kothari's amendment,

श्री श्रीमानसिंह : I need not speak on that amendment. I will speak on the rest of the amendments

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि एक महानुभाव ने क्लॉज़ ए एड कराया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक एक्स ओफिशियो मेम्बर एड कराया जाय। मेरा यह निवेदन है कि शायद उन महानुभाव ने यह बिल जो बना है उसे देखा नहीं है। इस चेयरमेन के लिये जो ग्राउन्ड्स उन्होंने दिये हैं वे काफी वजनी हैं। लेकिन मेरा खयाल है कि वेही आरगूमेन्ट्स को रोंग प्लेस पर अगर एम्फेसिस किया जाय तो वह अपनी वेल्यु लूज़ कर जाता है। जब क्लॉज १५ ए आये जिसमें इलेक्टेड चेयरमेन का प्रोविजन है वहां वे यह बात रख सकते हैं, हाउस को उस समय इनकी राय सुननी चाहिये। मेरा निवेदन है कि उनके आइडियाज़ धारा १५ ए में फोरवर्ड कर दिये जायं।

उदयपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने एक अमेन्डमेन्ट दिया है, उसमें कहा

(श्री श्रीमानसिंह)

गया है, "श्री मेम्बर्स इलेक्टेड", यह और जोड़ दिया जाय :—

"Three members elected by the Rajasthan Legislative Assembly from amongst its members, of whom at least one should represent a rural costituency and one be a woman."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस से कह दूं कि इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे इस बात के लिये। जहां तक एक्सपर्ट ओपीनियन का सवाल है वह इस लेजिस्लेशन में मौजूद है। एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट्स मौजूद हैं। दो सदस्यों को कोऑप्ट करना है तो यह तो सब क्लॉज में आ जाता है। मगर अगर सदस्यों का मतलब हो कि इसमें भी पोलिटिक्स लाई जावे तो मैं इसके खिलाफ हूं क्योंकि बोर्ड का काम प्योरली एजुकेशनल है, किस तरह से शिक्षा पद्धति को वर्क आउट करना, एग्जामिनेशन्स किस तरह से कन्डक्ट करना, किस इन्स्टीट्यूशन को रिकग्नाइज़ करना, इसके लिये क्या क्वालिफिकेशन्स ले डाउन करना, यह उनका काम है; तो इसके लिये एजुकेशनिस्ट्स चाहिये और वे हैं। अब इसमें एम. एल. ए. को क्यों घुसेड़ना चाहते हैं आप ! अगर आप यह कहते हैं कि यहां का भी इसमें रिप्रेज़ेन्टेशन हो तो फिर तो इसमें आपको एक रूरल, एक अरबन, एक वीमन, एक मैन, एक रिजर्व सीट, एक जनरल सीट; इन सबको रिप्रेज़ेन्टेशन देना पड़ेगा। सभी कहेंगे कि हमें भी रिप्रेजेन्टेशन दो, आप फिर किस किस को रिप्रेज़ेन्टेशन देंगे, फिर शिड्यूल कास्ट्स वाले भी चिल्लावेंगे, एंग्लो इन्डियन भी, चूंकि अजमेर अब शामिल हो गया है और वहां इनकी भी कुछ पोपुलेशन है। तो वे भी कहेंगे कि हमें भी रिप्रेजेन्टेशन दो। तो आखिर आपकी क्या मंशा है इससे ? क्या इस बोर्ड को भी आप वेस्टेड इन्टरेस्टेड परसन्स या सैक्शन्स की रिप्रेजेन्टेटिव बॉडी बनाना चाहते हैं ? क्या आप डाइवर्सिफाइड एजुकेशन देना चाहते हैं ? जनरल एजुकेशन के लिये रिप्रेजेन्टेशन ऑफ कलाज मौजूद हैं, उसमें तीन फेकल्टीज के आदमी मौजूद हैं, रिप्रेजेन्टेटिव टीचर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स उसमें हैं। लेटेस्ट इन्फोर्मेशन की टैकनीक आफ डेवलपमेन्ट का जहां तक सवाल है दो एक्सपर्ट एजुकेशनिस्ट्स इसमें मौजूद हैं। अब शिक्षा का कोनसा ऐसा अंग बाकी रह जाता है ? जहां सेकन्डरी एजुकेशन के टैक्नीकल साइड का सवाल है सब हैड आफ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट उसमें होंगे, नहीं हैं तो इसके लिये सरकार कोशिश करेगी। डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन एजुकेशन में एक्सपर्ट हैं, कॉमर्स वाले, मैडिकल, वेटेरिनरी आदि जितने विभाग हैं उनके आदमी सब इसमें मौजूद हैं। इन सबके होते हुए भी और इस बोर्ड के कॉम्प्रीहेन्सिवली कान्स्टीट्यूटेड होते हुए भी दो एम. एल. एज़. को इसमें और रखने से क्या परपज़ सर्व होगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। परपज, अगर आप यह कहें कि यह होगा कि बोर्ड की कार्यवाही पर इस लेजिस्लेचर की हुकूमत रहेगी, बोर्ड में जो होगा, वह वे यहां रिपोर्ट करते रहेंगे। पर माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि लेजिस्लेचर की जो सोवरेन्टी है वह बोर्ड को क्रीएट कर देने के बाद समाप्त नहीं हो जाती है। यह बोर्ड तो थ्रू एजुकेशन मिनिस्टर इस लेजिस्लेचर के लिये हमेशा क्रिटिसाइज़ेबल रहेगा, उसकी हरएक कार्यवाही उनके मार्फत उपलब्ध होगी। अब तीन एम. एल. एज़. को वहां किस मतलब से आप भेजते हैं, क्या वे कोई एक्सपर्ट हैं, या वहां कोई एक्पर्ट की

(श्री श्रीभानसिंह)

कमी है, आखिर फिर क्या है ? आप क्या यह चाहते हैं कि असेम्बली में क्रिटिसिज़्म होता है अपने आदमी को उसमें पास कर दिया, अपने किसी आदमी को वहां रखकर क्रिटिसिज़्म से बच गये, अगर यह सोचना है, तो फिर मेरा तो यही कहना है कि वहां बोर्ड में भी आज फिक्शन्स डालना चाहते हैं, वहां भी राजनीति इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर यह नहीं है, तो फिर किस मतलब से आप भेजेंगे उन्हें वहां ? और फिर किसको किसको वहां आप भेजेंगे, किस आधार पर भेजेंगे ? यह लेजिस्लेचर कॉन्स्टीट्यूटेड है, डिफरेन्ट पार्टीज़ को मिलाकर डिफरेन्ट सैक्शन्स को मिला कर। माफ करें, एक तरफ कांग्रेस की मेजोरिटी है, एक तरफ पी. पी. है, जनसंघ है, रामराज्य है, तीसरे आपके इन्डिपेन्डेन्ट हैं और फिर आपके पी. एस. पी. हैं। अब इन मेम्बरों में से आप किसको भेजेंगे ? अगर तीन कांग्रेस के भेजते हैं तो अपोजीशन चिल्लावेगा, आरोप लगावेगा कि वहां भी डोमीनेशन कर लिया कांग्रेस ने अपने बहुमत के जोर पर। अगर सभी को भेजते हैं तो यहां पर किस किस पार्टी के रिप्रेजेन्टेटिव को लेंगे। वोटिंग स्ट्रेन्थ से हो नहीं सकेगा, प्रोपोर्शन ढूंढना पड़ेगा तो आपको डर रहेगा कि और ग्रूप्स के आ जावें। अब जो भी पार्टी का सदस्य वहां जावेगा वह हर पार्टी अपनी अलग अलग आइडियोलोजी रखती है। शिक्षा का रिऑर्गेनाइज़ेशन होना चाहिये। यह कम्युनिस्टों का आन्दोलन है, सोशलिस्टों का दूसरा होगा, यह मैं मानता हूँ। जनसंघ का मोटो और होगा क्योंकि वे कांग्रेस की थ्योरी से कोइन्साइड नहीं कर सकते, और रामराज्य का तो इन्सपायरेशन रामायण में से होगा और कोई न कोई इन्डिपेन्डेन्ट वाला होगा तो वह तो यहां रीज़न को देखने आता है कि रीज़नेबल चीज़ क्या है ? वे कहेंगे हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे That means they have no opinion of their own. तो इस तरह से जो लेजिस्लेचर कन्स्टीट्यूटेड है उनके किस तरह से रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ आप भेजना चाहेंगे ? क्या आपका क्राइटेरिया वोटिंग का रहेगा ? किस तरह से वह रहेगा ? हमारी वीमन रिप्रेज़ेन्टिव्ज़ कांग्रेस की तरफ से ज्यादा हैं, अब किस वीमन को भेजेंगे, डिफरेन्ट इन्टरेस्ट को, डिफरेन्ट ग्रूप्स और पार्टीज़ को कैसे आप एक-दो में समावेश करेंगे, कैसे इन सबको कम्बाइन्ड करके एक डिसीजन पर आ सकेंगे कि हमारा यह डिसीजन है और इस बेसिस पर हम लेजिस्लेचर के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ भेज सकते हैं। तो इसलिए वहां डिफरेन्ट ओपीनियन और डिफरेन्ट पोलिटिकल व्यूज़ रखने के और तरह से बोर्ड के सामने एक और डिफीकल्टी पैदा करने के अलावा कोई परपज एम. एल. एज़. सर्व नहीं कर सकते। मैं ग्रेट सपोर्टर हूं कि पब्लिक ओपीनियन को सपोर्ट किया जावे, पर इसका दूसरा तरीका है। वह वैसे भी हो सकता है। उसमें जनता के एजुकेशनिस्ट्स मौजूद हैं, और कोई अन्य एजुकेशनिस्ट यहां हैं तो उसे वे कोऑप्ट कर सकते हैं।

फिर एक माननीय सदस्य ने कहा है कि Subject to the proviso-" डिलीट कर दिया जावे। मैं इस पर भी सहमत नहीं हो सकता उनसे। पर शायद उनकी भी यह राय है जैसा एक ने रक्खा कि इलेक्टेड चेयरमैन होना चाहिये, तो इसका जो बाद में सवाल आवेगा तब देखा जावेगा। अभी १५ ए में जो प्रोविजो है उसको डिलीट करने में क्या फायदा ? इलेक्टेड चैयरमैन हो तो वह इससे

(श्री श्रीमानसिंह)

गवर्न करेगा, अगर यह है तो यह पहले तय कर लें कि इलेक्टेड चैयरमैन होगा तो इससे इस क्लॉज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका परपज भी सर्व हो जाता है तो इसको डिलीट करने से यहां कोई पर्पज सर्व नहीं होता।

सदन का कार्य स्थगित करने सम्बन्धी

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, अब चार बज गये हैं और ४ बजे सहकारी सप्ताह मनाया जावेगा....

श्री तेजमल बापना : I want to make a submission.

श्री उपाध्यक्ष : What submission. when the hon'ble member is there at the mike? Is it submission against the Hon'ble member?

Let me hear the Hon'ble member at the mike.

श्री तेजमल बापना : उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज ठीक चार बजे सहकारी सप्ताह मनाया जावेगा, उस अवसर पर उसके तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिये सभी मेम्बरों की उपस्थिति के लिये प्रार्थना की गई है, ऐसी स्थिति में इस हाउस को एडजोर्न कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Are we not proceeding towards a progressive direction? From 4. 45 we have come to 4, O'clock and next day we may not come to 3 O'clock.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आज एक विशेष जलसा है सहकारिता का। इस सहकारिता के अन्तर्गत संस्थाएं चलाई हैं हमारे माननीय सदस्यों ने और वह जलसा साल में एक बार ही होता है। इस वजह से कुछ थोड़ा निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : Before that we would like to avail the opportunity of hearing Shri Muktilal Modi.

(हंसी)

All right, Sir. So is it the sense of the House?

(विराम)

Yes.

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : हम अभी किसी दूसरे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद आपसे निवेदन करूंगा।

(हंसी)

Then we adjourn till tomorrow to meet at 11 A. M.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कल इन्क्वायरी कमेटी की मीटिंग है ?

श्री उपाध्यक्ष : That is not before me.

श्री श्रीमानसिंह : All the Hon'ble members have received invitations that the Capital Enquiry Committee will like to meet them tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : Then the problem has been made a bit complicated one. How many of us are going to appear before the Committee?

श्री नारायणसिंह : The next meeting should be on Monday.

श्री पुरुषोत्तमलाल : सब को बुलाया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं साहब मेम्बर्स हैं और मेम्बर्स को आप आदमियों में हीं शुमार कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Can we meet at 12.00 ?

एक माननीय सदस्य : No, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Let us say a little below, at 1-00 P. M.

I think it is desirable.

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir,

श्री नारायणसिंह : The whole House feels that it may be adjourned upto Monday and I think the request may be conceded.

श्री उपाध्यक्ष : I appeal to the good sense of the Hon'ble Members. let us be little reasonable. I think we are reasonable, but let us be more reasonable. So we meet on.....

एक माननीय सदस्य : Yer, Sir, on Monday.

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : May I humbly submit, Sir, that firstly it is a matter of privilege of this House that Saturday is always kept a holiday. I do not know why it has not been kept a holiday this time. The Hon'ble members are working six hours a day on legislation. If it were the Budget Session, we might have agreed. But we are working for six hours a day. As a matter of privilege, it must be kept a holiday. Therefore, with your permission I move that the House be adjourned till monday.

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is in confusion.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : When a motion is moved, there is no confusion. It can be decided only by putting a question. The question be put to the House. The vote of the House can be taken and the matter decided.

श्री उपाध्यक्ष : I know the sense of the House at the same time, because of the upror from all directions. Now there is a motion. That means it leaves no option for me, except that I may put it to the House and except a few I think all......

श्री पी. के. चौधरी : The Chair should agree to it that we adjourn till Monday.

श्री मुक्तिलाल मोदी : ऐसा है कि हम लोग नहीं आवेंगे तो क्या करेंगे आप; हाउस को बुला लीजिये ?

अनेक माननीय सदस्य : मुक्तिलालजी की तो बात मानिये, साहब।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह रहता है कि एक दिन आपकी आवाज भी यहां नहीं सुनी जावेगी ?

(हंसी)

Then we adjourn to meet at 11.00 A. M. on Monday.

(सदन की कार्यवाही सायं ४ बज कर ७ मिनट पर, सोमवार, दिनांक ११ नवम्बर, १९५७ के ११ तक म. पू. के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, ८ नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

कक्षा ८ तक निःशुल्क शिक्षा एवं उसके आगे शुल्क में वृद्धि।

जागीर पुनर्ग्रहण के अन्तर्गत सरकार के आधीन लिये गये ठिकानेजात के शिक्षा विभाग

जिला जालोर में प्राथमिक पाठशालाएं एवं भवातड़ा (त० सांचोर) की स्कूल।

राजस्थान में वायरलैस स्टेशन्स एवं उनके खोलने के आधार।

जोधपुर में मसूरिया शरणार्थी कोलोनी जोधपुर में प्राथमिक पाठशाला का अभाव।

ग्राम अखड (त० शाहपुरा, डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा) में बांध का निर्माण।

गंग कैनाल, गंगानगर की जी. जी. राजबा की टेल पर पानी का अभाव।

जयपुर शहर की सिटी बस सर्विस।

जिला गंगानगर में १९४९ से पूर्व रजिस्टर्ड हथियार।

जोधपुर डिविजन के सीड स्टोर के नाम से मकानात बनाना।

आबू रोड और शिवगंज में

स्कम्भ

९९३ कन्या माध्यमिक शाला खुलने सम्बंधी।

जिला जालोर के भवरानी गांव के बीड़ में मारे गये डाकू।

तहसील सांचोर में लूनी नदी पर बांध बनाने संबंधी योजना।

जिला जालोर स्थित डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कार्यालय द्वारा धान का क्रय।

गंगानगर जिले के क्षेत्र में बागों के वृक्षों और फूलों की बीमारियों को रोकने की योजना।

चम्बल बैराज की बुनियाद में फ्रेन्च विशेषज्ञ की सलाह लेने सम्बन्धी।

जिला गंगानगर में स्थित बिना काश्त की भूमि वाली कृषि सहकारी समितियां।

स्पेशल आई० जी० पी० भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की नियुक्ति के पश्चात् पकड़े गये मामले।

अपने निवास स्थान से बाहर नियुक्त सहायक निरीक्षकों की संख्या।

जेल बन्दियों से मिलने आने वाले व्यक्तियों से शुल्क।

जेल उद्योगों का व्यापारिक आधार एवं उससे हानि-लाभ।

पुसाल्या नदी (तहसील

Page No.89

शिवगंज) पर पुल अथवा कॉज़्वे निर्माण ।

बाड़मेर की चर्म-रंगाई उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य एवं उसको सहायता ।

गवर्नमेंट हाई स्कूल, शिवगंज में कृषि और कॉमर्स विषय ।

समदड़ी (जिला बाड़मेर) में हाईस्कूल खोलने सम्बन्धी योजना ।

बाड़मेर में कन्या पाटशाला भवन निर्माण पर सरकार द्वारा निर्धारित धन-राशि ।

पाड़ीव (तहसील सिरोही) के समीप कामड़ी नदी कॉज़्वे का सर्वे ।

बाड़मेर जिले की खत्री रंगाई छपाई उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य एवं उसे सहायता ।

अकाल स्थिति सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव ७११

राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अनावृष्टि एवं अत्यावृष्टि के फल स्वरूप अकाल से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में श्री मूलचन्द डागा, श्री जगदीशप्रसाद एवं श्री मोहरसिंह से प्राप्त स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं को सदन में पढ़कर सुनाया गया किन्तु उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई । साथ ही यह भी सूचित किया गया कि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सोमवार दिनांक ११ नवम्बर, १९५७ को दिया जायगा ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ७१४

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री ने राजस्थान जन सेवा आयोग (सेवा प्रतिबन्ध) विनियम, १९५१ के संशोधनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विज्ञप्तियों को सदन की मेज पर रखा:-

१. विज्ञप्ति संख्या ४८२२। ५७।एफ. १४ (१) नियुक्ति (ए) ५६ दिनांक २९ मई, १९५७—विनिमय १० (ए) में संशोधन ।

२. विज्ञप्ति संख्या ९०६७। ५७।एफ. १४ (१) नियुक्ति (सी) ।५१ दिनांक ३ सितम्बर, १९५७-विनियम ४ में संशोधन ।

३. विज्ञप्ति संख्या ११७१५ ।५७।एफ. १४ (१२) नियुक्ति (ए) ।५६ दिनांक १० सितम्बर, १९५७-विनियम १० (ए) में संशोधन ।

विधायी कार्य

(क) विधेयकों की पुरःस्थापना ७१५

निम्नांकित राजकीय विधेयक पुरःस्थापित किये गयेः—

१. राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५७ ।

२. राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण (पुनः प्रवर्तन) निरसन विधेयक, १९५७ ।

३. राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, १९५७ ।

४. राजस्थान भू-राजस्व

(संशोधन) विधेयक, १६५७।

विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक

राजस्थान स्टेट्यूटरी नियम तथा आदेश (विस्तार) विधेयक, १६५७ ७१५

श्री रामकिसोर व्यास, विधि मन्त्री, द्वारा उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक पर खण्डश: विचार प्रारम्भ हुआ। खण्ड ६ व ७ पर जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे वे प्रभारी मन्त्री के उत्तर के पश्चात् वापस ले लिये गये। तत्पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६५७ ७२५

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, द्वारा उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ तदुपरान्त विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

बॉम्बे लोकल बोर्ड्स एण्ड प्राइमरी एजुकेशन (निरसन) विधेयक, १६५७ ७४०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मन्त्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक को पारित भी किया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ ७४१

श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उप-शिक्षा मन्त्री, ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर श्री श्रीमान-सिंह तथा श्री तनसिंह ने इस आशय के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये कि विधेयक को फिर से उसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में ४ अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात श्री श्रीमानसिंह ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा श्री तनसिंह का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। तदुपरान्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाकर विधेयक पर खण्डश: विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड २—बिना किसी संशोधन के स्वीकृत किया गया।

खण्ड ३—इस पर जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था वह वापिस ले लिया गया।

खण्ड ४—इस पर निम्नांकित सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये:—

१. श्री पी० के० चौधरी
२. श्री मनोहर कोठारी

Page No.91

३. श्री नारायणसिंह (मसूदा)

४. श्री श्रीमानसिंह

वाद विवाद जारी था कि सदन की बैठक ४ बजकर ५ मिनट पर स्थगित की गई।

सोमवार, ११ नवम्बर, १९५७
की कार्य सूची

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर देखिये)

जालौर तहसील की प्राथमिक पाठशालायें

१ रा० प्रा० पा० कोली
२ रा० प्रा० पा० ओटवाला
३ रा० प्रा० पा० आना
४ रा० प्रा० पा० बाकरा
५ रा० प्रा० पा० बाबतरा
६ रा० प्रा० पा० आलासन
७ रा० प्रा० पा० बालवाडा
८ रा० प्रा० पा० बासेरा
९ रा० प्रा० पा० साथू
१० रा० प्रा० पा० सावला
११ रा० प्रा० पा० सुराना
१२ रा० प्रा० पा० देलदरी
१३ रा० प्रा० पा० दादाल
१४ रा० प्रा० पा० केशवना
१५ रा० प्रा० पा० डुडसी
१६ रा० प्रा० पा० चान्दणा
१७ रा० प्रा० पा० चूरा
१८ रा० प्रा० पा० चोराऊ
१९ रा० प्रा० पा० जालौर
२० रा० प्रा० पा० जीवाना
२१ रा० प्रा० पा० लीखी
२२ रा० प्रा० पा० पाथेडी
२३ रा० प्रा० पा० मूंडवा
२४ रा० प्रा० पा० मेगलवा
२५ रा० प्रा० पा० रेवतडा
२६ रा० प्रा० पा० लेटा
२७ रा० प्रा० पा० निम्बला
२८ रा० प्रा० पा० मेढ़ाऊ परला
२९ रा० प्रा० पा० नून
३० रा० प्रा० पा० थलवार
३१ रा० प्रा० पा० ऐलाना
३२ रा० प्रा० पा० विशनगढ़
३३ रा० प्रा० पा० मांडवला
३४ रा० प्रा० पा० धानपूर
३५ रा० प्रा० पा० तंरा
३६ रा० प्रा० पा० मायलाबास
३७ रा० प्रा० पा० कोमता
३८ रा० प्रा० पा० सिवाना
३९ रा० प्रा० पा० आसानां
४० रा० प्रा० पा० पोसानां
४१ रा० प्रा० पा० राजपुरिया
४२ रा० प्रा० पा० सांगावा
४३ रा० प्रा० पा० विरठ
४४ रा० प्रा० पा० तिलौरा

आहोर तहसील की पाठशालाएं

१ रा० प्रा० पा० अगवरी
२ रा० प्रा० पा० अजीतपुरा
३ रा० प्रा० पा० आईपुरा
४ रा० प्रा० पा० बादनवाड़ी
५ रा० प्रा० पा० बाला
६ रा० प्रा० पा० बावडी
७ रा० प्रा० पा० बलदरा
८ रा० प्रा० पा० बरवां
९ रा० प्रा० पा० बेधाना
१० रा० प्रा० पा० बेहिया
११ रा० प्रा० पा० भैंसवाड़ा
१२ रा० प्रा० पा० भांडला
१३ रा० प्रा० पा० भवरानी
१४ रा० प्रा० पा० चबरचा
१५ रा० प्रा० पा० चिवरवाड़ा
१६ रा० प्रा० पा० चरली
१७ रा० प्रा० पा० चुन्डा
१८ रा० प्रा० पा० दयालपुरा

	जौ. की दर				
१	श्री पीठा	१५०	०	०	१४-८-०
२	श्री त्रिरमा	२००	०	०	१४-८-०
३	श्री किश्तूर	१५०	०	०	१४-८-०
		५००	०	०	

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर देखिये)

S. No. (1)	Name of Jail. (2)	Receipts ending 31-10-57 (3)	Expenditure ending 31-10-57 (4)	Balance on 31-10-57 (5)
1.	Central Jail, Jaipur.	1,943-11-6	567-8-6	1,376-3-0
2.	Central Jail, Jodhpur.	1,342-10-3	220-3-6	1,122-6-9
3.	Model Jail, Ajmer.	103-11-0	---	103-11-0
4.	Distt. Jail, Bikaner.	567-11-9	8-8-0	559-3-9
5.	Distt. Jail, Udaipur.	796-5-3	552-4-0	244-1-3
6.	Distt. Jail, Kotah.	485-14-3	118-0-0	297-14-3
7.	Distt. Jail, Alwar.	813-11-0	44-2-0	769-9-0
8.	Distt. Jail, Bharatpur.	508-0-0	--	508-0-0
9.	Distt. Jail, Gangangar.	780-7-9	113-14-0	666-9-9
10.	Distt. Jail, Bhilwara.	123-9-0	---	123-9-0
11.	Distt. Jail, Tonk,	34-12-0	4-0-0	30-12-0
	Total:—	7,500-7-9	1,698-8-0	5,801-15-9

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ११२ का उत्तर देखिये)

समिति के सदस्यों की सूची

१	श्री	चतुरदास	२२	श्री	शकरलाल
२	,,	केसराराम	२३	,,	गणेशदास
३	,,	कल्लाराम	२४	,,	हीराराम
४	,,	प्रतापजी	२५	,,	पुनमाराम
५	,,	हीराराम	२६	,,	भोदाराम
६	,,	भूराराम	२७	,,	प्रहलादराम
७	,,	पन्नाराम	२८	,,	चिमनाराम
८	,,	आईदान	२९	,,	मग्गाराम
९	,,	सोनाराम	३०	,,	कुशलदास
१०	,,	मग्गाराम	३१	,,	कानाराम
११	,,	मोडाराम	३२	,,	अनोखाराम
१२	,,	मानाराम	३३	,,	सोनाराम
१३	,,	कानाराम	३४	,,	परसाराम
१४	,,	कानाराम	३५	,,	पूनमचन्द
१५	,,	भोलाराम	३६	,,	नेनाराम
१६	,,	मियाराम	३७	,,	भीयाराम
१७	,,	गंगाराम	३८	,,	मक्काराम
१८	,,	अणदाराम	३९	,,	भोलाराम
१९	,,	गीगदाराम	४०	,,	लछमनदास
२०	,,	हेमाराम	४१	,,	नारायणदास
२१	,,	गुलाबचन्द	४२	,,	चेतनदास

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ११७ का उत्तर देखिये)

खादी रंगाई छपाई उत्पादक सहकारी समिति, बाड़मेर के सदस्यों की सूची

१	श्री	लछमनदास
२	,,	गोवर्धनदास
३	,,	श्रीराम
४	,,	प्रिरागचन्द
५	,,	मेघराम
६	,,	अम्बाराम
७	,,	प्रतापमल
८	,,	ठाकुरदास
९	,,	लूनकरण
१०	,,	सीताराम
११	,,	गणेशराम
१२	,,	कालूराम
१३	,,	दल्लाराम
१४	,,	अमोलक
१५	,,	हेमराज
१६	,,	ऊदाराम
१७	,,	अमोलक
१८	,,	प्रतापमल
१९	,,	हरीराम
२०	,,	चूनीलाल
२१	,,	गोरीशंकर
२२	,,	मानमल
२३	,,	दयाराम
२४	,,	रानुराम
२५	,,	रामदान
२६	,,	भीकमचन्द
२७	श्री	हजारीमल
२८	,,	ओमलाल
२९	,,	सोनाराम
३०	,,	जवानमल
३१	,,	कस्तूरचंद
३२	,,	खूबचन्द
३३	,,	गणेशमल
३४	,,	मेघराज
३५	,,	जमनादास
३६	,,	रणछोडदास
३७	,,	दयाराम
३८	,,	काना
३९	,,	दामा
४०	,,	लछमीचंद
४१	,,	पीरचन्द
४२	,,	हरदेव
४३	,,	गणेश
४४	,,	तीरथदास
४५	,,	गिरधारी
४६	,,	लछमन
४७	,,	घमंडाराम
४८	,,	लछमनदास
४९	श्रीमती	गेमा बेवा सोना
५०	श्रीमती	मिरधा बेवा भानमल
५१	,,	श्री सोना
५२	,,	गोमदाराम

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, शुक्रवार, दिनांक ८ नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६६९	३	मेड़ता सिटी व पल्ली में	मेड़ता सिटी व पाली में
"	१६	बसा दिये हैं।	बता दिये हैं।
६७३	३	ग्रूफ तो था ही	ग्रुप तो था ही
६७५	१५	draw, has given	draw, he has given
"	अंतिम से ४	श्री रामकिशोर ध्यास	श्री रामकिशोर व्यास
६८३	अंतिम से ३	श्री पी. के. चौधरी	श्री पी. के. चौधरी
६८५	अंतिम से ४	Enginieer will not.	Engineer will not
६८६	५	when the same desgn	when the same design
६८८	१२	G. P. W. D.	C. P. W. D.
६८९	अन्तिम से ८	who hav ebeen	who have been
७०३	१६-१७	डिक्रिमिनेशन	डिस्क्रिमिनेशन
७०६	अन्तिम से ९	रासी तथा	और १ चपरासी तथा
७११	अन्तिम से २	अनावृष्टि एव अलावृष्टि	अनावृष्टि एवं ओलावृष्टि
७१८	९	क्लॉज़ २, ३, ४ और ५	क्लॉज़ेज़ २, ३, ४ और ५
७२२	३	क्यंकि ययुमन नेचर	क्योंकि, ह्युमन नेचर
७२३	१९	आपने (श्री चौधरी) ने	आपने (श्री चौधरी ने)
७२८	अंतिम से ६	वर बेच नहीं सकता।	वह बेच नहीं सकता।
७३३	२६	One' smanager oragent	One's manager or agent
७४०	१९	बम्बई लकल	बम्बई लोकल
७४५	३	ल्कोंजेज़ में माफ	कॉलेज़ेज़ में माफ
७४६	१०-११	एजुकेशन का का	एजुकेशन का
७५१	२९	इस डेमाक्रसी के अन्दर	इस डेमोक्रेसी के अन्दर
७५६-७६०	शीर्ष पंक्ति	—८ नववर, ५७—	८ नवम्बर, ५७
७६२	अंतिम से १०	ब्रिल वापसि सिलेक्ट	बिल वापिस सिलेक्ट
७६३	शीर्ष पंक्ति	राजस्थान माध्यमिक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा
७६५	२	(श्री नूपसिंह)	(श्री अनूपसिंह)
"	२५	भी क्या सोसगे कि	भी क्या सोचेंगे कि
७६६	अन्तिम से ५	जगदीश प्रसाद माथुर	श्री जगदीश प्रसाद माथुर
७७२	अन्तिम पंक्ति	शिक्षा उद्देश्य देश में गुला	शिक्षा का उद्देश्य देश में गुलाम

१	२	३	४
७७५	२	(पूनमचन्द विश्नोई)	(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
७६३	११	कर रहे हैं, एग्जीग्युटिव	कर रहे हैं एग्ज़ीक्युटिव
८०६	अन्तिम से १०	साफ और डिस्टिक्ट	साफ और डिस्टिंक्ट
८३२	७	जो लेजिस्लेचर कस्टीच्यूटेड	जो लेजिस्लेचर कॉन्स्टीच्यूटेड
८३५	शीर्ष पंक्ति	सदन की की कार्यवाही	सदन की कार्यवाही
८४१	८	श्री रामकिसोर व्यास	श्री रामकिशोर व्यास